खण्ड-246, अंक-9
शुक्रवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(6 मार्च, 1964 ई0)

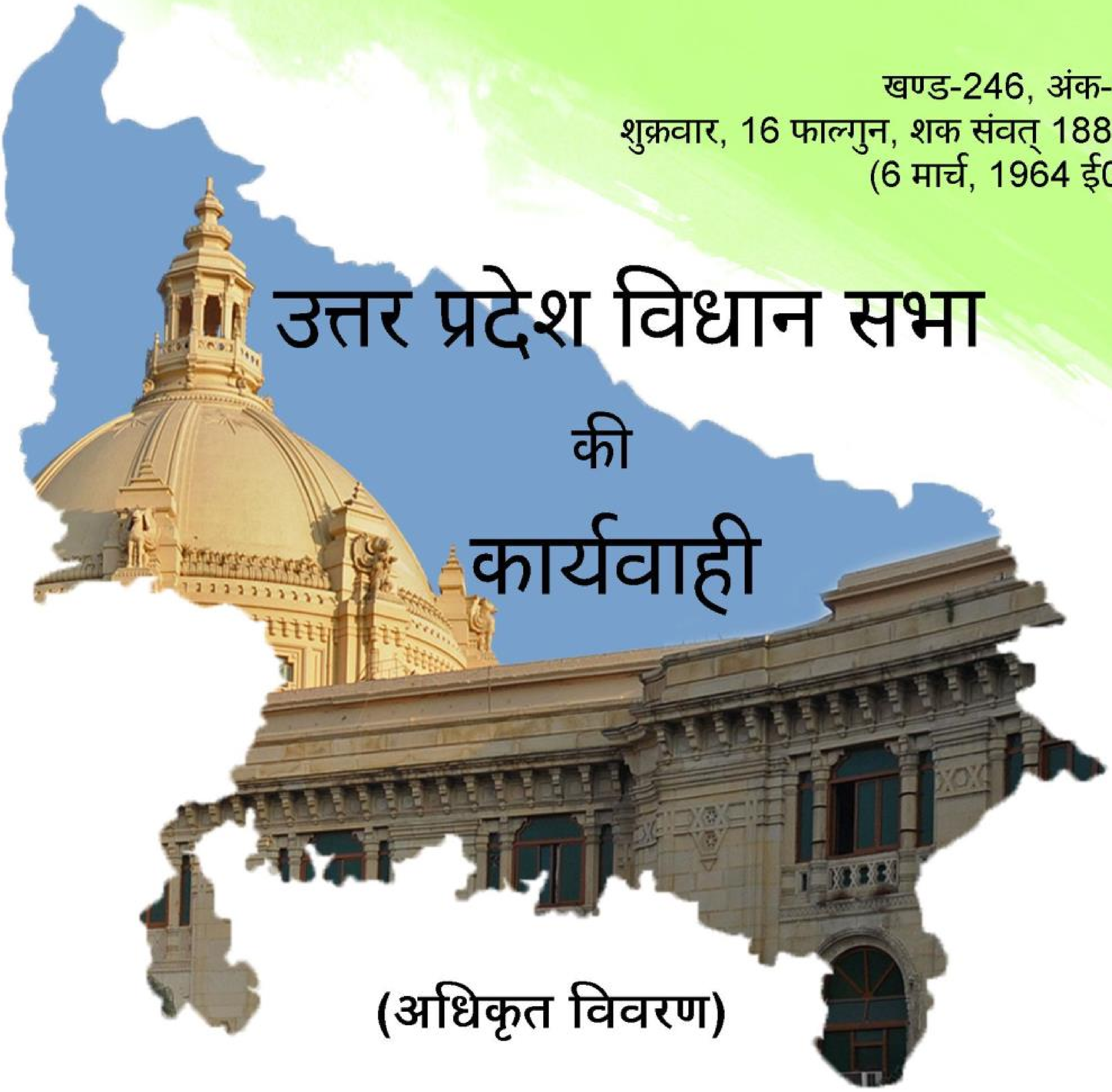

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८१९–८२३
प्रश्नोत्तर	८२३–८६४
प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब पर आपत्ति	८६४–८६५
उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये) ..	८६५
जिला बहराइच की चन्दनापुर सर्किल के सुपरवाइजर द्वारा सोसाइटी के बकायादारों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	८६५–८६६
आजमगढ़ जिले तथा पिपराइच शुगर फैक्टरी क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	८६६–८७२
जिला बस्ती के एक ग्राम में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा आतंक के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८७२–८७९
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	८७९–९०२
अनुदान-संख्या ११—गांव सभाएं और पंचायतें (जारी)	९०२–९२१
नत्थियां	९२२–९२७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारख डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

अवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा

बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक्वी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री

हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ६ मार्च, १९६४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रेहराबाजार विकास अधिकारी द्वारा श्रीमती सुन्दर का शील भंग करने का कथित प्रयास

**१—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि रेहरा ब्लाक, जिला गोंडा के एक पंचायत मंत्री, जो कि हरिजन हैं, उसकी बीबी का शील भंग करने की कोशिश स्थानीय बी० डी० ओ० ने की और इसकी शिकायत पिछले फरवरी माह में सरकार से उक्त मंत्री ने की है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

मुख्यमंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

खण्ड विकास अधिकारी, रेहराबाजार के विरुद्ध श्री अर्जुनदास पंचायत मंत्री की स्त्री ने एक प्रार्थनापत्र इस आशय की शिकायत का दिया है जिसकी जांच की कार्यवाही, न्यायालय में उसी शिकायत से सम्बन्धित मुकदमा दायर हो जाने के कारण, बन्द कर दी गई है।

**२—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि आवेदन-पत्र के बाद उक्त पंचायत मंत्री को मुअत्तल कर दिया गया है? यदि हां, तो उसे कब मुअत्तल कर दिया है और उस पर क्या अभियोग है?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं। पंचायत मंत्री को उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही दिनांक १३-११-६३ को आदेश न पालन करने तथा बिना आज्ञा प्राप्त किए क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के आरोपों में निलम्बित किया गया है।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब उसने यह शिकायत माननीय सभा सचिव को दी थी तो उसके सारे कागजात मौजूद थे और यह भी दिखाया गया था कि ११ ही तारीख को वहां के बी० डी० ओ० ने ऐसी हरकत की और १३ तारीख को पंचायत मंत्री को सस्पेंड कर दिया गया था?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, दरख्वास्त तो आयी थी लेकिन मुझे निश्चित तारीख नहीं याद है। लेकिन मैं मानयीय सदस्य को बता दूं कि इस पंचायत सेक्रेटरी का बड़ा पुराना मामला है। वैसे तो फौरन सरकार ने जांच का आदेश दे दिया था लेकिन चूंकि मामला अदालत में चला गया इसलिये जांच की कार्यवाही रोक दी गयी है। यह पंचायत सेक्रेटरी कम से कम ७-८ बार निलम्बित हुये हैं फिर पदारूढ़ हुये....

श्री अध्यक्ष--

यह सब ठीक है। उनका कहना यह है कि एक तो शील भंग करने का प्रयत्न हुआ और उसके दो दिन बाद ही उन्हें निलम्बित कर दिया गया। यह दोनों बातें ससपिशस हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

चूंकि मामला अब अदालत में है इसलिये जांच की कार्यवाही हमें रोक देनी पड़ी, नहीं तो जांच करने का हमने आदेश दिया ही है और वह अलग से मैं सूचित कर दूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, ये दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं। एक के बारे में तो यह है कि मुकदमा दायर हुआ है, वह तो मैंने मान लिया कि उसकी जांच की कार्यवाही रुक गयी। मगर जो दूसरा मुअत्तल किया गया है आदमी, इससे उस मुकदमे से क्या सम्बन्ध है?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, मुअत्तली की जो बात है यह तो स्वयं अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने शील भंग करने की कोशिश की। जहां तक पंचायत मंत्री की मुअत्तली का प्रश्न है वह तो इसलिए हुई कि उनके ऊपर से बहुत आरोप थे। १३-११-६३ को आदेश न पालन करने के कारण ही मुअत्तल किया गया। इसलिये उसका कोई मामला नहीं है।

श्री बयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

यह जो मुअत्तली हुई है उसकी क्या वजह है? कब शिकायतें हुईं और कब ऐक्शन लिये जाने के आदेश हुये?

श्री बंशीधर पांडेय--

ऐसी बात नहीं है। ७ अक्तूबर, १९६३ को पंचायत मंत्री का स्थानान्तरण का आदेश ब्लाक प्रमुख ने किया, विकास अधिकारी की सिफारिश पर और जब उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया तो १३-११-६३ को निलम्बित कर दिये गये, यह है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी को सूचना है कि जब यह शील भंग होने की दुर्घटना हुई तो इन अधिकारियों ने पंचायत सेक्रेटरी से मामला आगे न बढ़ाने के लिये कहा लेकिन उसके न मानने पर उसको मुअत्तल किया गया?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं।

श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तारीख को पंचायत मंत्री की ओर से इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है और किस तारीख को यह केस अदालत में गया?

श्री बंशीधर पांडेय--

१९-२-६४ को यह विकास मंत्री जी के पास आया और अदालत में कब दायर हुआ इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

मंत्री जी को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें पंचायत मंत्री के १०-११ बार निलम्बित होने की सूचना मिली है तो बी० डी० ओ० कितनी बार निलम्बित हुये और कितनी मर्तबा उन्होंने इस तरह की हरकत की?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, पंचायत मंत्री के निलम्बित होने का प्रश्न है, उसकी सूचना है। बी० डी० ओ० के बारे में पूछेंगे तो उसको भी बता दूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, बी० डी० ओ० ने शील भंग करने की कोशिश की तो यह क्या इतना काफी नहीं है कि उसको मुअत्तल कर दिया जाता? अगर नहीं किया गया तो अब मुअत्तल करने पर विचार करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि शील भंग करने का उसने प्रार्थना पत्र दिया, उसकी जांच के आदेश जारी किये गये तो पता चला कि मामला अदालत में पेंडिंग है। इसलिये जांच रुकवा दी गई।

श्री गेंदासिंह—

जिस बी० डी० ओ० के बारे में शील भंग करने की कोशिश की चर्चा है क्या मंत्री जी उसकी जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

हमने आदेश दिये हैं और आप कहते हैं तो जरूर जांच करेंगे।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही है?

श्री बंशीधर पांडेय—

जांच बन्द है क्योंकि मुकदमा चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जिन बी० डी० ओ० के खिलाफ मुकदमा चल रहा है अगर वे वहीं रहेंगे तो सबूत मिलने में दिक्कत होगी। इसलिये उनका तबादला हो जाना चाहिये, क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस तरह के मामले से दोनों पक्षों पर असर पड़ता है। इसलिये जब तक निर्णय न हो जाय तब तक कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, बी० डी० ओ० के चरित्र के खिलाफ एक ऐलीगेशन लगाया पंचायत मंत्री ने और एक ऐलीगेशन उस मंत्री के खिलाफ आज्ञा न पालन करने का लगाकर उसको मुअत्तिल कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दोनों एक ही तरह के जुर्मी हैं, एक आज्ञा न पालन करने के और दूसरे उसकी पत्नी के शील भंग करने की कोशिश करने का तो उनको मुअत्तिल न करने का क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, दोनों प्रश्नों को तोड़ा मरोड़ा गया है। दोनों एक नहीं हैं। एक को आज्ञा न मानने के कारण मुअत्तिल किया गया और दूसरे के प्रति जो शील भंग करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है, उसके सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये गये। लेकिन इसी बीच में मामला कोर्ट में दायर हो गया। अब निर्णय होने पर कार्यवाही जरूर करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उस मंत्री के विरुद्ध काफी अरसे से शिकायत चल रही थी और इसलिये ऐक्शन नहीं लिया गया कि पंचायत मंत्री की औरत खूबसूरत है और बी०डी०ओ० की आंख उस पर थी....

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, यही वाकया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो आपकी भाषा पर कह रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जब वे अपने प्रयत्न में कामयाब नहीं हो सके.... और बी० डी० ओ० के विरुद्ध एक बवंडर खड़ा हो गया सच्चाई का, तब उन्होंने यह कार्यवाही की?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, यह बात जो अभी माननीय सदस्य ने कही, सही नहीं है। यह शील भंग के सम्बन्ध में शिकायत अन्तिम बार जो उन्होंने दी है उसके पहले ५९ से लेकर ६३ तक के बीच में करीब-करीब चार बार वह निलम्बित किये गये और पदारूढ़ किये गये हैं। उनकी यह शिकायत पुरानी है।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)--

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जैसा कि कहा जाता है कि बी० डी० ओ० के खिलाफ भी कई वर्ष से शिकायत है तो जब यह प्रार्थना-पत्र स्त्री का पहुंचा तो क्या माननीय मंत्री जी उन सब फाइलों को मंगा करके और उसको देख कर के बी० डी० ओ० को सस्पेंड करने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय--

ज्यों ही मुकदमें का फैसला हो जायगा सारी चीजों पर विचार करके सरकार जरूर उस पर कार्यवाही करेगी?

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

जिस समय माननीय मंत्री जी को इस आशय का प्रार्थना-पत्र मिला कि उस अमुक बी०डी० ओ० ने शील भंग करने का प्रयत्न किया, उसके बाद ही उससे गुस्सा होकर उसने पंचायत मंत्री का ट्रांसफर किया और उस पर यह आरोप लगा कर सस्पेंड किया कि उसने आदेश का पालन नहीं किया, तो इन दोनों घटनाओं के बीच कितना समय लगा? क्या इसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास है?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह तो मैंने बहुत पहले निवेदन कर दिया कि १३-११-६३ को मुअत्तल किया है और शील भंग के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र १९ फरवरी, सन् ६४ को आया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि शील भंग जो कहा जाता है वह किस दिन हुआ और उसके कितने दिन बाद वह मुअत्तल हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह प्रार्थना-पत्र....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, प्रार्थना-पत्र नहीं, शील भंग के सम्बन्ध में जो शिकायत है वह क्या है कि किस तारीख को शील भंग करने का प्रयत्न किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मेरे पास जो सूचना है और जो उनकी पत्नी का लिखा हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ दूं उसको—

"दिनांक १९-२-६४, श्रीमती सुन्दर, पत्नी श्री अर्जुनदास, पंचायत मंत्री, विकास खन्ड, रेहराबाजार, जिला गोंडा द्वारा सामुदायिक विकास मंत्री को सम्बोधित पत्र की प्रतिलिपि—निवेदन है कि दिनांक ७-११-६३ को लगभग ५ बजे सायंकाल मेरे निवासस्थान पर श्री रामसरन मिश्रा, क्षेत्र विकास अधिकारी, रेहराबाजार, गोंडा जीप लेकर पहुंचे और मेरे पति...."

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। ७-११-६३ की घटना है।

श्री बंशीधर पांडेय—

वह सस्पेंड हुए हैं १३-११ को और यह दरख्वास्त दी है १९-२-६४ को।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

इस सदन के माननीय सदस्यों की, करीब-करीब अधिक लोगों की यह राय है कि इस बी० डी० ओ० ने इस पंचायत मन्त्री की पत्नी का शीलभंग करने का प्रयत्न किया है और माननीय सदस्यों की राय है कि उसको निलम्बित तत्काल कर दिया जाय, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसको मानने को तैयार हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं इस सदन के सभी सदस्यों की सारी भावनाओं की कदर करता हूं और उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं लेकिन चूंकि न्यायालय में मामला है इसलिये इस सम्बन्ध में.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उसके ऊपर आरोप है शीलभंग का, उसकी औरत कहती है कि यह प्रयत्न हुआ, तो यह चूंकि उसके ऊपर आरोप है और वह जेरे कार्यवाही है तो जब तक मुकदमा चलता है तब तक उसको सस्पेंड करने के लिये तैयार है सरकार ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक उसको हम कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, कोई जांच की कार्यवाही तो होगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मन्त्री, राममूर्ति जी ने कल कहा था और उन्हों ने यह आश्वासन दिया था कि कामचोर बी० डी० ओज० और दुश्चरित्र बी० डी०ओ० जो हैं ऐसे १०० बी० डी० ओज० को निकालने का आदेश उन्होंने दिया है। आज यह प्रश्न उठा है और ऐसा गम्भीर प्रश्न है कि एक महिला का शीलभंग करने का प्रयास किया गया और मुकदमें की आड़ में उसको मुअत्तल तक न किया जाय, इसमें कौन-सी कानूनी दिक्कत पड़ती है ? अगर बरी हो जायगा तो उसको री-इन्स्टेट कर दीजियेगा।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजनारायण मिश्र—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि मैं हाउस के सदस्यों की राय की कदर करता हूं और उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। इसके माने यह हुये कि अन्य सदस्यों की राय से सहमत हैं कि उसने शील-भंग करने का प्रयास किया तो फिर उसको सस्पेन्ड करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह मन्त्री जी के लिये कहना कि उसने प्रयास किया, बड़ा कठिन है। उन्होंने यह कहा कि यह आरोप है और उसके लिये मुकदमा चल रहा है। अब जो माननीय सदस्यों का मतलब है वह यह है कि यह आरोप इतने गम्भीर हैं कि उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो यह सरकार के लिये उचित है कि उसको सस्पेन्ड कर दें। उस बात को मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री जे० पी० मिश्र—

जब उनके ऊपर प्राइमाफेसी केस बन गया है तो उसको सस्पेंड करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

प्राइमाफेसी केस तब बनता है जब उसके ऊपर चार्ज लग जाते हैं। अभी वह केस अदालत में है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं यह निवेदन करूंगा कि उस बी० डी० ओ० को रेहरा बुलाकर आफिस में कर दिया जाय तो वह वहां रहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोग यह समझते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है तो इसके लिये नियम ५० है। उसमें बहस हो सकती है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को चतुर्थ क्वार्टर का आवर्तक अनुदान सरकार द्वारा न दिये जाने के कारण हजारों अध्यापकों का कई महीनों का वेतन बकाया है जिसके कारण असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो तत्काल आवर्तक अनुदान देने में क्या कठिनाई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश) —

इस प्रकार की कोई रिपोर्ट शासन के पास नहीं है। आवर्तक अनुदान दे दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलायेंगे कि सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक को कब आवर्तक अनुदान देने का आदेश किया है और निदेशक ने उस आदेश का पालन किस तारीख को किया।

श्री कैलाशप्रकाश —

आवर्तक अनुदान जो दिया जाता है प्राय: ४ किस्तों में दिया जाता है। तीन महीने की फ्री किस्त और आगे के लिये दी जाती है। इस वजह से जो सूचना है वह यह है कि पहली तीन महीने की अप्रैल, मई, जून की २७ अप्रैल तक दे दी गई थी। अगली ३ महीने की १८ जून तक दे दी गई थी, अगली तीन महीने की ६ सितम्बर, को दे दी गई थी। इसके पश्चात् १ महीने की दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ को दी गई। इसके पश्चात् जो अनुदान देना था, क्योंकि उसमें धनराशि कम रह गई थी जितना समस्त विद्यालयों को देना था इसलिये यहां शासन को जनवरी में उसको भेजा गया कि इतना रुपया और चाहिये, शासन को स्वीकृति लेना होता है वित्त विभाग से, उसमें समय लगा। उसके बाद फरवरी में यहां से आदेश चला गया कि यह रुपया मिल गया है और २० फरवरी को उन्होंने किस्त भेज दी।

श्री गेंदासिंह —

क्या यह सही है कि यह ग्रान्ट जितनी मन्जूर होती है उतनी हर वर्ष दे दी जाती है लेकिन वह समय पर न मिलने की वजह से स्कूलों को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो इसमें किस की खता है और उसका क्या इलाज मन्त्री जी सोचते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य का आशय समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि ग्रान्ट इन एड जो दी जाती है वह लेट डिक्लेयर होती है और उसी हिसाब से लेट दी जाती है। तो आप यह चाहते हैं कि वह समय पर डिक्लेयर हो और समय पर मिल भी जाय ताकि परेशानी न हो।

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा मैंने अभी निवेदन किया, ग्रान्ट तीन तीन महीने के लिये दी जाती है और वह पिछले साल की ग्रान्ट के हिसाब से हर तीन महीने पर दे दी जाती है। उसे रोका नहीं जाता। यानी अप्रैल, मई, जून की किस्त को अप्रैल में दे दिया जाता है, जुलाई, अगस्त, सितम्बर की किस्त को जुलाई में दे दिया जाता है, इस तरह से तीन बार देने के बाद उसे असेस किया जाता है और उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है पिछले साल के मुकाबले में, तो वह काट कर या जोड़ कर, अगर कम होती है तो काट कर, अगर ज्यादा होती है तो जोड़ कर, वह चौथी किस्त भी दे दी जाती है और उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सवाल केवल चौथे क्वार्टर का है। मैंने १३ तारीख को सरकार को सवाल दिया था और १९ को फैसला हो गया। अगर सवाल न गया होता तो हो सकता था कि मार्च के आखिरी हफ्ते में ग्रान्ट दी जाती। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें आपको दिक्कत क्या है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही या दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में ही आप चौथे क्वार्टर का फैसला कर दें और ग्रान्ट दे दें?

श्री कैलाशप्रकाश--

कभी-कभी एक दिक्कत पड़ जाती है जो इस में भी पड़ गयी। फैसला जनवरी में ही हो सकता था, लेकिन जब सारी ग्रान्ट जो देनी थी उसे जोड़ा गया तो पता लगा कि बजट में जितना प्राविधान है उतने में वह सारा पेमेंट नहीं हो सकता, उस के लिये और रुपया चाहिये। ऐसी परिस्थिति में निदेशालय शासन को लिखता है और शासन की जो प्रणाली है कि वह वित्त विभाग से परामर्श कर के उस रुपये का प्राविधान करता है। इसमें थोड़ी-सी देर लग जाती है। लेकिन मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य की शंका है वह इससे उठती नहीं। क्योंकि इस मामले में जो जनवरी में तनख्वाह बटनी थी उस के लिये ग्रान्ट दिसम्बर में ही दे दी गयी। जिस अनुदान के द्वारा उनको जनवरी की तनख्वाह बांटनी थी वह दे दी गयी थी। तो इसलिये वह शंका होनी नहीं चाहिये। यह बात जरूर है कि इस बात का प्रयास किया जाता है कि वह जल्द दी जाय। दूसरी दिक्कत यह है कि आज भी हमारे पास रिपोर्ट है कि मैनेजर्स ने अपने रिटर्न, कुछ संस्थाओं के मैनेजर्स ने, नहीं भेजे। तो जब तक मैनेजर्स रिटर्न न होंगे तब तक उसको एसेस करना मुश्किल होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि दिसम्बर में अधिकारियों के पास जब सारे रिटर्न आ जाने चाहिये थे तो वे दिसम्बर के बजाय जनवरी में क्यों भेजे गये और उसके बाद जब जनवरी में रिटर्न्स आ गये तो वित्त विभाग से मंजूरी लेने में इतना समय क्यों लगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मैनेजर्स रिटर्न यहां नहीं आते। वह डाइरेक्टोरेट में आते हैं और जब मैनेजर्स रिटर्न आ जाते हैं तो उन के अनुसार डाइरेक्टोरेट अनुमान लगाता है कि इतना रुपया और चाहिये। उस रुपये का प्राविधान अगर उस के पास नहीं होता तो पुनः उसे शासन को लिखना पड़ता है और शासन के लिखने के पश्चात् उसका प्राविधान कराने में जितनी देरी लगती है--कुछ तो लगती ही है--उतनी ही देरी लगती है। फिर भी इस बात का प्रयास किया जाता है और जो मौजूदा केस है उसमें तनख्वाह बांटने वाला प्रश्न होना ही नहीं चाहिये किसी इन्स्टीट्यूशन को।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या यह सही है कि मैनेजर्स रिटर्न अप्रैल मई में इलाहाबाद पहुंच जाते हैं और वहां ही ७-८ महीने पड़े रहते हैं ? तो क्या कारण है कि शिक्षा संचालक दफ्तर से पहले ही क्यों नहीं आ जाते जिससे सरकार को फैसला करने में कोई सहूलियत मिल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह बात सही है कि अप्रैल तक मैनेजर्स रिटर्न पहुंच जाना चाहिये, यह नियम है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि इस नियम को कुछ शिक्षा संस्थायें कड़ाई से मानती नहीं हैं, इसलिये देर लगती है। करीब १७-१८ सौ ऐसी संस्थायें होंगी, उनका एक दफ्तर में कैलकुलेशन होता है तो देर लगना स्वाभाविक है। या तो इतना जबरदस्त स्टाफ बैठा दीजिये कि १०-२० दिन में काम खत्म कर दिया जाय वरना देर तो होगी ही।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

फाउन्डेशन फार न्यु एजूकेशन संस्था से देवस्थानों का अलग किया जाना

*१--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

यू० पी० सरकार द्वारा इस शिक्षा संस्था से सरायमुहाना गांव की भूमि के समस्त देव स्थानों और पंचकोशी सड़क आदि के मांगे गये नक्शे, जिसे दुबारा संशोधित और शुद्ध करके इस

संस्था को सरकार के सम्मुख उपस्थित करना पड़ा था, के आधार पर जैसा कि गजट, भाग १, पृष्ठ ९५२, दिनांक ३ अक्तूबर, १९३० से स्पष्ट है, कौन-कौन देव-स्थान सरकार द्वारा इस शिक्षा संस्था के आधिपत्य से बाहर रखे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश —

राजकीय विज्ञप्ति संख्या एफ०-३४४, दिनांक २४ सितम्बर, १९३१ उत्तर प्रदेश गजट भाग १, दिनांक ३ अक्तूबर, १९३१ में पृष्ठ ९५२–९६१ पर प्रकाशित की गयी थी। यह विज्ञप्ति एक दूसरी विज्ञप्ति संख्या एफ०-८१६ दिनांक २१ नवम्बर, १९३६ के द्वारा रद्द कर दी गई और ऋषि बैली ट्रस्ट तथा राज्य सरकार के बीच किया गया समझौता संशोधित करके पुन : प्रकाशित किया गया। इस समझौते की शर्त ३ (ए) में जनता को मुहाल मुरतजा के प्लाट संख्या ९, १० और ११ में स्थित समाधि, गद्दी और कुआं में जाने के अधिकार पूर्ववत् रखे गये और उक्त प्लाटों में होकर जानेवाली पंचकोशी सड़क के प्रयोग का भी पूर्ववत् अधिकार जनता के लिये रक्खा गया।

श्री रघुनाथसिंह —

क्या मन्त्री जी किसी उच्च राज्याधिकारी द्वारा इस बात की जानकारी करायेंगे कि परम सिद्ध कच्चा बाबा की साधना भूमि और तपस्या स्थान, जिनसे मिलने पंचम जार्ज भी आये थे, जहां पर ३० गांव की जनता इकट्ठी होती है और उसके सम्बन्ध में १९३६ में समझौता हुआ उसके अनुसार जो भूमि और देव-स्थान इस संस्था के बाहर रोकी गयी थी क्या वह स्थान और देव भूमि उसी संस्था के कब्जे के बाहर रह सके हैं या किसी संस्था ने ले लिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस सम्बन्ध में श्रीमन् सूचना नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य जैसा कहते हैं उसे लिख कर यदि वे देंगे तो जांच करा ली जायेगी।

श्री रघुनाथसिंह —

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस संस्था ने १९३६ के समझौते को तोड़कर इन दैवीस्थानों के विरुद्ध बड़ा मुकदमा इस दावे का लड़ा कि सरायमुहाना में कच्चा बाबा की समाधि ली ही नहीं, किन्तु सर्वश्री भीष्मदत्त पाठक, फतेहनारायण सिंह जैसे विशिष्ट नागरिक तथा पं० उमाकान्त पांडेय, मुं० हजारीलाल तथा शरणशंकर जैसे बड़े वकीलों की निःशुल्क पैरवी से संस्था हार तो गई परन्तु कच्चा बाबा के परम वृद्ध शिष्यों से बराबर मुकदमा लड़ते रह कर उनके जीवन को परम संकटमय बना रक्खा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसकी सूचना नहीं है।

तरबगंज तहसील के कलेक्शन नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

*२—श्री विष्णुप्रतापसिंह, श्री बब्बनसिंह, श्री शीतलाप्रसाद, श्री ईश्वर शरण (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) —

क्या राजस्व मन्त्री इस बात की तुरन्त जांच कराने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में कितनी दरख्वास्तें नायब तहसीलदार, कलेक्शन तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के खिलाफ गुजरी और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में ७ और १९६३–६४ में अब तक ६ (१ तार को मिलाकर) दरख्वास्तें गुजरीं। यह सब श्री गया प्रसाद सिंह के नाम से थीं। इन की जांच की गई। जांच के दौरान में श्री गया प्रसाद सिंह ने तार व अन्य कई दरख्वास्तों का भेजना स्वीकार नहीं किया। केवल एक आरोप का उन्होंने समर्थन किया परन्तु प्रमाणित न कर सके।

चकबन्दी अधिकारी

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कितना स्टाफ गजेटेड और नान-गजटेड आफिसर रैंकों में पांच साल से काम कर रहा है? सरकार ने कितने उक्त आफिसर रैंकों के व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजा है? यदि नहीं भेजा, तो क्यों?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गजेटेड तथा नान-गजेटेड रैंकों में क्रमश: ७८ तथा ५०४ अधिकारी गत पांच वर्षों से काम कर रहे हैं। मई सन् १९६३ से सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति आयोग के अधिकार क्षेत्र में कर दी गई है। इसके बाद अभी तक आयोग के सामने कोई अधिकारी नहीं गया है। आयोग ने ४० सहायक चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये परीक्षा जनवरी, ६४ में लेने की विज्ञप्ति प्रकाशित की है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मई सन् १९६३ के पहले भी जो चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी नियुक्त किये गये थे उनको भी आयोग की स्वीकृति के लिये भेजा जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ८ वर्ष चकबन्दी होते हुये हो गये और ८ वर्ष से उस विभाग में गजेटेड और नान-गजेटेड कर्मचारी काम कर रहे हैं तो अब ८ वर्ष बाद इनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजने का तथा पहले न भेजने का क्या कारण है?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

पहले विभाग समझता था कि यह काम अच्छा करेंगे और उनके चुनाव की जरूरत नहीं है, लेकिन तजुर्बे ने बताया तो हमने २ मई, १९६३ को यह निर्णय लिया और पालिसी को बदल दिया और उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के अख्तियार में ला दिया और वह कार्यवाही करें उस सम्बन्ध में।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मई, १९६३ को गुजरे भी ९, १० माह हो गये हैं, तो अभी तक उन अधिकारियों को, उस आदेश के बाद भी, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्यों नहीं भेजा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एडवर्टिजमेंट हो गया है, वे जाना चाहेंगे जावेंगे।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी के खिलाफ अपीलें

*४—श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी क्षेत्र, घाटमपुर तहसील, जिला कानपुर में चकबन्दी होने के समय कुल कितने चक किसानों के कटे तथा चकतराशी से असन्तुष्ट होकर कितने किसानों ने क्रमश: सी० ओ०, ए० ओ० सी० और डी० डी० सी० के यहां उक्त समय में अपीलें कीं और प्रत्येक अदालत में कितनी अपीलें बहाल हुयीं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कानपुर जिले की तहसील घाटमपुर में चकबन्दी होने के समय किसानों के कुल ५२,८५७ चक कटे तथा चकतराशी से असंतुष्ट होकर किसानों ने कुल ५,७६५ आपत्तियां चकबन्दी अधिकारी के न्यायालयों में प्रस्तुत की जिनमें से ४,३४४ आपत्तियां बहाल हुई। बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) के न्यायालय में चकबन्दी अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध १,८९१ अपीलें दाखिल की गईं जिनमें से १,२६४ अपीलें बहाल हुईं। इसी प्रकार बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) के निर्णय के विरुद्ध ३३४ अपीलें जिला उपनिदेशक चकबन्दी के न्यायालय में दाखिल की गई जिनमें से ६८ अपीलें बहाल हुईं।

*५—श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र में ए० सी० ओ०, सी० ओ० तथा एस० ओ० सी० के खिलाफ कितने किसानों ने १९६२ और १९६३ में शिकायती प्रार्थना-पत्र उच्च अधिकारियों को प्रेषित किये तथा उन शिकायती पत्रों में कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र थे जो क्षेत्रीय विधायक की सिफारिश पर प्रेषित किये गये, उक्त प्रार्थना-पत्रों की जांच किन-किन डी० डी० सी० द्वारा की गयी? क्या उनकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१९६२ तथा १९६३ के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र से सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के विरुद्ध क्रमशः ३८, २ तथा १, शिकायती पत्र उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुये जिनमें से कुल १५ प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रेषित किये गये थे। इनमें से दो प्रार्थना-पत्रों की जांच सर्वश्री गोपाल मिश्र तथा फजली अहमद खां, उपनिदेशक चकबन्दी द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

*६—श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि चकबन्दी होने के समय डी० डी० सी० ने घाटमपुर में किसी चकबन्दीकर्ता की अनुपस्थिति में ताला तोड़ कर कागजात का निरीक्षण किया, घटना के समय आम जनता एकत्र हो गयी और उसके समक्ष चकबन्दी कर्मचारियों व अधिकारियों की डी० डी० सी० ने कटु आलोचना की? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित घटना की जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार उपनिदेशक चकबन्दी ने घाटमपुर तहसील में किसी चकबन्दीकर्त्ता की अनुपस्थिति में ताला तुड़वाकर कागजात का निरीक्षण नहीं किया। अतएव प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

पुस्तकालयों को अनुदान

*७—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट ने पुस्तकालयों को अनुदान सन् १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३, में कितना-कितना हर साल किन पुस्तकालयों को दिया?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कौन-कौन समाचार-पत्र या मासिक पत्रिकायें इन पुस्तकालयों, वाचनालयों के लिये स्वीकृत हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अमदही गांव में सुरक्षा कोष के लिये वसूली व श्री बी० पी० सिंह चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

*९—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० पी० सिंह, ए० सी० ओ० बरहतिर जगदीशपुर, जिला आजमगढ़ ने अमदही, ग्राम से जनारधन, रज्जू यादव, किशुन देव सिंह, धारी यादव, ब्रजमोहन, सूरजबली चिखुरी, लोदी, मोहन, दूब नाथ, फूलचन्द, खंग नारायण, सुमेर, बसीरहसन, रामेश्वर झिनकू, काशी प्रसाद सिंह, जन्ना और बसावन आदि से कुल कितना पैसा सुरक्षा फण्ड में लिया है ? क्या यह पैसा रसीद द्वारा वसूल किया गया है और सुरक्षा कोष में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अमदही गांव से कुल २३९ रुपया सुरक्षा कोष में चकबन्दी अधिकारी तथा बी० डी० ओ० ने प्राप्त किया। श्री बी० पी० सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी ने भी सहयोग दिया । प्रश्न में उल्लिखित लोगों में से खंग नारायन नाम का कोई आदमी गांव में नहीं है । बसीर हसन गांव में उपस्थित नहीं था । उपयुक्त सभी रुपयों की रसीद दी गई तथा सुरक्षा कोष में जमा किया गया ।

*१०—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ नवम्बर, १९६२ को होने वाली यू० पी० चकबन्दी स्थाई समिति में श्री झारखंडे राय तथा प्रश्नकर्त्ता ने कोई आवेदन-पत्र श्री बी० पी० सिंह, ए० सी० ओ० के विरुद्ध माननीय माल मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

दिनांक १२-११-६३ को हुई यू० पी० चकबन्दी परामर्शदात्री समिति में सर्व श्री झारखन्डे राय तथा प्रश्नकर्त्ता महोदय ने श्री बी० पी० सिंह, ए० सी० ओ० के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की थी वह जांच करने पर निराधार पायी गई ।

श्री सुरजनराम विशारद—

कुल २,१०० रुपये की वसूली की दरख्वास्तें मेरे पास मौजूद हैं, तो बाकी आदमियों से कितना रुपया अलग-अलग वसूल किया गया और उसकी रसीदें दी गई हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जितना बतलाया है वह वसूल हुआ और उसकी रसीद दी गई ।

श्री सुरजनराम विशारद—

इन आदमियों से अलग-अलग कितना रुपया वसूल किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमने जवाब दे दिया है जो इत्तला हमारे पास थी उसका ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या मंत्री जी इस बात का आदेश देंगे कि जुडिशियल या सेमी जुडिशियल अफसर जो सुरक्षा या कोई चन्दा वसूल करते हैं वे न्याय के हित में ऐसा न करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

पर्टीकुलर केस बता वें तो जांच कराई जा सकती है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

सभी अदालतों ने डिब्बे रखे हुये हैं, सिविल कोर्ट्स को छोड़ कर और चन्दा जमा करती हैं । बस्ती जिले में जुडिशियल अफसर, एस० डी० एम० सभी चन्दा वसूल करते हैं, मैंने कराया है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं परसों बस्ती जा रहा हूं । इसका पता लगाऊंगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

आप ऐसा आदेश देंगे कि भविष्य में ऐसा न किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं कह दूंगा कि मत करो ।

श्री सुरजनराम विशारद--

यह जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

एस० ओ० सी० ने की थी ।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या वह जांच माननीय प्रश्नकर्त्ता और माननीय झारखंडे राय के सामने हुई थी या नहीं और उनसे भी पूछा गया था या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

एस० ओ० सी० ने जांच की । बाकी के लिये नोटिस चाहिये ।

गाजीपुर जिले में नाला व सड़क का निर्माण

*११--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के ग्राम अविसहन, भड़सर, हंस राजपुर होते हुये जो सड़क बहरियाबाद को गई है उस सड़क पर एक नाला ग्राम भड़सर के पास तथा दो नदी मंगई व बैसों हैं जिन पर पुल नहीं है ? क्या सरकार उन पर पुल बनवाने का विचार करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री जगनप्रसाद रावत--

मुझे कोशिश करने पर सुबह ही कुछ सूचना मिली है । यदि आपकी आज्ञा हो, तो बता दूं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय झिलमिट राम, आपके पास पहुंची नहीं है । अगर आप चाहें तो बता दी जाय ?

श्री झिलमिटराम--

बता दी जाय ।

श्री जगनप्रसाद रावत--

जिला गाजीपुर में एक सड़क ३ मील लम्बी विरना ब्लाक में भड़सर से जैरामपुर तक रूरल मैनपावर स्कीम में बनाई जा रही है । इस सड़क पर एक नाला भड़सर के पास पड़ता है । इस पर पुल प्रायः १ साल में बन कर तैयार हो जायगा ।

श्री झिलमिटराम--

क्या माननीय मंत्री जी मंगई और बैतों नदियों पर पुल बनवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इसका अभी कोई विचार नहीं है ।

कानपुर व फर्रुखाबाद जिलों में चकबन्दी

*१२--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कानपुर, फर्रुखाबाद जिलों में जिन तहसीलों में चकबन्दी की गई है वहां नहर तथा नलकूप से सिंचाई की नालियों के लिये पानी के ढाल को देखते हुये नालियों के हेतु भूमि छोड़ने की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे किसानों में तमाम झगड़े आपस में बढ़ रहे हैं और नालियां समाप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो इसके सुधार व नालियों के बनाने के हेतु सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिला कानपुर तथा फर्रुखाबाद में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत पानी के ढाल के अनुसार नहर तथा नलकूप की नालियों के लिये आवश्यकतानुसार भूमि छोड़ी गई है । कहीं कहीं कच्ची टेढ़ी-मेढ़ी नालियों को भी चक काटते समय, पानी के बहाव का ध्यान रखते हुये, सीधा कर दिया गया है । कोई आपत्ति इस प्रकार की नहीं आई कि किसानों में नालियों को लेकर झगड़े हुये हैं तथा उनमें असंतोष है ।

सलेमपुर तहसील में बाढ़ व ओलापीड़ितों को सहायता

*१३--श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में जो ग्राम सन् १९६२-६३ में बाढ़ग्रस्त तथा ओला पीड़ित हो गये थे, उनमें किन-किन ग्रामों की और कितनी-कितनी मालगुजारी माफ की गई है ? उक्त ग्रामों में बाढ़ तथा ओला से क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी-कितनी मुफ्त सहायता तथा कितनी तकावी बांटी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वर्ष १९६२-६३ में उक्त तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी में कुल रु० २२,४८,७९५.८६ नये पैसे की छूट और २,६७,३९० रुपये की तकावी तथा पर्याप्त मात्रा में दैनिक उपयोग की वस्तुयें दी गयीं । ग्रामवार विवरण काफी बड़ा है, उसे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ओले से कोई क्षति इस तहसील में वर्ष १९६२-६३ में नहीं हुई । अतः कोई सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वजीरगंज ग्राम सभा की भूमि

*१४--श्री विष्णुप्रतापसिंह तथा श्री बब्बनसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा वजीरगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के प्रधान ने बिना ग्राम सभा की मीटिंग बुलाये, व गांव सभा की मीटिंग में नियमित ढंग से पास कराये बगैर, उस ग्राम सभा की भूमि का वितरण किया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

गांव सभा की भूमि का नहीं बल्कि शासन की भूमि का अनियमित वितरण किया ।

*१५--श्री विष्णुप्रतापसिंह तथा श्री बब्बनसिंह--

क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा के सदस्यों ने इस गलत ढंग से वितरण की हुई जमीन की जांच हेतु एस० डी० ओ०, तरबगंज के यहां गत माह जून या उसके बाद कोई मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां । अतिरिक्त उप मण्डलाधीश द्वारा नीलाम रद्द कर दिया गया ।

*१६--श्री विष्णुप्रतापसिंह तथा श्री बब्बनसिंह--

क्या खण्ड विकास अधिकारी, वजीरगंज, जिला गोंडा, ने गत अप्रैल में उपरोक्त गांव सभा के कागजात का मुआइना किया था ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त गांव सभा के प्रधान के विरुद्ध कोई जांच करायेगी जिससे तुरन्त यह गलत वितरण बन्द हो ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां । मुआइना किया था । जो गलती पायी गईं उन पर प्रधान का स्पष्टीकरण लिया गया । सरकार अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझती ।

श्री विष्णुप्रतापसिंह--

क्या मंत्री जी शासन की भूमि के गलत वितरण के लिये प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अब उनके खिलाफ इनक्वायरी हो रही है । एक्सप्लेनेशन मांगा गया है । वह आ जाय तब जो मुनासिब होगा, किया जायगा । क्वैश्चनर ने भी गलती की है । वह गांव सभा की जमीन नहीं है । वह सरकारी जमीन है । गलती हो जाती है ।

सोरांव---होलागढ़ सड़क

*१७---श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की तहसील सोरांव के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तरी इलाके सोरांव से दहियवां बहादुरपुर ग्राम होते हुये वे कोई सड़क का निर्माण करने जा रहे हैं, जैसा कि वहां की जनता की मांग है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सोरांव से होलागढ़ तक सड़क निर्माण-कार्य स्वीकृत हो चुका है । होलागढ़ से आगे दहियवां की ओर इस सड़क निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

*१८---श्री बंशीलाल (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को सोरांव की जनता का उक्त सड़क बनाने के बारे में दिनांक १३ अक्तूबर, १९६१ को प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सोरांव क्षेत्र के निवासियों का प्रधान मंत्री को सम्बोधित एक पत्र मसूराबाद डेरवा सड़क के निर्माण हेतु १९६१ में प्राप्त हुआ था । प्रार्थियों को सूचित कर दिया गया था कि तृतीय योजना-काल में इस सड़क का निर्माण संभव नहीं है ।

बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं को इनाम

*१९---श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन महिलाओं ने जो प्राइवेट हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षा में बैठी हैं धारा २८० (बी) (१) और धारा २८० (बी) २ एजूकेशन कोड के अनुसार इस वर्ष प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से किन-किन को रिवार्ड मिला ? क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जब ३१ अगस्त, १९६३ तक सभी प्रार्थना-पत्र डायरेक्टर आफ एजूकेशन या रीजनल इंसपेक्टर्स के पास पहुंच गये, तो रिवार्ड पाने वालों की सूची अब तक क्यों नहीं प्रकाशित की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---

"शिक्षा संहिता" की धारा २८० बी (१) तथा २८० बी (२) के अनुसार इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने वाली जिन बालिकाओं ने इनाम (Reward) के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और जिनको इनाम दिया गया । उनके नाम संलग्न सूची "क" और "ख" में दिये गये हैं । इनाम पाने वाली सभी बालिकाओं की सूची सम्बन्धित मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका को इनाम के भुगतान के लिये भेजी जा चुकी है । इनाम पाने वाली बालिकाओं की सूची समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाती ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२२ पर)

बीकापुर तहसील में हरिजन चपरासी व अमीन

*२०---श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फैजाबाद की बीकापुर तहसील की वसली में इस समय कितने अमीन हरिजन हैं और चपरासियों में कितने हरिजन चपरासी रखे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इस समय फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील में एक हरिजन अमीन तथा ५ हरिजन चपरासी कार्य कर रहे हैं ।

*२१--श्री धूमप्रसाद (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा तहसीलदार ने कितने हरिजनों को अमीन व चपरासी का काम दिलाने की सिफारिश कलेक्शन आफिसर से की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वर्तमान तहसीलदार ने ४ हरिजन चपरासियों की नियुक्ति की सिफारिश कलेक्शन अफसर से की थी और उन सबको नियुक्त कर लेने के आदेश दे दिये गये थे ।

अजमतगढ़ प्रारम्भिक पाठशाला की भूमि

*२२--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को इस बात का पता है कि आजमगढ़ में अजमतगढ़ विकास क्षेत्र के प्रमुख श्री काशीनाथ सिंह ने अजमतगढ़ प्रारम्भिक पाठशाला की भूमि को अपने अथवा अपने किसी सम्बन्धी के नाम बयनामा लिखाया है और इस भूमि पर कब्जा करने के लिये प्रयास कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस सार्वजनिक संस्था के हित के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

पता लगा है कि पाठशाला से लगी हुई भूमि पर जिसमें पाठशाला के बच्चे खेलते हैं, श्री काशीनाथ सिंह जी ने अपने तथा अपने भाइयों के नाम पर बयनामा करा लिया है । उक्त भूमि पर कब्जा करने का कोई सक्रिय प्रयास अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया है । परगनाधीश मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रासनसिंह--

मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश किस बात की जांच कर रहे हैं जबकि उन्होंने बयनामा लिखा लिया है, आज नहीं तो कल वह कब्जा कर ही लेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जांच इस बात की कर रहे होंगे कि वह जमीन है किसकी । उस जमीन में विद्यालय के बच्चे खेलते हैं । बच्चे दूसरे की जमीन पर भी खेल सकते हैं । जांच इस बात की हो रही है कि वह जमीन किस की है, बयनामा गलत करवाया या सही करवाया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

उस विद्यालय के कब्जे में वह जमीन कितने दिनों से थी, जिस पर बच्चे खेलते थे और जिसका बयनामा करवाया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया ।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि परगनाधीश कब से जांच कर रहे हैं और कब तक जांच होती रहेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

कब से जांच हो रही है । इसकी तिथि नहीं है लेकिन उनसे कहा गया है कि जल्दी इस बात की जांच करें ।

श्री इन्द्रासनसिंह---

मंत्री महोदय ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि वह जो सार्वजनिक हित की जमीन है उनका बयनामा भर कर या भरवा कर उनको किसी किस्म का कम्पेन्सेशन देकर स्कूल की जमीन ले लें ?

श्री अध्यक्ष---

अभी तो जांच हो रही है ।

सहारनपुर-दिल्ली वाया नागल मार्ग

*२३---श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

क्या पी० डब्ल्यू० डी० मंत्री सहारनपुर से देहली को वाया (via) नागल मिलाने की योजना पर विचार करने की कृपा करेंगे जिससे कि सफर सीधा हो जाय ? यदि हां, तो ग्राम लाखनौर, परगना हरौडा पर पुल या causeway बनाने पर वे विचार करेंगे ? यदि ऐसा विचार नहीं है, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं ।

प्रस्तावित कार्यों के निर्माण का प्राविधान सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में नहीं है ।

श्री जयगोपाल---

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि सहारनपुर से दिल्ली वाया नंगल जो सड़क है वह बहुत महत्वपूर्ण है, अगले साल के बजट में, इसकी तजवीज पर गौर करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सहारनपुर से दिल्ली के लिये दूसरी सड़क मौजूद है और इस समय मैं इसके महत्व को नहीं समझ पाया कि जब बहुत सी सड़क बाकी पड़ी हुई हैं, एक ही क्षेत्र में हम दो सड़क क्यों बनाएं ।

श्री जयगोपाल---

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि इस नयी सड़क के बन जाने से कई मील का फासला कम हो जायगा, २० मील के तक़रीबन और दिल्ली जाने के लिये जो मौजूदा सड़क है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है वह भी कम हो जायगा ।

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं । ऐसी बात नहीं है । केवल सात मील का फर्क पड़ता है ।

गाजीपुर सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सरकारी प्रबन्ध में लेना

*२४---श्री राजनाथसिंह तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार को गाजीपुर जनपद के नागरिकों की ओर से सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को राजकीय विद्यालय के रूप में परिवर्तन करने के प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६३ में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां, नवम्बर, दिसम्बर, १९६३ तथा जनवरी, १९६४ में ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । मामला विचाराधीन है ।

*२५—श्री राजनाथसिंह तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या उक्त विद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रेषित गत तथा इस वर्ष दिसम्बर में इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि बिना अतिरिक्त व्यय बढ़ाये भी इस विद्यालय का प्रान्तीयकरण किया जा सकता है ? यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, जनवरी, १९६४ में ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। समस्त मामला विचाराधीन है।

श्री राजनाथसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि कब तक अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना संभव है ? ऐसा करने में क्या कठिनाई पड़ने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस प्रश्न से अगर आपका आशय यह है कि उसका राष्ट्रीयकरण किये जाने में क्या कठिनाई है, तो वह कठिनाई सिर्फ धन की ही हो सकती है। यह कहना कि राष्ट्रीयकरण करने में कोई अधिक धन की आवश्यकता न होगी, संभवतः सही नहीं है। इसका निर्णय शीघ्र ही करने की कोशिश की जायगी।

श्री राजनाथसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार रामपुर बिजली कम्पनी में हुआ है कि वहां के मुलाजिमों से एग्रीमेंट हो गया है कान्ट्रेक्टेड सर्विस के आधार पर और वहां खर्चा नहीं बढ़ा है। तो क्या यहां भी कान्ट्रेक्टेड सर्विस के आधार पर स्कूल लेने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य और शिक्षक यह विचार करते होंगे लेकिन सरकार तो परीक्षा करके देखेगी, तभी फैसला लेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि गाजीपुर सिटी माध्यमिक विद्यालय एक प्राइवेट संस्था नहीं है उसको १९१४ में जर्मनी मिशनरियों ने सरकार को दे दिया था ? उसकी सारी संपत्ति पर सरकार का अधिकार है फिर वहां पर सरकारी नियम लागू क्यों नहीं किये जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस विद्यालय का इतिहास तो मुझे कुछ पता है लेकिन उसके बावजूद भी यह विद्यालय राजकीय विद्यालय नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के अधिकार में है लेकिन उसके बावजूद भी वह एक सरकारी संस्था नहीं है, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट संस्था में फर्क होता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि इन्टरमीडिएट अमेंडमेंट ऐक्ट के अनुसार दो प्रकार के ही इन्स्टीटयूशन्स को मान्यता दी जाती है—एक तो मैनेजिंग कमेटी के द्वारा चालित और दूसरे सरकारी, तो क्या यह संस्था दोनों संस्थाओं के अन्तर्गत नहीं आती है ? फिर यह विद्यालय किस के अन्तर्गत आता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष--

इसको वकीलों पर छोड़ दीजिये। यह राय का सवाल हो सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा प्रश्न है कि चूंकि उस सम्बन्ध में कानूनी दिक्कतें पेश हो रही हैं और उसके परिणामस्वरूप इस संस्था की स्थिति खराब है, उसको दुरुस्त करने के लिये सरकार उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने तो निवेदन किया ही कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह कि उस संस्था की स्थिति खराब होती जा रही है, इस बात की सूचना यहां नहीं है। हम कानूनी ढंग से जो कुछ हो सकता है, करेंगे। जहां तक उस संस्था में पढ़ने लिखने की चीजों का ताल्लुक है, उस संस्था का कार्य चल रहा है और उस संस्था के टूटने का कोई अन्देशा नहीं है।

मैनपुरी के राजनीतिक पीड़ितों को काशीपुर के ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर से रुपया वापस न मिलना

*२६--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ४७-४८, दिनांक ७ अप्रैल, १९६० के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेगी कि श्री सूबेदार और बेवर तथा बहुत से मैनपुरी के राजनीतिक पीड़ितों ने सन् १९६१-६२, १९६२-६३ ई० में अपने-अपने रुपये को वापस करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व (ग) विभाग, लखनऊ को व जिलाधीश, नैनीताल को बहुत से प्रार्थना-पत्र भेजे हैं पर अब तक रुपया प्राप्त नहीं हो सका है और न रसीदें ही मांगी गयी हैं ? यदि हां, तो यह रुपया अब किस तारीख तक दे दिया जायेगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

रुपये वापस किये जाने के बारे में केवल ३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं :--

(१) श्री काछी का १०० रु० सन १९६० में वापस कर दिया गया था।

(२) श्री सूबेदार का १०० रु० वापस किये जाने के बारे में जिलाधीश, नैनीताल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(३) श्री नाथूराम गुप्ता बेवर ने अभी केवल १ मास पूर्व सरकार को अपना रुपया वापस किये जाने के बारे में लिखा है। उनका प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, नैनीताल के पास आवश्यक कार्यवाही तथा बाद जांच रुपया वापसी के लिये भेज दिया गया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कई राजनीतिक पीड़ितों का रुपया बहुत वर्षों से जमा है, उनको अगर जमीन नहीं दी जा सकती तो जिस तरह से हमारा रुपया मनी आर्डर से वापस कर दिया गया है उसी तरह से उनका रुपया भी उनके घर के पते से सरकार वापस करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अगर वे दरख्वास्त देंगे तो हम जरूर भेज देंगे। इसमें हमको जरा भी तआम्मुल नहीं होगा।

सूरजपुर दुबारी बांध पर ढाल निर्माण

*२७—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा २२ सितम्बर, सन १९६२ ई० का प्रेषित उन्हें कोई पत्र मिला है जिसमें ग्राम सभा सिकड़ी कोल, दुबारी, रामपुर के प्रधानों तथा अन्य ग्रामीणों का प्रार्थना-पत्र नत्थी है तथा जिसमें ढाल और पुलिया बनाने की मांग सूरजपुर दुबारी विभागीय बांध पर की गयी है? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर कौन-सी कार्यवाही हुई और परिणाम क्या निकला?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र के साथ प्रधान, ग्राम सभा मेहदिया, सिकड़ी कोल, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सूरजपुर दुबारी बांध पर केवल ढाल के निर्माण की प्रार्थना की गई थी। उस ढाल का कार्य समाप्त हो गया है।

*२८—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कैलाश—

[१७ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले में जमीन के पट्टे तथा ग्राम सभा, भानपुर के सभापति के विरुद्ध शिकायत

*२९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्राम अमीना पांडेय, परगना रसूलपुर, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती, में बाहरी आदमियों और तहसील के सीजनल कर्मचारियों को पट्टे जमीन के दिलाये गये और भूमिहीनों की उपेक्षा की गयी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं। ऐसा नहीं हुआ।

*३०—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार यह बतायेगी कि गांव सभा, भानपुर बाबू, जिला बस्ती में आबादी तथा खेती योग्य जमीन, पिछली बिक्री एवं सिंघाड़ा बुवाई का जंगल बिक्री-कर का कितना धन सन् १९५९ से १९६३ तक सभापति द्वारा गबन किया गया? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

धन गबन होने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवानदीन—

क्या सरकार इस बात को सही मान कर पुनः जांच कराने का कष्ट करेगी?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहते हैं कि फिर जांच हो, तो कुछ तथ्य देकर फिर प्रश्न कीजिये।

कोंच-उरई सड़क तथा पहुज नदी पर पुल

*३१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में कोंच-उरई रोड को लेने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के पुनर्निर्माण अथवा सुधार का कार्य सड़कों तथा पुलों की किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है, जिसके अभाव में, इसको सरकार द्वारा लेने में कोई लाभ नहीं होगा।

*३२—श्री विजयसिंह—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में नदीगांव रोड पर पहुज नदी पर पुल बनवाये जाने की कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्य किस स्टेज पर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के निर्माण का कार्य राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और मुख्य अभियन्ता को इसका आगणन बनाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल का साइट प्लान बनाने के लिये इंजीनियर लखनऊ से जायेंगे या जो वहां पर लोकल पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर हैं, वही उसे तैयार करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पुल की डिजाइनिंग तो यहीं से होती है लेकिन प्रारम्भिक सर्वे वगैरह लोकल इंजीनियर ही करते हैं। स्वीकृति यहीं से होती है।

श्री विजयसिंह—

नदीगांव रोड पर पहले ३ मील तक सड़क बनी थी और वह अभी तक नहीं बन पाई, तो क्या मन्त्री जी उस पुल को फिर से बनाने के लिये और उसकी देख-रेख के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब पुल बनायेंगे तो देखरेख करनी ही होगी।

गाजीपुर जिले में सई नदी के पुल के निकट सड़क काटना

*३३—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, तहसील युसुफपुर मुहम्मदाबाद जो सड़क अलावलपुर, गंगवली, कासिमाबाद, बहादुरगंज होती हुई मऊ, जिला आजमगढ़ को जाती है उस पर ग्राम सलामतपुर के निकट में सई नदी पर एक पुल का निर्माण हो चुका था ? यदि हां, तो इस पुल की बगल में सड़क क्यों कटवा दी है जिससे इस क्षेत्र की जनता को यातायात में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है ? क्या मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में १३ दिसम्बर, १९६३ को कोई प्रार्थना-पत्र भी मिला है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां, सन् १९६२ की बाढ़ में पुल एक खतरनाक स्थिति में हो गया था क्योंकि बाढ़ के पानी के निकास के लिये पुल की लम्बाई पर्याप्त नहीं थी। चूंकि पुल के आगामी बाढ़ में ध्वस्त हो जाने की आशंका थी अतएव पानी के निकास के लिये लगभग ४० फीट सड़क काट दी गई। प्रश्नकर्ता का १३ दिसम्बर, १९६३ का पत्र प्राप्त हुआ था। पुल के बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और तीव्र प्रगति पर है।

श्री रघुवीर--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के आने से पहले पुल के करीब सड़क क्यों काटी गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

बात यह है कि पहले से नहीं काटी जाती तो जो पुल है वह भी बह जाता और सम्भालने की गुंजायश नहीं रहती।

श्री रघुवीर--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त यह पुल निर्मित हो रहा था उसके पहले पुल निरीक्षणकर्ता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पुल की लम्बाई कम है। तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

उसकी जांच नहीं हुई, वह पुरानी तफसील मेरे पास नहीं है।

चकबन्दी कर्मचारी

*३४--श्री रामअधार कनौजिया तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में कितने शासकीय कर्मचारी भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम में काम कर रहे हैं तथा उनमें पांच वर्ष से अधिक अवधि के भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम में कितने कर्मचारी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिलों से सूचना एकत्र की जा रही हैं।

*३५--श्री रामअधार कनौजिया तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग के भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम के कितने पदों को स्थाई करने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई तथा इनमें से कितने कर्मचारियों को स्थाई किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

चकबन्दी विभाग स्वयं अस्थायी है। इस विभाग के किसी पद को स्थायी करने की स्वीकृति सरकार द्वारा अभी नहीं दी गई है। अतएव उन पदों पर किसी कर्मचारी को स्थायी भी नहीं किया जा सका।

नोट--तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इण्टरमीडिएट कृषि पाठ्यक्रम के लिये पुस्तकें

*३६—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६३–६४ में इण्टरमीडिएट कृषि पाठ्यक्रम में छात्रों के लिये हिन्दी विषय हेतु जो पुस्तक स्वीकृत की गई हैं क्या उसके सम्बन्ध में यू० पी० बोर्ड के कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी ? यदि हां, तो वह आपत्तियां क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पुस्तकों की स्वीकृति का निर्णय परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से हुआ था।

प्रश्न का दूसरा तथा तीसरा भाग नहीं उठता।

*३७—श्री बाबूलाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुस्तकें स्वीकृत करने का क्या क्राइटेरिया है ? क्या उक्त पुस्तकें उस क्राइटेरिया के अनुसार ठीक हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पुस्तकें स्वीकृत करने का क्राइटेरिया पुस्तकें आमंत्रित करने की विज्ञप्ति में घोषित किय जाता है। बोर्ड के विनियमों के अनुसार पुस्तकों का चयन समीक्षकों की आख्या के उपरान्त परिषद् सम्बन्धित विषय तथा पाठ्यक्रम समिति की सिफारिश पर करती है। इस समस्त प्रक्रिया से प्रतीत होता है कि बोर्ड ने पुस्तकें प्रकाशित क्राइटीरिया को समक्ष रख कर ही चयन किया है।

*३८—श्री बाबूलाल—

क्या यह सत्य है कि उक्त पुस्तकों का रिव्यू हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में हुआ था ? यदि हां, तो मान्यता क्यों प्रदान की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। समीक्षकों ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत की थी। समीक्षा की भाषा के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिये समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पुस्तकों का चयन किया गया।

देहली-आगरा सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*३९—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहली-आगरा सड़क में मथुरा जिले की जमीन जो ली गयी उसमें किसानों को मुआवजे के लिये कितने रुपये दिये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कथित सड़क के लिये ली गई भूमि का किसानों को कुल २०,१९६.५५ नया पै० (बीस हजार एक सौ छियानवे रुपये ५५ नया पैसे) मुआवजा दिया गया है।

*४०—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि ग्राम अकबरपुर, तहसील छाता (मथुरा) के एक किसान के मकान को इस सड़क के कारण तोड़ डाला गया था ? यदि हां, तो उसकी क्या कीमत थी और उक्त किसान को सरकार ने कितने रुपये मुआवजे के दिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सम्बन्ध में अभी जांच की जा रही है।

[६ मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बांदा जिले में पुल व सड़कें

*१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदौसा, जिला बांदा, में जो पुल बांधे नदी में तेरह लाख की लागत से बना है और उसके आवागमन में टैक्स लिया जाता है वह टैक्स, दिसम्बर सन् १९६३ तक कितना वसूल हुआ तथा कितना बाकी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

९,२५,६२८ रुपये २० नये पैसे (नौ लाख, पच्चीस हजार, छः सौ अट्ठाइस रुपये बीस नये पैसे) वसूल हो चुके हैं और ३,८३,२३५ रुपये ८० नये पैसे (तीन लाख, तिरासी हजार दो सौ पैंतीस रुपये अस्सी नये पैसे) बाकी हैं।

*२—श्री मतोलासिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नरैनी कालिंजर पक्की सड़क में जो नरैनी से ३ मील पर बांधे नदी का पुल अब तक नहीं बना है जिसके कारण बरसात में आवागमन में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्या सरकार उस पर पुल बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

धनाभाव के कारण पुल का बनवाना इस समय सम्भव नहीं है।

*३—श्री मतोलासिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो सड़क बांदा से महोबा-झांसी को जाती है और बांदा से २ मील पर फेन नदी में नांवों का पुल बनाना पड़ता है तथा बरसात में वह पुल तोड़ दिया जाता है और उस समय आवागमन में विशेष असुविधा होती है इस कठिनाई को दूर करने को क्या सरकार वहां पर पक्का पुल बनाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के निर्माण का कार्य सड़कों तथा पुलों की किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः इनको बनवाना इस समय सम्भव नहीं होगा।

वासिल बाकी नवीस

*४—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि राजस्व संग्रह विभाग (कलेक्शन डिपार्टमेंट) के सहायक वासिल बाकी नवीसों की पदोन्नति का आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्शन कार्यालयों के सहायक वासिल बाकी नवीसों, जो अब कलेक्टरी के कर्मचारी हैं, की पदोन्नति का आधार वही है जो कलेक्टरी के उस श्रेणी के अन्य लिपिकों की पदोन्नति का है।

*५—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

[हटा दिया गया।]

पासपोर्ट आफिस, बर्लिंगटन होटल, लखनऊ

*६—श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन विशेष कारणों से उसको प्रदेशीय सरकार का पासपोर्ट आफिस, अकबरपुर बिल्डिंग से बर्लिंगटन होटल में ले जाना पड़ा, कितने कमरे कुल कितने किराये पर लिये गये और क्या वहां इतना स्थान है कि पासपोर्ट आफिस का काम सुचारु रूप से चल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अकबरपुर बिल्डिंग के असुरक्षित घोषित किये जाने के कारण उसे तुरन्त खाली करके पासपोर्ट आफिस बर्लिंगटन होटल के एक भाग में लाया गया। १३ बड़े कमरे, कुल १,६७५ रु० मासिक किराये पर लिये गये। वहां पासपोर्ट आफिस के लिये पर्याप्त स्थान है।

*७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि यद्यपि आफिस तबदील किये हुए चार माह से अधिक हो गये परन्तु अभी तक स्टाफ के लिए साइकिल रखने आदि का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ? यदि हां, तो इन सब चीजों का प्रबन्ध कब तक किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

साइकिल स्टैंड का उचित प्रबन्ध किया जा चुका है।

*८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार यह देखते हुए कि वर्तमान स्थान भी आफिस का कार्य करने के लिए नाकाफी है, अपना अलग से पासपोर्ट आफिस बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

डुमरियागंज तहसील में तकावी लेजर बुक

*९—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती, की तकावी लेजर बुक, १९५४ से १९६० तक की कब गायब कर दी गयी है और गायब होने की सूचना कब मिली तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती, में १९५४ से १९६० तक की कोई तकावी लेजर बुक गायब नहीं हुई। अतएव, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*१०—श्री मेड़ीलाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि १९६० तक जो लोग तकावी बकायादार थे, उन्हें १९६१–६२ में फिर तकावी दी गयी ? यदि हां, तो कितने लोगों को ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

मैनपुरी जिले में ग्राम सभाओं के भूमि सम्बन्धी मुकदमें

*११—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसी ग्राम सभाएं कौन-कौन-सी हैं जिनकी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के बारे में तहसीलदार अथवा हाकिम परगना की इजलास में कार्यवाहियां चल रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२३ पर)

सिकन्दरपुर—दहताल सड़क के ठेकेदारों पर जुर्माना

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकंदरपुर-दहताल रोड, जिला बलिया, के ठेकेदारों ने दिनांक १२ सितम्बर, १९६२ व दिनांक २४ जनवरी, १९६३ व दिनांक २७ फरवरी, १९६३ व दिनांक २५ मार्च, १९६३ एवं दिनांक १२ जुलाई, १९६३ को उप-सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, को आवेदन-पत्र देकर उनके ऊपर हुए जुर्माने को माफ करने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी और परिणाम क्या निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्री अमीरचन्द्र सिंह, ठेकेदार से जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर अभी विचार हो रहा है ।

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह सच है कि उक्त सड़क के १३वें मील के ग्राम बहादुरा में चीफ इंजीनियर या अन्य कोई विभागीय उच्च अधिकारी ने दिसम्बर, सन् १९५९ या जनवरी, सन् १९६० में मौके पर जाकर मार्ग बदलने की राय दी थी और फसल लगी रहने तथा भूमि एक्वायर न होने आदि कारणों से मिट्टी देर में पड़ी, जिसके सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलिया, ने पूर्ण जुर्माना न लगाने की सिफारिश की थी ?

*१४—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिनांक ८ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६–४७ के उत्तर के संदर्भ में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि जब भूमि दिनांक ४ अप्रैल, सन् १९६२ को एक्वायर की गयी, तो ठेकेदारों को ठेका सन् १९५८ से ही क्यों दिया गया और विलम्ब के कारण जुर्माना किन-किन ठेकेदारों को क्यों कर दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सम्बन्ध में जो भी विभागीय अधिकारियों के पत्र टिप्पणियां तथा निर्णय हुए होंगे उन सभी पर विचार हो जावेगा ।

बाराबंकी जिले में निर्माण-कार्य

*१५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में नियुक्त ओवरसियर द्वारा बाबा हसवापुर मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां, तो क्या सर्वे करने के आदेश की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

*१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि ओवरसियर, हैदरगढ़ ने भेलवलस गूढ़ाखजुरों श्रमदान मार्ग का सर्वे करके एक नक्शा, पुल, पुलियों, एवं सड़क को पक्की करने की लागत का एस्टीमेट बनाकर विभाग को भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्ग के नक्शे की प्रति एवं पुलियों एवं सड़क निर्माण सम्बन्धी लागत का पूर्ण विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

*१७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार १८ मील श्रमदान का महत्वपूर्ण कार्य होने पर सड़क के रख-रखाव एवं पुलियों के निर्माण की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमदान द्वारा बनाई गई उन्हीं सड़कों को रख-रखाव के लिये लेता है जो पक्की होती है और उसकी किसी सड़क से मिलती हैं ?

खेंकड़ा नाला पुल

*१८—श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेंकड़ा नाला पुल जो गोरखपुर टेम्पोरेरी डिवीजन द्वारा कुछ समय पूर्व बनाया जा रहा था और बीच में ही टूट कर गिर गया था उस पर सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ और किस-किस माध्यम से तथा किस-किस मद में और कब-कब ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह पुल बीच में टूटा नहीं था । जब इस पुल का निर्माण-कार्य पूरा हो रहा था उस समय इस पुल के विंग वाल्स के कुछ पाइल्स असाधारण वर्षा के कारण असफल हो गये थे । इस पर सरकार का कुल २८,५३० (अठाइस हजार पांच सौ तीस) रुपया व्यय हुआ । इसका विवरण†† सदस्य महोदय की मेज पर रख दिया गया है ।

गोरखपुर–इलाहाबाद सड़क पर खराब कंकड़ की सप्लाई

*१९—श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में गोरखपुर-इलाहाबाद रोड पर कंकड़ संग्रह करने हेतु कोई ठेका दिया गया है और उपरोक्त ठेकेदारों से घटिया किस्म के कंकड़ लेने की शिकायत प्रश्नकर्त्ता द्वारा एस० ई०, गोरखपुर को लिखी गई है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र तथा उसका उत्तर और उस पर भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही एवं इसके पूर्व की गयी कार्यवाही से सरकार अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां । प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिये गये उत्तर की प्रतियां† संलग्न हैं । खराब तथा नाप में छोटे कंकड़ों के लिए भुगतान में कटौती की गई । इस खराब कार्य के लिये श्री चन्द्र शेखर अस्थाना, अधिदर्शक को उत्तरदायी समझा गया और

---

†छापी नहीं गई ।
††छापा नहीं गया ।

उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा उन पर और अन्य संबंधित अधिकारियों पर खराब काम लेने के आरोप में उचित कार्यवाही की जा रही है।

मैनपुरी जिले में लेखपालों की भर्ती

*२०—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के २६० लेखपालों ने अभी हाल ही में और अब से पहले भी कई बार ऐसे प्रार्थना-पत्र सरकार को दिये हैं कि सरकार का आदेश था कि लेखपालों की भर्ती ५ अप्रैल, १९५३ ई० तक कर ली जावे, पर शिकोहाबाद व करहल, दो तहसीलों के एक ही हाकिम परगना होने के कारण शिकोहाबाद तहसील में १३ अप्रैल, १९५३ ई० को चुनाव सम्पन्न हो सका, इस कारण शिकोहाबाद तहसील के लेखपाल जूनियर माने जा रहे हैं ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों में क्या हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, मैनपुरी को प्राप्त नहीं हुये थे। सरकार क पास भी इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र न तो लेखपाल सीधे भेज सकते थे और न उन्होंने भेजे थे। यह बात भी असत्य है कि शिकोहाबाद व करहल तहसीलों के एक ही हाकिम परगना होने के कारण, शिकोहाबाद में लेखपालों का चयन १३ अप्रैल, १९५३ तक किया गया था। शिकोहाबाद तहसील में ३८ लेखपालों की नियुक्ति ५ अप्रैल, १९५३ तक कर दी गई थी। बाकी १२ लेखपालों के स्थान उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण उस समय रिक्त रह गये थे।

फरीदपुर—बीसलपुर सड़क

*२१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि १९६२ के मध्य में बरेली, पीलीभीत जिलों को मिलाने वाली अत्यन्त सामरिक महत्व की सड़क फरीदपुर-बीसलपुर रोड का सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय किया गया और सरकार इस सड़क को कब तक पक्का कर देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क का सर्वे १९६० ई० में किया गया था तथा इस पर १,४८० रुपया ५१ नये पैसे (एक हजार चार सौ अस्सी रुपया इक्यावन नये पैसे) व्यय हुये थे। इस समय इस सड़क को पक्का करने की कोई योजना नहीं है।

अतिवरा ग्राम की चकबन्दी

*२२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, कांठ, जिला व तहसील, शाहजहांपुर, ने यह रिपोर्ट की है कि ग्राम अतवारा चकबन्दी के लायक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह देखते हुए कि यह गांव १९६० से चकबन्दी में है और जनता का हजारों रुपया चकबन्दी योजना की कार्यवाहियों के कारण खर्च हो चुका है इस स्टेज पर चकबन्दी न रोकने के आदेश जारी करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील व जिला शाहजहांपुर में अतवारा नाम का कोई ग्राम नहीं है। हां, अतिवरा नामक ग्राम के विषय में जिला उपनिदेशक चकबन्दी ने ऐसी संस्तुति (recommendation) अवश्य की थी।

चूंकि ग्राम अतिवरा के १७६ खातों में सें ९२ खाते एक जगह, ३३ दो जगह, १९ तीन जगह और केवल ३२ ही तीन से अधिक जगहों पर पहिले से स्थित हैं उक्त ग्राम को दिनांक २८ दिसम्बर, १९६३ को चकबन्दी से अलग कर दिया गया। इस ग्राम को पुनः चकबन्दी योजना में सम्मिलित करना उचित नहीं है। प्रारंभिक पड़ताल के अतिरिक्त इस गांव में अन्य कार्य न होने के कारण चकबन्दी पर कुल व्यय ५० रु० के आसपास ही हुआ।

चकबन्दी के अन्तर्गत बनने वाली नालियां

*२३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जो नहरी कुलाबे और नालियां पहले से सिंचाई के लिए बनी हुई हैं वे टेक्निकल प्वाइंट से वाटर शेड पर बनी हुई हैं और अब जो नालियां चकबन्दी द्वारा मिलती हैं वे बजाय वाटर शेड के निचाई में आमतौर से होती हैं जिससे तोड रकबा डाल और डाल रकबा खाकी हो जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह बात सही नहीं है कि सिंचाई की नालियां जो चकबन्दी के दौरान में दी जाती हैं वे साधारणतया वाटर शेड का बिना ध्यान रक्खे दी जाती हैं।

*२४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी में चक नहरी नालियों के आधार पर क्यों नहीं काटे जाते, जिससे कि सिंचाई के साधन चकबन्दी समाप्त होने के बाद आमतौर पर नष्ट हो जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

साधारणतया चक वर्तमान मुख्य सिंचाई की गूलों को ध्यान में रख कर ही बनाये जाते हैं। जहां आवश्यक होता है, इन गूलों को सीधा कर लिया जाता है।

*२५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार चक विभाग की इन त्रुटियों को जिससे कि सिंचाई के साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक करेगी और इस विषय में जल्द से जल्द कोई विशेष सुधार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

बोर्ड की परीक्षा में जाति लिखना

*२६—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल एवं इन्टर की फाइनल परीक्षा के लिये जो फार्म भरे जाते हैं उनमें हर वर्ग व जाति के परीक्षार्थियों की जाति लिखने का प्राविधान व फार्म में खाना नहीं है और न हर वर्ग की परीक्षार्थियों से उनकी जाति लिखायी जाती है ? यदि हां, तो फिर केवल अनुसूचित वर्ग के परीक्षार्थियों की जाति लिखने का खाना फार्म में रखने और अनुसूचित जाति को फार्म में लिखाने का क्या मकसद है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, हर वर्ग व जाति के परीक्षार्थियों की जाति फार्म में लिखने का प्राविधान एवं खाना नहीं है और न हर वर्ग के परीक्षार्थियों से उनकी जाति लिखाई जाती हैं। केवल निम्नांकित जातियों को लिखने का खाना फार्म में रखा गया है :

(१) परिगणित जाति (Scheduled Caste)
(२) परिगणित जन-जाति (Scheduled Tribes)
(३) पिछड़ी जाति (Backward Class)

इसका मकसद यह है कि प्रति वर्ष हाई स्कूल व इण्टर परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होने वाले उपरोक्त जाति के परीक्षार्थियों की संख्या अलग-अलग उनके आदेशानुसार भारत सरकार को भेजनी पड़ती है।

बाराबंकी जिले में कलेक्शन अमीनों का वेतन

*२७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बतायेगी कि बाराबंकी जिले में इस समय कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र बिना आदेश दिये हुये पड़े हैं जिनके कारण कलेक्शन अमीनों के वेतन रुके पड़े हैं ?

श्री हुकुम सिंहविसेन —

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र बिना आदेश दिये हुये नहीं पड़ा है।

*२८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[हटा दिया गया।]

भूमिधारी प्रमाण-पत्र

*२९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूमिधरों को दस गुना जमा करन क बाद प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था क्यों की गयी है और क्या यह सही है कि दस गुना जमा करने के बाद भी भूमिधरी प्रमाण-पत्रों के स्टाक तहसीलों में न होने के कारण उन्हें नहीं दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप माल विभाग के अनकों प्रकार के मुकदमों में किसानों को दिक्कत उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

दस गुना जमा करने के बाद प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १३७ के प्राविधान के अनुरूप है। प्रमाण-पत्र छापने के कागज राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध न होने के कारण कुछ स्थानों में कुछ समय तक उक्त प्रमाण-पत्रों का अभाव रहा जिसके कारण किसानों को अवश्य कुछ दिक्कत उठानी पड़ी होगी, पर अब सभी जिलों को पर्याप्त संख्या में प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं। इस प्रथा को समाप्त करना सम्भव नहीं।

*३०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को यह ज्ञात है कि पुराने जमींदारों को बिना भूमिधर प्रमाण-पत्र दिये ही उन्हें भूमिधर मान लिया गया है ? यदि हां, तो दस गुना जमा करने के बाद सभी लोगों को भूमिधर मान लेने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --

जी हां, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत जमींदारों को भी भूमिधरी अधिकार प्राप्त हुये। अधिनियम के अनुसार दस गुना जमा करने पर प्रमाण-पत्र मिलता है और तब जमा होने की तिथि से भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो जाता है। अधिनियम के विरुद्ध कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर सकती है ?

*३१-३३--श्री लखपतराम शर्मा--

[१७ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ५५-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३४--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

[हटा दिया गया।]

इन्टरमीडिएट अमेन्डमेन्ट ऐक्ट

*३५--श्री कृष्णानन्द राय --

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जबसे मौजूदा इन्टरमीडियेट अमेंडमेंट ऐक्ट लागू हुआ है कितने विद्यालय इसके अन्तर्गत ऐडमिनिस्ट्रेटर्स के जिम्मे सुपुर्द कर दिये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश --

कोई नहीं।

*३६--श्री कृष्णानन्द राय --

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिन्होंने मौजूदा इन्टरमीडियेट अमेंडमेंट ऐक्ट के अधीन स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश --

१७१ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

गाजीपुर में गंगा पर पुल

*३७--श्री कृष्णानन्द राय --

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर में गंगा पर पुल बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के रेल विभाग के इन्जीनियरों ने ३, ४-वर्ष पूर्व कोई जांच की थी और प्रदेशीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई मशविरा किया था तथा पटेल जांच समिति ने भी यहां पुल बनाने की आवश्यकता स्वीकार की है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब से होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस पुल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के रेल विभाग के इन्जीनियरों द्वारा की गई जांच के बारे में सरकार को कोई ज्ञान नहीं है और न इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई मशविरा ही लिया गया है। पटेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस पुल के निर्माण की सिफारिश अवश्य की है। रिपोर्ट योजना आयोग के विचाराधीन है। इस पुल का निर्माण योजना आयोग की स्वीकृति तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

इन्दराज खाना कफियत

*३८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने माल विभाग में खसरा के रिमार्क खाने में काबिज का इन्दराज करने का अधिकार लेखपालों से छीन लेने का फैसला किया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय का पूरा विवरण क्या सरकार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी? क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अब तक जो इन्दराज खाना कैफियत का हो चुका है वह भी अब खारिज कर दिया जायेगा? यदि हां, तो उसके बारे में क्या सरकार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

सरकार ने लेखपालों के इस अधिकार को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। इस निर्णय का विवरण संलग्न है। अब तक जो इन्दराज खाना कैफियत में लेखपालों द्वारा कर दिये गये हैं, वह इस निर्णय के कारण नहीं बल्कि गलत साबित होने पर खारिज हो सकते ह। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९२४ पर)

*३९–४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१–४३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[हटा दिया गया।]

*४५—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*४६—श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे नियोजन आयोग से कोई इस प्रकार का निदेश प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही सहायता प्राप्त व आधारित प्राइमरी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन में यथेष्ट वृद्धि की जाय तथा प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जाय?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। नियोजन आयोग से इस प्रकार का कोई निदेश नहीं प्राप्त हुआ है।

*४७—श्री कृष्णपालसिंह तथा श्री राजेन्द्रसिंह—

यदि हां, तो पूरा निदेश क्या है तथा उसे कार्यान्वित करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

*४८—श्री कमलासिंह यादव—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया] ।

गाजीपुर कलेक्टरी में पेय जल व्यवस्था

*४९—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरेट कम्पाउण्ड के अन्दर पूरब और पश्चिम तरफ जो दो स्थान पर पानी पीने की व्यवस्था की गयी थी, उसमें कितना खर्च स्टैन्ड पोस्ट बनाने में लगा है और वह इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन —

गाजीपुर कलेक्टरेट कम्पाउण्ड के अन्दर पूर्व एवं पश्चिम की ओर जो पानी पीने की व्यवस्था की गई है उसके लिये दो स्थानों पर स्टैन्ड पोस्ट बनवाने में कुल ३,००० रु० का व्यय हुआ तथा उसका प्रयोग जनता द्वारा हुआ करता है ?

मड़ियाहूं तहसील में लड़कियों की शिक्षा

*५०—श्री जगन्नाथ राव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील के अन्तर्गत कितने जूनियर हाई स्कूल कन्याओं के लिये चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो स्कूल खोलने में क्या कठिनाई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्नगत तहसील में सम्प्रति बालिकाओं का कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है । उक्त स्कूल खोलने में कठिनाई सीमित साधनों की है ।

*५१—श्री जगन्नाथ राव—

उक्त तहसील में लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिये तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिये सरकार के पास क्या योजनायें चल रही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्नगत तहसील में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिये पृथक से कोई योजना नहीं है । प्राथमिक शिक्षा के लिये निम्नलिखित योजनायें हैं —

(क) कन्याओं के लिये प्राथमिक स्कूल खोलना ।

(ख) बालक/बालिकाओं के मिश्रित स्कूलों में स्कूल माताओं की नियुक्ति करना जिससे कि उक्त स्कूलों में बालिकाओं की संख्या बढ़े ।

(ग) अध्यापिकाओं के लिये आवास गृह बनवाना ।

तथा

(घ) अतिरिक्त अध्यापिकाओं की नियुक्ति करना ।

*५२—५३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[१२ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ६८–६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये] ।

फरेंदा–धानी–उस्का मार्ग

*५४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा-धानी-उस्का रोड कब तक आवागमन लायक हो जायेगी और यह सड़क कब से बन रही है तथा पूरा होने में अब क्या दिक्कत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

फरेन्दा से धानी भाग सन् १९५९–६० से बन रहा है। पोह नाला के पुल तथा उसके एप्रोचेज को छोड़ कर इस भाग के अक्तूबर, १९६४ तक पूरा हो जाने की आशा है।

धानी से उस्का भाग का निर्माण कार्य १९६०–६१ में प्रारम्भ हुआ। सामान तथा मजदूरों की दरें बढ़ जाने से इसका आगणन संशोधित करना पड़ा है। इस भाग को मार्च, १९६५ के अन्त तक आवागमन योग्य हो जाने की आशा की जाती है।

*५५—श्री रामसूरतप्रसाद तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण—

[हटा दिया गया।]

मुरादाबाद व बलिया जिलों में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

*५६—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिले मुरादाबाद एवं बलिया में कौन-कौन से हाई स्कूल और कालिज ऐसे हैं जिनको सरकार ग्रान्ट इन एड या किसी दूसरे रूप में आर्थिक सहायता देती है और कितनी-कितनी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभीष्ट† सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

*५७—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त कौन-कौन से हाई स्कूल और कालज एसे हैं जिनके पास खेलने के मैदान नहीं हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभीष्ट सूचना सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है।

*५८–५९—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

नागर क्षेत्रों में जमींदारी

६०—श्री द्विजेन्द्र नारायण तथा श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि यू० पी० में कौन-कौन टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया और म्युनिसिपैलिटी है जिनकी जमींदारी अभी नहीं खत्म हुई है और इनमें कब तक खत्म करने की सरकार सोच रही है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिन-जिन नागर क्षेत्रों में जमींदारी विनाश होना शेष है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें कृषि क्षेत्रों की परिच्छेद कार्यवाही अधिनियम की धारा ५ के अधीन पूरी होने पर ही जमींदारी का विनाश हो सकेगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९२५-९२६ पर।)

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*६१--श्री होरीलाल यादव तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में कोई इस प्रकार का आदेश आया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि की जाय और अनिवार्य शिक्षा योजना सारे प्रदेश में लागू कर दी जाय ? यदि हां तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं। भारत सरकार से इस प्रकार का कोई आदेश राज्य सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है।

*६२--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*६३-६४--श्री राजेन्द्रसिंह--

[हटा दिया गया।]

पलिया परगना में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*६५--श्री मंगलदेव--

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परगना पलिया, तहसील निघासन, जिला खीरी में सीलिंग ऐक्ट के अन्दर कितनी भमि सरकार को प्राप्त हुई ? कितनी भूमिहीनों को दी गयी ? कितनी उन्हीं व्यक्तियों को वापस कर दी गयी जिनसे ली गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

३,२९० एकड़। इसमें से ३५० एकड़ के पट्टे भूमिहीनों को सीलिंग ऐक्ट की धारा २६ के अधीन दिये जा चुके हैं। अभी कुछ भी अतिरिक्त भूमि, उन व्यक्तियों को नहीं दी गई है जो उसके पुराने खातेदार थे।

शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नियम

*६६--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को तीन वर्ष की अवधि तक ही एक स्थान पर रखने का नियम है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेशीय सरकार के कौन-कौन ऐसे उच्च शिक्षा अधिकारी हैं जो तीन वर्षों से अधिक से एक ही स्थान पर नियुक्त हैं और उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये सामान्य नियम है कि एक अधिकारी एक जिले में जहां तक संभव हो सके तीन वर्ष से अधिक न रहे। परन्तु शिक्षा विभाग के विशेष अधिकारियों के लिये निम्नलिखित हद तक छूट दी गई है--

१--एक जिले में यदि अधिकारियों के पदों में परिवर्तन हो जाय तो उसे तीन वर्ष के प्रतिबन्ध के अनुसार बिना विशेष कारण के स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है।

२--जिन पदों के समकक्ष कोई दूसरा पद नहीं है, जो पद विशेष आवश्यकता के अन्तर्गत स्थापित हुए हैं तथा जो पद विशेष योग्यता के हैं उनके अधिकारियों को भी स्थानान्तरण की तीन वर्ष की अवधि से मुक्त किया गया है।

३--डिग्री कालेजों में उच्च कोटि के अधिकारी, प्रिन्सिपल तथा प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किये जाते हैं। विद्यालय की प्रतिष्ठा उसके अधिकारियों पर निर्भर रहती है। अस्तु उनको प्रत्येक तीन वर्ष के बाद स्थानान्तरण करना विद्यालय के हित में नहीं होता। अतः डिग्री कालेजों के प्रिन्सिपल तथा प्रोफेसर के स्थानान्तरण में तीन वर्ष की अवधि पर बल नहीं दिया जाता।

४--महिला अधिकारियों पर भी प्रायः स्थानान्तरण का तीन वर्ष का नियम कड़ाई से लागू न किया जाय। इन पर इस प्रतिबन्ध की भी आवश्यकता नहीं है कि वे अपने निवास-स्थान में न रहें।

५--राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा दीक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य का ४ वर्ष में स्थानान्तरण किया जाय। जो अधिकारी तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर हैं उनकी †सूची संलग्न है। प्रत्येक नाम के सम्मुख कारण दिये हुये हैं।

*६७-६९--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७०-७२--श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७३--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७४-७५--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७६-७७--श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७८-७९--श्री दुर्योधनप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०--श्री रक्षपालसिंह, श्री नाथूराम शिक्षक तथा (जिला इलाहाबाद)--श्री दयाराम शाक्य

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

---

†छापी नहीं गई।

बाराबंकी जिले में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के खिलाफ शिकायतें

*८१—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा चकबन्दी अधिकारी, बाराबंकी के कार्यकाल के अन्तर्गत उनके विरुद्ध किसानों या वहां के विधायक की ओर से कितनी शिकायती दरख्वास्तें सरकार को दी गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

संभवतः चकबन्दी अधिकारी से तात्पर्य जिला बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बाराबंकी से है। वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र एक विधायक की ओर से तथा दो शिकायती-पत्र अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुए।

*८२—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त शिकायतें किस प्रकार की थीं और क्या सरकार ने उनकी जांच करायी है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपर्युक्त तीनों शिकायती-पत्रों में वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, के विरुद्ध पक्षपात घूसखोरी, जीप का दुरुपयोग, गलत भत्ता चार्ज करने इत्यादि का आरोप लगाया गया था। एक शिकायती-पत्र की जांच हुई जो गलत पाया गया। बाकी दो की जांच हो रही है।

*८३—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या यह सही है कि मौजूदा बन्दोबस्त अधिकारी के पहले जो बन्दोबस्त अधिकारी थे उनके खिलाफ भी शिकायतें थीं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी के पहले जो बन्दोबस्त अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी।

*८४-८५—श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

गवर्नमेण्ट इण्टर कालेज, मुरादाबाद में गबन की शिकायत

*८७—श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, मुरादाबाद के खिलाफ जो गबन और रिश्वतखोरी की सूचनायें कर्मचारियों और जनता की तरफ से जुलाई, सन् १९६३ में सरकार को भेजी गयी, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उन शिकायतों पर एक प्रारम्भिक जांच करवाई गयी, पर विस्तृत जांच होना अभी शेष है।

*८८—श्री महमूद हसन खां तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी उन शिकायतों की मुख्य-मुख्य बातें सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की मुख्य बातें संलग्न सूची में अंकित हैं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९२७ पर)

*८९--श्री महमूद हसन खां तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि उन शिकायतों को भेजे जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने ५ कर्मचारियों को नौकरी से निलम्बित कर दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, यह सही है।

*९०-९२--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

गांव सभा--भानपुर बाबू की सम्पत्ति

१--श्री कृष्णानन्दराय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा-भानपुर बाबू, जिला बस्ती के गांव सभा सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों ने गांव समाज संपत्ति के दुरुपयोग की कोई शिकायत माह नवम्बर, १९६३ में जिलाधीश के द्वारा तहसीलदार, डुमरियागंज को की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। जिलाधीश द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ के नियम ११५ (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

इलाहाबाद-पटना स्टीमर सर्विस योजना

२--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या निर्माण मंत्री बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना इलाहाबाद से पटना तक स्टीमर चलाने की स्वीकृति की है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत प्रदेश में गंगा को गहरी बनाने की योजना कब से प्रारम्भ होगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर कोयलों की ढुलाई हेतु गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड ने प्रयोगात्मक रूप में पटना से इलाहाबाद तक एक सर्विस चलाई जिसमें एक पुशर टो तथा चार बार्जेज थे। परन्तु आर्थिक हानि के कारण इस योजना को स्थगित करना पड़ा। अतः गंगा को गहरा बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

३--श्री कमलासिंह यादव--

[हटा दिया गया]।

४--कुंवर हुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)--

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल, बिसवां की इमारत

५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां, जिला सीतापुर में राजकीय गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल की सरकारी इमारत कब तक बनवायी जायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस स्कूल के भवन निर्माण हेतु कोई प्राविधान नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भवन बनाने की व्यवस्था कब तक की जा सकेगी।

खेखड़ा नाला पुल के ठेकेदार का भुगतान

६—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया १३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ के सन्दर्भ में बतायेंगे कि पुल की कुल कितनी लागत बनाने के पूर्व एस्टीमेट की गयी थी और पुल टूटने के कारण कुल कितना रुपया अधिक व्यय हुआ और ठेकेदार को कुल कितना रुपया दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

७—श्री मेवालाल जायसवाल तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पुल टूटने के कारण ठेकेदार को कितना काम अधिक करना पड़ा और उसे कितना रुपया अधिक काम होने के कारण मिला तथा कितना समय बढ़ाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

८-९—श्री कल्पनार्थसिंह—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

मकूर-कुसम्भी फीडर रोड

१०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिला की मकूर-कुसम्भी फीडर रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है ? यदि हां, तो उसे पक्का करवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के केवल ९ फर्लांग का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है और वह पक्का है।

सिराथू-धाता सड़क

११—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील सिराथू में सिराथू स्टेशन से मौजा धाता तक की १० मील लम्बी जो पी० डब्लू० डी० की कच्ची सड़क है, उसे सरकार का पक्का कराने का विचार कब तक है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सड़क जिला परिषद् के अधीन है। इसको पक्का कराने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हीरालाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरौली के अध्यापकों का फण्ड

१२--श्री रामसुन्दर पाण्डेय----

क्या शिक्षा मंत्री २७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ४१ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि कितना धन जमा किया गया है और कितना बाकी है और बाकी धन कब तक जमा हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

अध्यापकों के प्रावीडेन्ट फन्ड में १२-२-१९६४ तक कुल ८,०९६.८१ न० पै० जमा किये गये हैं और १३,०६१.९१ न० पै० की धनराशि अभी जमा करना बाकी है। संस्था की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण यह कहना कठिन है कि उक्त धनराशि कब तक जमा कर दी जायगी। संस्थाधिकारियों को शीघ्रता करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

नैनीताल जिले में चकलवा पुल निर्माण संबंधी शिकायतें

१३--श्री हरीशकुमार गंगवार--

१८ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ५४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी के पास बनाये जा रहे चकलवा पुल में सीमेन्ट आदि की चोरी तथा भ्रष्टाचार की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह जांच सहायक अभियन्ता, हल्द्वानी एवं अधिशासी अभियन्ता, नैनीताल द्वारा की गयी। जांच से शिकायतें निराधार पाई गईं।

१४-१५--श्री कैलाश--

[६वें बुधवार के लिये प्रश्न १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले से छात्रों की सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

१६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री २७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ का स्पष्टीकरण अब तक प्राप्त न होने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

आजमगढ़ जिले के शिक्षा संस्थाओं स मांगी गई वांछित सूचना जिलाधीश, आजमगढ़ को उपलब्ध नहीं हो पायी है। इस मामले में उनसे पत्र व्यवहार हो रहा है।

पलिया परगना से भूमि वितरण संबंधी शिकायतें

१७—श्री मंगलदेव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, परगना पलिया क ग्राम पलिया और पटहन के दर्जनों निवासियों ने दिनांक २४ दिसम्बर, १९६३ को सीलिंग ऐक्ट द्वारा खाली भूमि पाने के लिये मुख्य मन्त्री को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस दिनांक का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला। तथापि स्थिति यह है कि अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि जिलाधीश द्वारा पट्टे पर दी जाती है और इस विषय पर आवेदन-पत्र उसी अधिकारी को दिये जाने चाहिये।

१८—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने सीलिंग ऐक्ट से बचने के लिये हजारों एकड़ भूमि पर बाग का इन्दराज करा लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। अधिकतम जोत सीमा आरोपण से केवल वही बाग भूमि मुक्त की गई है जो उस व्यवस्था में १ मई, १९५९ को वर्तमान थी।

प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब पर आपत्ति

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज के एजेंडे पर २८ नवम्बर का हमारा सवाल है, तारांकित प्रश्न है नत्थी 'ग' इसको आप देखें। यह सवाल जनवरी में सरकार को भेजा गया था और अब आपने स्थगन कबूल किया और फिर दोबारा एजेंडे पर आने के बाद यह स्थानान्तरित किया गया है १७-३-६४ के लिये। इस विषय में मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस को देख लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं, आपकी जो आपत्ति है वह ठीक है। इसमें गलती हमारी थी, हमने इस को जिस विभाग को भेजा था उस ने वापस कर दिया और उस के बाद फिर सिंचाई विभाग को भेजा। उन्होंने कहा कि अभी सूचना नहीं आई है इसलिये समय दिया जाय और इसी कारण से समय देना पड़ा।

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, नत्थी 'घ' के प्रश्न ३१, ३२, ३३ कई मास पहले दिये थे जिसमें यह था कि एक आदमी ने सरकार की कई लाख रुपये की जायदाद पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया है और यह जायदाद सरकार को मिलनी चाहिये थी, लेकिन बराबर इसको टाला जा रहा है, इस पर आप कृपा करके गौर कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका उत्तर तो दिये देता हूं, लेकिन आज सुबह मैं इस सम्बन्ध में माननीय टंडन जी की दी हुई रूलिंग देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझ से कोई बात न पूछी जाय क्योंकि यहां उनके सम्बन्ध में कोई कागजात या मिसल नहीं होती और मैं उत्तर नहीं दे सकता। इत्तफाक से श्री कल्पनाथ सिंह के प्रश्न की बात याद थी इसलिये उनको बता दिया।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मेरा एक प्रश्न था....

श्री अध्यक्ष--

फिर आप वही बात उठा रहे हैं। आप मेरे कक्ष में आ जायं, मैं देख लूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं और कभी यह नहीं हुआ है कि कोई सदस्य मेरे पास आये हों और मैंने उनकी बात न सुनी हो। आप आ जायं।

श्री लखीसिंह--

मन्त्री जी ने कहा है कि इसमें जांच की जा रही है, बड़ा जरूरी प्रश्न है, ३-४ मास हो गये....

श्री अध्यक्ष--

आप मुझसे बातचीत कर लें, मैं बता दूंगा।

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन*

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स, १९५४ में, नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२७५/२ (बी)--१५१ (३)-६३, दिनांक २८ अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३२० के खंड ५ के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--

२८ अगस्त, १९६३ को मार्च में रख रहे हैं, जरा देरी का कारण बता दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

देर हो गई अध्यक्ष महोदय, इसका खेद है।

जिला बहराइच की चन्दनापुर सर्किल के सुपरवाइजर द्वारा सोसाइटी के बकायादारों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय काशीनाथ मिश्र की नियम ५२ की सूचना स्वीकार की है--

"जिला बहराइच में तजवापुर विकास खंड के अन्तर्गत चन्दनापुर सर्विस सोसाइटीज के सुपरवाइजर ने सोसाइटी का बकाया रुपया वसूल करने के लिये घोर धांधली और नादिरशाही मचा रखी है। बिलासपुर गांव के दस बकायादारों को पकड़ कर गनियापुर गांव में ले गया। रात को गनियापुर में लालता नामक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर उलटा लटका दिया और अन्य बकायादारों को रात में नहलाकर बेंत से पीटा। प्रातः वे सभी बकायदारों को साथ लेकर चेतरा, तजवापुर ढौता, उसरिया, ब्राहिमटीहा आदि स्थानों पर तीन दिन तक बगैर अन्न जल के घुमाते रहे। बाद में जमानत पर छोड़ा। इतना ही नहीं, श्री मेड़ी चमार, साकिन बिलासपुर को गनियापुर के परशुराम ब्राह्मण के हाथ ८ रु० प्रतिमास के हिसाब से १५ मास के लिये बेच दिया और उसमें भी आधे रुपये की ही रसीद दिया। सुपरवाइजर के निन्दनीय और अमानुषिक व्यवहार से जिले और आसपास के ग्रामीण जनता में घोर क्षोभ और असंतोष का वातावरण व्याप्त है।

---

* छापे नहीं गये।

[श्री अध्यक्ष]

अत : लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सम्बद्ध मन्त्री और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

मन्त्री जी, इस बारे में कब वक्तव्य देंगे ?

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

१५ तारीख तक दे देंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, झांसी--ललितपुर रोड पर एक बस लुट गई और ५ आदमी का अपहरण हुआ जिनमें से ३ अब भी लापता हैं। वहां बड़ा असंतोष है इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित आप करा दें तो अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो पुरानी घटना होगी। आप प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)--

देवरिया जिले में १३ औषधालयों की व्यवस्था वर्तमान बजट में आप नहीं ले रहे हैं तो सम्बन्धित मन्त्री का बयान दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं मजबूर हूं।

आजमगढ़ जिले तथा पिपराइच शुगर फैक्ट्री क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब विद्युत् उप मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे।

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

श्रीमन्, दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों पढ़ रहा हूं। आजमगढ़ जिले के तथा "पिपराइच चीनी मिल वर्तमान सीजन...."

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं मन्त्री जी ने पढ़ा आजमगढ़ जिले की पिपराइच शुगर फैक्ट्री, और एजेन्डे में भी है। तो पिपराइच शुगर फैक्ट्री गोरखपुर में है, आजमगढ़ में कब पहुंच गई।

श्री अध्यक्ष--

आप जरा तेज पढ़ते हैं। बीच में लिखा है "तथा"।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

(१९६३-६४) का गन्ने के मूल्य का २९ फरवरी, १९६४ तक लगभग ३१.०२ लाख रूपया वाजिब हुआ था, जिसमें से मिल से १.५७ लाख रुपया २९ फरवरी, १९६४ तक वसूल हुआ और किसानों को वितरित हुआ। इस प्रकार उक्त समय (२९-२-१९६४) तक मिल के जिम्मे लगभग २९.४५ लाख रुपया किसानों के गन्ने के मूल्य का शेष था। उक्त बकाया धनराशि में से सम्बन्धित गन्ना समिति ने अपनी निजी कोष से ५.८१ लाख रुपया किसानों को उनके गन्ने

के मूल्य का वितरण किया। मिल का भुगतान तथा यूनियन के निजी फंड का भुगतान शामिल करते हुए किसानों को अपने गन्ने के मूल्य का केवल २३.६४ लाख रुपया उक्त समय तक पाना रह गया था। ३१ जनवरी, १९६४ तक की बकाया धनराशि की वसूली हेतु मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या ६४६० एस/१८-सी, दिनांक २/१० सितम्बर, १९६३ द्वारा गन्ने की बकाया वसूली के सम्बन्ध में विस्तृत एवं उचित आदेश सभी जिलाधीशों को प्रेषित किया है।

इस चीनी मिल को, अभी तक कोई बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित न होने के कारण ही, अपने चीनी के उत्पादन पर कोई कर्जा नहीं मिल पा रहा है जिससे वह गन्ने की कीमत अदा कर सके। पिपराइच चीनी मिल पर गन्ने की मूल्य की और पुराना बकाया १५.०७ लाख रुपये भी था, जिसे मिल ने चालू सीजन में अदा कर दिया है और अब मिल के जिम्मे इस ओर कोई रकम बाकी नहीं है।

प्रश्न का अन्य भाग जैसे सरकारी तकावी लगान की वसूली आदि के सम्बन्ध में क्षेत्र समीकरण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा एकत्रित की गई सूचना के आधार पर सूचित करना है कि जिन किसानों का गन्ने के मूल्य का बकाया है उन्हें सम्बन्धित गन्ना समिति द्वारा अथारिटी लेटर उनके गन्ने के मूल्य की बकाया सूचक के रूप में दिया जा रहा है ताकि इसके आधार पर यह माल विभाग के अधिकारियों से मालगुजारी की वसूली की ओर सुविधा प्राप्त कर सके। जिलाधीश ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया है कि वे गन्ना उत्पादक जिनको गन्ने का मूल्य नहीं मिला है उनके लिखित अधिकार देने पर कि उनकी मालगुजारी की बकाया उनके गन्ने की कीमत से ले ली जावे, मालगुजारी की वह रकम वसूल न की जावे।

पाले से रबी व जड़हन की फसल को हुई हानि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा जिलाधीशों को आदेश दिया जा चुका है कि वे रेवेन्यू मैनुअल के नियमानुकूल फसल को हुई हानि का अनुमान लगावे तथा उस पर लगान से छूट देने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव सरकार को भेजे। रबी की किस्त की वसूली १४ अप्रैल, के बाद होती है अतएव इस समय उसमें किसी छूट के देने का प्रश्न नहीं उठता। कृषकों की सुविधा के लिये यह आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं कि जिन खातों में पाले से ५० नये पैसे या अधिक की हानि हुई है और उनमें पिछली खरीफ में भी इतनी ही हानि हुई थी तो उन पर मालगुजारी की बकाया की वसूली न की जावे। कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि ऐसे खाते पर तकावी की वसूली को भी निलम्बित कर दें। इसके अतिरिक्त उन सब क्षेत्रों में जहां पाले से फसल को ५० नये पैसे या अधिक की हानि हुई है, चकबन्दी शुल्क की वसूली स्थगित कर दी गई है।

जिलाधीशों को निदेश दिया गया है कि वे ध्यान रखें कि जब तक रबी की किस्त वाजिब न हो जाय उसकी वसूलयाबी न की जावे।

अब मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

दो जिलों का सवाल है। पहले पिपराइच शुगर मिल पर सप्लीमेन्ट्री हो जाय, तब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह--

नियम ५२ के अन्तर्गत एक ही विषय होगा या कुछ मिला जुला विषय भी होगा?

श्री अध्यक्ष--

जैसा आपको पसन्द हो वैसा किया जाय।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

पिपराइच मिल में देवरिया जिले के किसानों का भी गन्ना आता है। तो क्या देवरिया के जिलाधीश को भी यह आदेश दिये हैं कि जिन किसानों को गन्ने की कीमत नहीं मिली है उनकी गन्ने की कीमत मालगुजारी और तकावी में काट ली जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पहले यह आदेश दिये थे, लेकिन दोबारा यह आदेश कर दिये गये हैं कि जिनके गन्ने के दाम बाकी हैं उनसे वसूल न किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

२३ लाख रुपया जो पिपराइच मिल पर अभी बाकी है उसको दिलाने की क्या व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाय। उनकी चीनी बाकी है। उस चीनी को लेकर ही किसी तरह से दाम दिलाया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं दूसरा भी पढ़ दें तो अच्छा हो क्योंकि दूसरा भी करीब-करीब इसी तरह का है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इसे हो जाने दीजिये, हमारी सहूलियत इसी में है। वैसे अगर आप अपनी सहूलियत चाहते हैं तो जैसा चाहें कर लें।

श्री बांकेलाल--

दोनों भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की मिलें हैं। इसलिये इसको समाप्त हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाय तो प्रश्न करने में सुविधा होगी।

शान्तिप्रपन्न शर्मा--

क्रय-विक्रय समिति, आजमगढ़, द्वारा गन्ना मिलों को दिया जाता है। १९६३-६४ में रु० २,९३,९९१.८८ नये पैसे का गन्ना ले कर मिलों को दिया गया, उसमें से रु० २,६७,६१८.७१ नये पैसे मिलों से प्राप्त हुए। इस रकम में से २,२६,६२७.११ नये पैसे काश्तकारों को गन्ने के मूल्य का भुगतान किया गया। बाकी रु० ४०,९५६.६९ नये पैसे जिला सहकारी बैंक ने अपने पुराने कर्जे की अदायगी में मुजरा कर लिये। मिलों से रु० २६,३७३.१५ नये पैसे गन्ने का मूल्य वसूल करना बाकी है।

इसके अतिरिक्त १९६२-६३ में जो गन्ना मिलों को दिया गया था उसका मूल्य १९,८११.५९ नये पैसे मिलों से पाना बाकी है। इस तरह से काश्तकारों को गन्ने के मूल्य के रूप में निम्न रकमें देनी हैं:--

	रु० न० पै०
१९६२-६३	१९,८११.५९
१९६३-६४	२६,३७३.१५
	४०,९५६.६९
योग ..	८७,१४१.४३

क्रय विक्रय समिति ने ४५,००० रुपय सुपरवाइजरों और काश्तकारों को उधार दिया जिसमें रु० ४,७८७.१३ नये पैसे वसूल हो चुका है। समिति के रेकर्ड अपूर्ण हैं और उसमें कुछ अनियमिततायें हैं। स्पेशल आडिट पार्टी समिति का आडिट कर रही है। यह सत्य है कि काश्तकार रुपया मांगने आते रहे हैं और जब रुपया उपलब्ध रहा तब दिया जाता रहा, परन्तु धनाभाव के कारण काश्तकारों को वापस भी किया जाता था। जो भी अनियमिततायें, हुई हैं उनके बारे में कड़ी कार्यवाही हो रही है। दो सुपरवाइजरों को मुअत्तल कर दिया गया है। गन्ने की अदायगी का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

सोसायटी ने गड़बड़ किया, सुपरवाइजर ने गड़बड़ किया, सब ने गड़बड़ किया, लेकिन जिन किसानों ने गन्ना दिया उनका पैसा दिलाने के लिये सरकार और कोई रास्ता अख्तियार करेगी? जैसे बैंक ने पैसा ले लिया वैसे कर्जा दिलाकर जो किसान आज बैठानी में हैं, उनको पैसा दिलाने में क्या दिक्कत है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी तरफ सरकार का ध्यान गया है और प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई तरकीब निकले जिससे काश्तकार का रुपया मिल सके।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ४० हजार रुपया किसानों को देने के लिये आया था उसको बैंक ने कैसे ले लिया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सोसाइटी में बैंक का पुराना रुपया था उन्होंने अपना रुपया ले लिया।

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह रुपया किसानों को देने के लिये आया था या बैंक का बकाया रुपया लेने के लिये आया था?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

किसानों को देना तो चाहिये था लेकिन बैंक ने अपने पुराने कर्ज में उस रुपये को वसूल कर लिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि पिपराइच मिल के ऊपर २३ लाख रुपया किसानों का ही बाकी नहीं है बल्कि केन सेस का और मजदूरों के वेतन का बहुत सा रुपया बाकी है? अगर सारी चीनी जब्त कर ली जाय तब भी पूरा पेमेंट नहीं हो पायेगा। क्या मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोई कंट्रोल नियुक्त कराके इसका प्रबन्ध ठीक किया जाय और लोगों का असंतोष दूर किया जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस तरफ जरूर विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ४० हजार रुपया जो किसानों के गन्ने के मूल्य का बकाया है जिसे बैंक ने हड़प लिया है उसके लिये बैंक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उसी की जांच हो रही है कि क्या किया जाय । हड़पने वाली बात मैं नहीं मानता, लेकिन उनको नहीं लेना चाहिये था । काश्तकारों को कैसे रुपया दिलाया जाय, इसी पर गौर कर रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास किया जायगा ।

श्री बृजबिहारी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा पिपराइच मिल के बारे में आदेश दिया है कि किसानों से रुपया वसूल न किया जाय उसी तरह से आजमगढ़ के किसानों का लगान मुल्तवी करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर गन्ने का मूल्य बकाया है तो उनकी मालगुजारी वसूल न की जाय ऐसे आदेश भेज देंगे ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिपराइच मिल को रिकवरी नोटिस दे दिया और आजमगढ़ सोसाइटी को भी नोटिस दिया गया तो दोनों मिलों ने कौन सी कार्यवाही की और कौन सी कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सरकार जो कार्यवाही करेगी वह थोड़े दिनों में आपके सामने आ जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों की जो रकम बकाया है वह कब तक दिला देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रयास किया जायगा कि उनका रुपया जल्द से जल्द दिला दिया जाय ।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन, मेरी जानकारी यह है कि आजमगढ़ के किसानों का २६ हजार रुपया दिसम्बर तक बकाया था और उसमें से १८ हजार अब भी बाकी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी वह रुपया मय सूद के किसानों को वापस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि जो रुपया बाकी है उसको दिलाने का वह प्रयत्न करेंगे ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों का ४० हजार रुपया जो मिल से सोसाइटी को मिला वह किसके आदेश से बैंक को दे दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, ४० हजार रुपया किसानों को देने के लिये आया था । माननीय मिश्र जी ने कई बार प्रश्न किया कि यह रुपया किसानों के लिये आया था तो बैंक ने क्यों ले लिया ? अगर उनको देने के लिये आया था तो बैंक क्यों गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि साधारणतया बैंक के नाम ही चैक आता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल मिल के ऊपर ३० लाख का बकाया था, उसके वसूल कराने के लिये मुस्तैदी से कदम उठा कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आपने लिखा और २ दिन के अन्दर २० लाख का पेमेंट करवा लिया, क्या वह इस सीजन के अन्दर, ऐसे कदम उठायेंगे कि जितनी मिलों पर बकाया रुपया है, उसके लिये आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को लिखें कि उनके स्टाक्स सीज करके या जिस तरह से हो, इस सीजन में पूरा बकाया किसानों का दिला दें ?

श्री अध्यक्ष--

बहुत व्यापक प्रश्न है । Every case has its own merit.

श्री चन्द्रजीत यादव--

जिस प्रकार से इस मिल के ऊपर बकाया है उसी प्रकार सूबे की अन्य मिलों पर बकाया है, तो क्या वह इसके लिये कदम उठायेंगे कि वह बकाया उनको मिल जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसके लिये मैं प्रयत्नशील हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी किसानों का जो रुपया बाकी है, उसकी अदायगी के वक्त सूद दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह तो नियम ही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मिल मालिकों के यहां रुपया बकाया रहता है, मियाद के अन्दर नहीं देते तो उसका सूद देना पड़ता है, लेकिन सोसाइटी पर जो रुपया बाकी है ४०-४५ हजार, क्या उस पर सूद दिलावेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह तो नियम है । आजमगढ़ का मामला है, आप जो मदद करें ।

श्री उग्रसेन--

यह गन्ना कानून में लिखा है, नियमावली में, कि १५ दिन के अन्दर अगर पेमेंट न दें तो मुकदमा चलाया जाय, तो क्या सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया है ?

(मंत्री को उत्तर के लिये नहीं बुलाया गया ।)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री मेरी इस जानकारी को सही मानते हुये कि किसी मिल ने भी ऐसा नियम होने पर भी सूद कभी दिया नहीं, तीन, तीन महीने बाद पेमेंट करने पर भी, क्या वह निश्चित आदेश जारी करेंगे कि वह सूद दें ?

श्री अध्यक्ष--

वह चाहते हैं कि नियम का पालन करवा दीजिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

नियम का पालन करवाना हमारा काम ही है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवा लेंगे कि जिस मिल पर, पिपराइच मिल पर गन्ना किसानों का रुपया बाकी है और उसके लिये उन्होंने वक्तव्य में कहा है कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, मैं सूचना देना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी गोडाउन से चीनी को बेचा है, क्या वह इस के ऊपर कार्यवाही करवायेंगे, मिल वाले चीनी बेच रहे हैं और किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आपकी सूचना के लिये धन्यवाद । हम जांच करवायेंगे ।

श्री बृजबिहारी--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि किसानों का रुपया बाकी है, इसलिये किसानों ने गन्ना देना बन्द कर दिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार, जब कि प्रदेश भर में इस तरह की शिकायतें हैं, ऐसी कोई नीति बनायेगी कि जब कभी भी गन्ना काश्तकारों की बकाया की अदायगी का सवाल आये तो छोटी रकमों का सबसे पहले भुगतान करें और बड़ी रकमों का बाद में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सब जगह से ऐसी शिकायत नहीं है । कुछ मिलें ऐसी हैं कि गाड़ी निकलने से पहले पेमेंट कर देती हैं । कुछ मिलों के बारे में शिकायतें हैं । इसके लिये सोच रहे हैं । इसीलिये हमने विधेयक भी पास किया है ।

जिला बस्ती के एक ग्राम में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा आतंक के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि ग्राम अमरोहा निवासी, श्री अम्बिका पांडे, ने २९-२-६४ को ग्राम पोखर भिटवा के ताल पर लगभग १५०-२०० आदमियों को इकट्ठा किया । वहां से उन्होंने तीन आदमी ग्राम पोखर भिटवा के प्रधान के पास भेजे । यह तीन आदमी ग्राम पोखर भिटवा आये और प्रधान से वहां पर गाय कटने के विषय में पूछा । प्रधान तथा और व्यक्तियों ने यह कहा कि गाय कटने का समाचार गलत है । तीनों आदमी वापस चले गये और १५०-२०० आदमियों की भीड़ ने श्री अम्बिका पांडे के नेतृत्व में गांव पोखर भिटवा पर चढ़ाई कर दी । इस भीड़ को आते देख ग्राम पोखर भिटवा के निवासी गांव से भाग गये और खेतों तथा खलिहानों में जा छिपे । भीड़ ने घरों में घुसकर गल्ला, कपड़ा, जेवर, नकदी, जानवर, इत्यादि लूटा । गांव में १७ घर लूटने के पश्चात् भीड़ वापस चली गई । भीड़ के जाने के बाद ग्राम पोखर भिटवा के प्रधान तथा अन्य अपने घरों में आये और जब वे मोहम्मद सलीम के घर

में गये तो उन्होंने ६ व्यक्तियों को लूट का माल ले जाते हुये पाया। गांव वालों ने उन ६ व्यक्तियों को ललकारा और आपस में मारपीट के कारण दोनों ओर कुछ चोटें आई। ४ लूटने वालों को गम्भीर चोटें लगीं और दो को कुछ हल्की चोटें आई। यह दो व्यक्ति वहां से बच निकलने में सफल हो गये। इसके पश्चात् इनके सूचना देने पर ३०-४० व्यक्ति फिर ग्राम पोखर भिटवा आये और वहां के निवासी एक बार फिर भाग कर छिप गये। आने वाले व्यक्तियों ने २ घरों को और एक पशु के छप्पर को आग लगा दी। वे चार चुटैल व्यक्तियों में से तीन को अपने साथ लेते गये और चौथे की जिसकी अब तक मृत्यु हो चुकी थी, वहां छोड़ गये। जब ये व्यक्ति चले गये तब गांव वालों ने आग बुझाई और इस घटना की सूचना साढ़े छः बजे सन्ध्या को थाने में लिखाई जिसमें ३८ व्यक्तियों के नाम लिखाये गये हैं।

मेहदावल थाने के अध्यक्ष तुरन्त ही ग्राम पोखर भिटवा में पुलिस लेकर पहुंचे। खलीलाबाद के सर्किल इन्सपेक्टर भी इसके तुरन्त पश्चात् ही वहां पहुंचे। अभियुक्तों को पकड़ने के लिये दविश दी गई और २० आदमी पकड़े जा चुके हैं। दो लाशें भी पुलिस ने बरामद की हैं। घटनास्थल पर जिलाधीश, जिला पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर और डी० आई० जी० भी हो आये हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिये प्रयत्न जारी है तथा गांव में पी० ए० सी० की एक कम्पनी और मैजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिये गये हैं। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान इत्यादि करने की कोई सूचना नहीं मिली है। स्थिति पूर्णतया काबू में है तथा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

मैजिस्ट्रेट द्वारा घटना की जांच के आदेश भी दे दिये गये हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोखर भिटवा के कितने आदमियों को चोटें लगीं और वह चोटें किस प्रकार की है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

इसकी सूचना नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरे हुये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वह कहां के निवासी हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

एक हैं श्रीपत हरिजन और दूसरे मजई उर्फ मनराज। यह मनराज अमरोहा के हैं और दूसरे मेंहदावल थाने के पास के हैं.....

श्री अध्यक्ष--

लेकिन इसकी इम्पार्टेंस क्या है ?

एक सदस्य--

इम्पार्टेंस यह है कि अमरोहा से लाकर यह मवेशी काट रहे थे.....

श्री अध्यक्ष--

अच्छा तो आप ही बता दीजिये कि वह कहां के निवासी थे ?

एक सदस्य---

अमरोहा के दोनों हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, दोनों अमराहा के निवासी हैं यह आप देख कर बतायें ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री ने सरकार की ओर से यहां सदन में भी कहा था और सरकारी कर्मचारियों को आदेश भी दिया था कि कम्युनल हारमनी मेन्टेन की जाय और इसके विरुद्ध कोई बात नहीं होनी चाहिये । तो कहीं गाय कटने को आप नियम ५२ में ऐडमिट कर लेते हैं या परचे छपवा दिये गये, वह ऐडमिट कर लेते हैं और उससे वातावरण खराब होता है । उस तरह के प्रस्ताव पर विचार होने से यहां पर गलतफहमी फैलती है और नाना प्रकार का बाहर प्रचार होता है । यह एक ऐसी चीज है जो हमारी व्यवस्था के विरुद्ध है । ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने से ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है जो अच्छा वातावरण पैदा नहीं करती । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि जो हमारी नीति है उसके विरुद्ध आप यहां ऐडमिट करके ठीक करते हैं या गलत करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अगर कोई नियम हो और वह नियम ऐसा हो जो मुझे बाध्य करता हो तो आप कृपया मुझे दिखला दीजिये । दूसरी बात यह है कि जो परम्परा है इस प्रकार की उसको मुझे दिखला दिया जाय तो मैं इसको देख लूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात को सूचना मानकर पुनः जांच करायेंगे और अगर जांच हुई तो उसको सदन की मेज पर रखेंगे कि यह जो अम्बिका पांडेय हैं इन्होंने २ साल पहले अमर डोमा गांव में, जो मेंहदावल सरकिल में हैं वहां जुलाहों को लूटा था और उसके बाद फिर कत्ल के मुकदमें में फंसे थे और हाईकोर्ट से जाकर छूटे या सजा काटी और फिर दूसरी बार यह काम किया ? तो जो आदमी इस तरह का नित्यप्रति वातावरण पैदा कर रहा है, इस तरह का काम कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

यह बात सही है । इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो रही है वह तो उनको गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन अभी वह गिरफ्तार नहीं हो सके हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो लूटपाट उस गांव में बतलाई गयी कि दिन भर होती रही और मेंहदावल थाना वहां से दूर नहीं है, तो इसका क्या कारण है कि थाने में ६।। बजे के बाद ७, ८ बजे रात को पता चला ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---..

मैंने जैसा कहा कि ६।। बजे रिपोर्ट लिखाई गई । वहां से ५ मील थाना है । इस वजह से पुलिस तुरन्त नहीं पहुंच सकी और देर में आई ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कोई और भी रपट सरकार के पजेशन में है या यही रपट है जिस पर यह कहा जाता है कि एफ० आई० आर० दाखिल होने पर पुलिस कप्तान गये, कलेक्टर

गये, एस० ओ० आये और सरकिल इन्सपैक्टर आये जो इस की जांच कर रहे हैं और दूसरी रपट किसी ने नहीं लिखाई ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब हो गया ।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

वह अम्बिका पांडेय जब वहां पर गया तो उसको वहां पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

चूंकि वह भाग गया था ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार बतलायेगी कि जब पहली बार लूटपाट हो रही थी और वे लूट पाट करके चले गये और जंगलों में भाग गये, उसके बाद फिर मारपीट करने के लिये आये और उस समय फिर उनसे मारपीट हो गई । उसके बाद, वे लोग, कहा जाता है कि दूसरे लोगों को बुलाने के लिये चले गये और वे कुछ लोगों को लेकर आये, तो इस बीच में थाने में रपट क्यों नहीं लिखाई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह बेहतर होता कि यह आप उन लोगों से ही पूछ लेते ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक परिस्थिति कुछ बिगड़ रही है। पच्छिम में बुलन्दशहर और पूर्व में बस्ती इस पूरे रेन्ज में किसी न किसी प्रकार की घटना हो रही है । लगता है इसके पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं । इसकी सरकार को सूचना भी होगी और गृह मंत्री जी चिन्तित भी हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री झारखंडे राय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेष परिस्थिति को देखते हुये, प्रदेश की पच्छिम और पूर्व की स्थिति को देखते हुये, क्या सरकार डी० आई० आर० या गुंडा ऐक्ट का प्रयोग करना चाहती है कि जो लोग जरा भी ऐसा काम करते दिखाई पड़ें उनको गिरफ्तार कर लिया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

छुटपुट घटनायें हुई हैं, लेकिन जितनी चिन्ताजनक स्थिति आप बतला रहे हैं उतनी मैं नहीं समझता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मुझे माननीय मंत्री जी की भाषा पर आपत्ति है । उन्होंने उत्तर में कहा कि उन्हीं से जा कर पूछिये, लेकिन. . .

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न किया था कि उन्होंने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखायी. . .

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो बात बतलायी गयी है वह गलत है । उन लोगों को काफी समय था ।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यक्ति अथवा एक समुदाय ने एक काम नहीं किया। अब आप पूछते हैं कि क्यों नहीं किया, तो सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है। उसका जिम्मेदार वह है जो रिपोर्ट कर सकता था।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने मुलजिमान पकड़े गये हैं उन की तरफ से एलीगेशन्स क्या हैं ? उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आयी है और उसमें घटना का विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वहां एक मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी चल रही है। जो स्टेटमेंट वहां से आया है वह आपके सामने पढ़ कर सुना दिया गया····· (व्यवधान) :

श्री अध्यक्ष—

मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैजिस्टीरियल इंक्वायरी वहां हो रही है तो हमारे यहां ऐसे प्रश्न नहीं हो सकते कि जो उस इंक्वायरी को एफेक्ट करें।

श्री रामअवध (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस गांव में यह दुर्घटना हुई है वहां कोई चौकीदार भी रहता है ? यदि हां, तो उसने अपने कर्त्तव्य का पालन क्यों नहीं किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

श्री सुरजनराम विशारद—

जो मुलजिमान अभी तक फरार हैं उन के खिलाफ दफा ८७, ८८ की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गिरफ्तारी में क्या-क्या कार्यवाही हो रही है, इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक व्यक्ति मर गया और बतलाया कि दो लाशें बरामद हुई। तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह दूसरी लाश किस आदमी की है और वह लूटमार करने वालों में से था या कोई अन्य व्यक्ति था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दूसरी लाश श्रीपत की थी जो कि चोट खाकर भाग गया था और अपने घर पर जा कर मर गया।

श्री उग्रसेन—

इस बात को देखते हुये कि घटना अभाग्यपूर्ण है, क्या मंत्री जी इसकी मैजिस्टीरियल जांच न कराकर न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस-किस धारा में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी और क्या यह सही है कि वहां स्त्रियों की बेइज्जती भी की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसा कोई आरोप नहीं है कि स्त्रियों की बेइज्जती की गयी और रिपोर्ट वैसे ही लिखायी है, लेकिन कलैक्टर का कहना है कि रिपोर्ट के फैक्टस् गांव के आदमियों के बयान से कारबोरेट करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसमें कोई धारा भी लिखी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

रिपोर्ट में धारा का कोई जिक्र नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिस गांव में यह घटना हुई है उसके प्रधान का क्या नाम है और क्या पुलिस ने उस गांव मे कटे हुए जानवर बरामद किये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जानवर वहां नहीं मिले। पुलिस का कहना था कि बात गलत थी।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हुआ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए वह मैं सुन लूंगा।

इस संबंध में मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि माननीय नेकराम ने एक प्रश्न उठाया जो यदि न उठाते तो अधिक शोभनीय होता, इस वास्ते कि मैं यह समझता हूं कि बाहर वातावरण अगर खराब हो रहा है, जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने संकेत किया और मैं भी इस बात का अनुभव करता हूं, तो स्पष्ट रूप से यहां पर विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा हमें सही बात के ऊपर प्रकाश मिल सकता है और इस वजह से मैं चाहूंगा कि अगर कोई बात ऐसी हो तो मेरे कमरे में बात चीत की जाय, आफिस में की जाय, इस तरह से सदन का बातावरण दूषित न किया जाय जिससे बाहर यह प्रभाव पड़े कि यहां पर कोई सांप्रदायिकता को प्रज्वलित करने का प्रयास हो रहा है। यह बहुत गलत बात है।

श्री नेकराम शर्मा—

आपने मेरे संबंध में जो बात कही है तो मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठिए।

श्री नेकराम शर्मा—

रूल के अन्दर है कि अगर कोई सदस्य परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक्सप्लेनेशन का सवाल उस वक्त होता है जब कोई आरोप किसी के ऊपर होता है। मैंने कहा है कि उस किस्म की बात यहां नहीं उठानी चाहिये।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि नेकराम शर्मा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उनके कहने की मंशा केवल यह था कि ऐसे प्रश्न जो पूरे प्रदेश में तनाव पैदा कर रहे हैं उनके लिये सब का फर्ज हो जाता है कि ऐसी स्थित बाहर न पैदा हो, सरकार भी सतर्क है और कोशिश करती है, सजग है। और सदन के अन्दर बहुत सी अफवाह होती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि कहीं गाय कटने की, कह झूठा प्रचार करने की जिससे तनाव पैदा होने की संभावना हो, तो उसके आधार पर अगर कोई चीज यहां आ जाती है तो आप बजाय इसके कि मंत्री जी से कहते कि पता लगा लीजिये कि इस में कितनी सच्चाई है तो एक माध्यम निकल सकता था। उसके ऊपर माननीय नेकराम शर्मा का विचार था कि जिस प्रकार से यह प्रश्न उठाया गया और उत्तर होते हैं तो बहुत सी चीजे उस में बेबुनियाद होती हैं और तनाव पैदा करने वाली होती हैं। अगर मंत्री जी के पास भेज देते तो इससे वातावरण शान्तमय बनाने में सहायता मिलती। यह उनका एक सुझाव था। आपने राय दी कि अगर बात करनी है तो हमारे कक्ष में बात कर लीजिये। मैं यह कह रहा हूं कि बात वहीं समाप्त हो गयी। उसके बाद फिर यह रूलिंग जब आप देते हैं और यह आक्षेप लगाते हैं एक माननीय सदस्य के ऊपर और वह सफाई देना चाहते हैं तो उसको रूल आउट करके आउट आफ आर्डर कर देते हैं, मैं समझता हूं यह प्रक्रिया में सहायक नहीं होगा।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस संबंध में हुई है। नेकराम जी की बात जो मैं समझी वह यह थी कि हम लोगों की कोशिश होनी चाहिये कि कम्यूनल वातावरण खराब न हो और अगर इस हाउस में सवाल जवाब में ऐसी चीज आती हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का अन्देशा हो तो उसका खयाल रखना चाहिये। मैं नहीं समझती कि उन्होंने आपका कोई निरादर किया। उन्होंने इतना ही कहने की कोशिश की कि हो सकता है जो प्रस्ताव यहां मंजूर होते हैं, वह कानून के अन्दर ठीक हों, लेकिन कम्यूनल ऐटमास्फियर बिगड़ने की संभावना रहती है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री, आपसे बता दूं कि जिन शब्दों में उन्होंने कहा था उन पर आपत्ति कर रहा हूं। आप यहां ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं आदि। जिस तरह से आपने कहा और माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा, अगर इस तरह से प्रश्न होता तो ठीक था, मगर श्री नेकराम ने तो कहा कि एक परंपरा ही पड़ गई है। फिर एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं, इस पर मैंने कहा था कि इस तरह की बात नहीं होना चाहिये, कोई और बात नहीं कही थी।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, जब आपने इसको स्वीकार कर लिया और वक्तव्य देने के लिये आदेश दे दिये और वक्तव्य हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस तरह से लूट, डकैती आदि संगीन अपराध हो जायं और उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाय, तो क्या वह रिपोर्ट बिना किसी धारा लगाये भी दर्ज हो सकती है? क्या यह सही हो सकता है कि रिपोर्ट बिना किसी धारा के लिखाई गई हो? फिर अगर किसी पुलिस अधिकारी ने बिना धारा के उसको लिखा है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि इसमें कोई धारा नहीं दर्ज है। अब जो उत्तर सरकार का आता है उसका मतलब तो आप समझकर लगा सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं स्पष्ट कर दूं। पूछा यह गया था कि रिपोर्ट किस धारा में लिखायी गयी। तो रिपोर्ट जो लिखाने वाला होता है वह तो बिना धारा के ही अपनी रिपोर्ट लिखाता है, धारा तो पुलिस वाले बाद को लगाते हैं। मैंने कहा था कि रिपोर्ट में किसी धारा का जिक्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एफ० आई० आर० जो लिखी जाती है उस में धारा का एक कालम भी होता है। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह सही है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो, मगर जब माननीय नेकराम शर्मा ने प्रश्न उठाया तो उसमें कौन-सी ऐसी बात हो गयी जिससे आप नाराज हो गये?

श्री अध्यक्ष—

नाराजी की कोई बात नहीं, आप कृपया बैठिये, मैं बता दूं। एक संसदीय परंपरा होती है, अगर आप यह कहने लग जांय कि मैं यहां पर दुर्व्यवस्था कर रहा हूं तो यह गलत है...

श्री उग्रसेन—

उसके लिये हमारे पास हथियार है, अविश्वास का प्रस्ताव लाने का।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक संसदीय पद्धति यही है कि चेयर पर रिफ्लैक्शन न हो। मैं माननीय नेकराम जी को विश्वास दिलाता हूं, मेरा तात्पर्य केवल यही था कि चेयर पर रिफ्लैक्शन न हो (व्यवधान)। अब यह अध्याय समाप्त हुआ।

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७–सूचना निदेशालय

*विद्युत उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५८,६८,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, सूचना विभाग का काम साधारणतः जनता और सरकार के बीच में सम्पर्क स्थापित करना है। यह काम और भी आवश्यक इसलिये हो गया कि पिछले दिनों पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार काम बहुत ज्यादा हुए और उन कामों के बारे में जनता तक उनकी जानकारी पहुंचाने और उनको समझाने की आवश्यकता होती है।

हमारा सूचना विभाग कई शाखाओं में काम करता है। इस की एक प्रमुख शाखा सामाचार-पत्र शाखा है। जहां तक समाचार पत्र और सरकार का संबंध है, हम दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा यह विभाग करीब-करीब ३०० प्रेस नोट रोज समाचार पत्रों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

के लिये तैयार करता है और हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के अखबारों को देता है। हिन्दी के लोग तो ज्यादातर छापते हैं और अंग्रेजी वाले भी कभी-कभी उनको ले लिया करते हैं। जो नोट्स हम देते हैं उनका यह मतलब नहीं है कि उनको उसी प्रकार से छापा जाय। हमारे यहां समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता है। यही नहीं, हमने यह भी नियम बनाया है कि डी० आई० आर० के नियमों के अनुसार अगर कोई अखबार गलत चीज छाप जाता है तो उसको हम प्रेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रख देते हैं कि वह इसको देख ले और उसका इन्तजाम करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे और समाचार पत्रों के बीच में ताल्लुकात काफी अच्छे हैं।

इसकी एक दूसरी शाखा है उसका नाम है--कम्युनिटी रेडियो लिसिनिंग स्कीम। इसके अन्तर्गत देहात में करीब १४ हजार रेडियो सेट्स लगे हुए हैं। ६ हजार रेडियो सेट्स का इस साल आर्डर दे दिया गया है। अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया से आने प्रारंभ नहीं हुए हैं। साधारणतः ७०० रेडियो सेट्स हम प्रति वर्ष लगाया करते हैं। हमने रेडियो गोष्ठियों का भी प्रयास किया है। ये २०-२० आदमियों की होती हैं, जो मिल कर सुनने के लिये जाया करते हैं। इस प्रकार की रेडियो गोष्ठी करीब १ हजार के हमने इस प्रांत में बना दी हैं।

एक दूसरी शाखा फिल्म सेक्शन की है। इस शाखा में हम कुछ फीचर फिल्म व डाक्युमेंटरी फिल्म अपने प्रांत में बनाते हैं। भारत सरकार भी कुछ डाक्युमेंटरी फिल्म हमको देती है। उस तरह की डाक्युमेंटरी फिल्म अभी हमने अपने गेस्ट हाउस में दिखलाया भी था।

यह प्रांत हिन्दी बोलने वाला है। हमारा यह प्रयास है कि यहां हिन्दी को तरजीह दी जाय। इसीलिये हमने अपने प्रांत में एक हिन्दी समिति बनायी है जो इस काम को करती है कि हिन्दी में जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं साधारणतः, उनको वह छापे। इसीलिये कुछ पुस्तकें हमने यहां मंगायी हैं ताकि हमारे आदरणीय सदस्य उनको देख सकें कि यह कितना कठिन काम है। इन पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि ये बिकती नहीं हैं। ये पुस्तकें बिकती भी हैं, लेकिन जो कामर्शियल पुस्तकें हैं, जैसे उपन्यास वगैरह, उनको तो प्राइवेट प्रकाशक छापें और उनसे लाभ उठावें, लेकिन...

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

सदन के माननीय सदस्यों को किताबें बांट दी जातीं तो वे देखते कि कैसी किताबें हैं।

श्री अध्यक्ष--

बाद को देख लीजियेगा।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आपको वे पुस्तकें मैं दिखला दूंगा। जहां तक वे पुस्तकें जो कि उपलब्ध नहीं हैं और रेयर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उन पुस्तकों को छापने की व्यवस्था करें। बाद में मैं आपको बतलाऊंगा कि ऐसी कुछ पुस्तकें हमारी रेयर हैं जो लाखों में एक गिनी जा सकती हैं। इनके काम करने पर हम अपने प्रदेश में जो खर्च कर रहे हैं वह खर्चा हमारे बजट का .२ परसेंट भी नहीं है जबकि दूसरे प्रांत इस काम पर हमारे यहां से बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो लिटरेचर वगैरह जो हम बांटते हैं उस पर एक नया पैसा पर हेड पड़ता है। इसलिये अभी जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि इस काम को कुछ और आगे बढ़ावें। इसका मतलब है कि आप कुछ और थोड़ा सा रुपया इकट्ठा करके बजट में दे देंगे तो यह काम कुछ आगे बढ़ सकेगा।

हमारे डिस्ट्रिक्ट इनफारमेशन आफिसर्स की जो यूनिट है, उसकी बड़ी शिकायत होती है कि ये अच्छा काम नहीं करते, अपनी गाड़ियां इधर उधर बहुत फिराया करते हैं। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट इनफारमेशन आफिसर्स यूनिट पर उनकी तनख्वाह के सिवा जो टी० ए० व दफ्तर आदि पर खर्चे के लिये बजट में ६०,५०० रुपया रखा गया है उससे उनको पेट्रोल के लिये केवल

१०० रुपये माहवार मिलता है । उसी में डाइनिमों आदि का खर्चा जिससे वे सिनेमा आदि दिखलाते हैं अनेक गांवों में आने-जाने का खर्चा भी उसी में शामिल है, लेकिन उसके बाद भी वह खर्चा .२ ही पड़ता है । इस बात को देखते हुए जो काम हम कर रहे हैं और उसके लिये जितना रुपया आप दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस बात की सराहना करेंगे और मेरे इस अनुदान को पास करेंगे ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, अब तो किताबें बटवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

वे बांटने के लिये नहीं आयी हैं, निरीक्षण के लिये आयी हैं ताकि देख लिया जाय कि वे कितनी मूल्यवान हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सब लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जो पढ़े लिखे हैं उनको बांट दी जाय ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । इस के साथ ही श्रीमन्, यह जो नं० ५ है कि इस विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने, कांग्रेस की मीटिंग कराने, सरकारी कार्यों को जनता तक न पहुंचाने, जनता में पार्टी लाइन पर प्रोपेगन्डा करने तथा विभागीय धन का दुरुपयोग करने की आलोचना करना । यह भी कमी करने का उद्देश्य में ही हमारा माना जाय तथा सभी प्रस्तावों को उपस्थित किया हुआ माना जाय ।

इस से पहले कि मैं सूचना विभाग के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूं सब से पहले मैं चाहूंगा कि सदन को यह बता दूं कि एप्रोप्रिएशन एकाउंट में १९६०–६१ में और १९६१–६२ की जो रिपोर्ट दी है उसमें सन् १९६१ में २,०३,३७६ रुपये की बचत हुई है और सन् १९६२ में भी ३९ हजार रुपया सरेंडर किया गया है तथा १.०३ लाख की बचत हुई । इस बचत को ध्यान में रखते हुये यह बजट क्यों नहीं बनाया गया है ? उसमें क्यों नहीं इस बात का ध्यान रखा गया कि जब प्रति वर्ष पैसा बच जाता है तो क्यों न इस वर्ष कम बजट रखा जाय और व्यय की धनराशि में कमी की जाय ? सरकार इस विभाग पर कितना पैसा, किस प्रकार व्यय करती है, और वह पैसा जो टेक्स पेयर यानी गरीब मजदूर व किसान का है उसको इस विभाग से कितना लाभ हो रहा है, इसकी कौन सी मद से जनसाधारण को लाभ पहुंच रहा है और किसान को इस विभाग से क्या लाभ हो पा रहा है यह देखने की बात है । जैसाकि मैंने प्रस्ताव में बताया कि यह विभाग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का एक साधन है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का यह एक माडर्न और सुन्दर साधन है ।

सरकार ने इस विभाग की ५८,६८,६०० रुपये की मांग रखी है । यह विभाग न तो सरकार का ही प्रचार करता है और न उस की छोटी से छोटी और न बड़ी से बड़ी योजनाओं या उसके कार्यकलापों का ही प्रचार करता है । इस विभाग में ७२ अफसर हैं और १,०८० स्टाफ के मेम्बर हैं इतना सब कुछ होते हुये भी और इतना बड़ा बजट लेने पर भी सरकार ने इस की थोड़ी भी तकलीफ गवारा नहीं की कि ४ पन्ने का एक बुलेटिन छाप कर यह बता देती कि इस विभाग द्वारा क्या-क्या काम हो रहा है । शायद उन्होंने यही सोच रखा है कि इसमें सारे वह रासरंग, मनोरंजन हास विलास, राज्य के मंत्रियों के मनोविनोद के साधनों और भौतिक सुखों के खर्चे शामिल हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर जो पैसा

[श्री विजयसिंह]

खर्च किया जाता है वह होता ही रहे और वह सब अन्तरंग हास विलास रहे और वह आम जनता में किसी को मालूम भी न हो। यही चतुर नीति विभाग ने बनाई है कि रास रंग होता रहे और देश और प्रदेश में उसकी झलक किसी को न दिखाये। अगर यह बात न होती तो विभाग का ४ पन्ने का बुलेटिन यहां सदन के सभी माननीय सदस्यों को मिल जाता और हमें भी संतोष हो जाता कि विभाग में क्या काम हो रहा है। उससे पता चल जाता है कि यह जनसेवी विभाग कहां तक जनता की सेवा कर रहा है। यह विभाग लाखों रुपयों की पुस्तकें और बढ़िया पोस्टर और कलेंडर छापता है, लेकिन २ आने की ४ पन्ने की विभागीय रिपोर्ट पुस्तिका नहीं छाप सकता। आज कोई कारण भी नहीं है कि वह छप न सकतीं। विभाग में कितनी सुपरफ्लुअस पोस्ट्स हैं, एक के बाद दूसरी नियुक्तियां होती जाती हैं, लेकिन ५८-५९ लाख के बजट में ४ पन्ने का एक छोटा पेंफ्लेट भी नहीं छप सकता जिससे नियोजन का प्रचार होता। ५८ लाख के बजट में १४ लाख ८८ हजार रुपये केवल कंटिंजेंसी का खर्चा है। प्रत्येक जिले में एक जिला इन्फारमेशन आफिसर है, एक जीप है उनके घूमने के लिये। यह अफसर सरकार के बड़े काम के हैं। जब मंत्री जी दौरे पर जाते हैं तो यह हर दिशा में आमोद-प्रमोद की सामग्री जुटा कर भेंट करते हैं और थकान दूर करने को तरुणी राज्य कन्याओं से पुष्प भेंट कराने में सहायक होते हैं। वह जिला सूचनाधिकारी के अलावा एक और सहायक इंफारमेशन अधिकारी लखनऊ से ही लेकर चलते हैं। आपके भाषण को क्या जिले वाले सूचनाधिकारी लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी साथ में यह भी चलते हैं, एक फोटोग्राफर भी चलता है जो श्रमदान में मंत्री जी को फड़वा चलाते हुये और उद्घाटन करते हुये फोटो खींचते हैं। राजधानी लखनऊ में तो एक फिल्म स्टूडियो है, यहां तो माननीय मंत्रियों के कार्यकलापों की पूरी फिल्म की शूटिंग हो सकती है तो उनके साथ में फोटोग्राफर के चलने की क्या जरूरत है? पहले समय में मंत्री जी के साथ के स्टेनो ही स्पीच रेकार्ड कर लेते थे वह जानते थे कि क्या चीज अखबार में जाने वाली है। वह विभाग की सब टेकनिक और मैटर को समझते थे और मंत्री जी क्या बोलेंगे उनके नोट्स बनाकर, तैयार करके, प्रेस को दे दिया करते थे। पहले दौरे पर इतना व्यय नहीं होता था।

इर्रीगेशन विभाग में ८ चीफ इंजीनियर्स तो सुने हैं, कृषि विभाग में भी डिप्टी डायरेक्टर्स करीब ८ हैं जो रेंज हेड क्वार्टर्स पर ही रहते हैं, पर इस विभाग के सभी डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ में ही रहते हैं। शायद यहां ज्यादा आमोद-प्रमोद और घूमती हुई रंगीन परियों के समाचार प्राप्त हो सकते हैं। मेरी राय में यह बात ठीक नहीं है। नान प्लान भाग तीन में रिवीजन आफ पे आफ रेडियो इंजीनियर का एक आइटम है। वह इंजीनियर बहुत काबिल है इसलिये उनके लिये यह प्रबंध विशेष रूप से किया गया है और साथ ही प्रतिबंध यह लगाया गया है कि यह स्केल केवल वर्तमान अधिकारी के लिये ही होगा क्योंकि उनकी योग्यता काफी उच्च है। अतः उनके लिये खासतौर से स्केल रखा गया है। इसमें समझ में आता है कि इसमें कितना पोलिटिकल करप्शन है। एक पर्टिक्युलर आदमी के लिये एक पर्टिक्युलर पोस्ट क्रिएट करा देना अधिकारियों के बांये हाथ का खेल है। रेडियो इंन्सपेक्टर्स की ३३ पोस्ट्स हैं। इनका रेक्रूटमेंट पोलिटिकल प्रेशर के आधार पर हुआ है, इसमें अधिकतर आदमी बनारस के रहने वाले हैं और अनट्रेंड भी रहे हैं। इनको ट्रेनिंग विभाग की ओर से दिलायी गई जब कि आपके यहां रेगूलर इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और उनके कैंडीडेट्स को ले सकते थे। उनको न लेकर इन लोगों को पोलिटिकल प्रेशर के कारण लिया गया। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि "सूरा बांटे रेवड़ी और चीन्ह चीन्ह के देय" यह हाल इस विभाग में हुआ। ३ तारीख को माननीया मुख्य मंत्री ने कहा था कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का रीआर्गेनाइजेशन और स्ट्रीमलाइन करने की योजना बना रखी है जिससे ऐफीशिएंसी को बगैर इमपेयर किये इकोनामी कर सकें। उनके शब्द यह थे, आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं। "She plans to organise and streamline the administration and effect economy without impairing efficiency."

उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है इसके लिये वह धन्यवाद की पात्र हैं, पर ब्यूरोक्रेसी और अन्य लोग चाहते हैं कि उनकी स्कीम्स सफल न हों। ब्यूरोक्रेसी की नीति को देखें कि उन्होंने

९७,५०० रु० का रेकारिंग ऐक्सपेंडिचर रख छोड़ा है पोस्ट को परमानेंट करने के लिये। जब पोस्ट परमानेंट हो जायगी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया आप कैसे उसको कम करेंगी ? ब्यूरोक्रेसी की यह पुरानी तरकीबें हैं। माननीया मुख्य मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान दें। सूचना विभाग का काम है कि वह पत्रकारों की सहायता करे। अभी मंत्री जी ने कहा कि हमार पत्रकारों से संबंध अच्छे हैं। पत्रकारों का स्थान बहुत ऊंचा है। वे हमारे देश और प्रदेश के जागरूक और चतुर प्रहरी हैं, इनको बन्धन मुक्त होना चाहिये। इस विभाग ने इनको बुरी तरह से जकड़ रक्खा है। अभी मंत्री जी ने कहा कि प्रति दिन विभाग से ३०० प्रेसनोट्स तैयार होते हैं। यह बात तथ्य के परे है और वह भी अंग्रेजी में होते हैं। यह सदैव रात्रि को छपने के लिये रात को १० बजे प्रेस भेजे जाते हैं जिनका हिन्दी पत्रों को उनको हिन्दी में अनुवाद करना पड़ता है। जो सूचना विभाग देता है वही पत्रकार छाप सकते हैं। यह क्या उनकी स्वतंत्रता है ? क्या चतुरता से यह बन्धन मुक्त नहीं है ? यह उनके ऊपर बड़ा भारी बन्धन है। यह वही पत्रकार हैं जिनके पत्रों से सदैव जनवाणी मुखरित होती है। शासन को सचेत करते रहना उनका काम है। शासन और जनता के बीच कड़ी हैं—जन-जागरण के साधन हैं। इनकी स्वतन्त्रता अनिवार्य है।

श्री अध्यक्ष—

आपके १५ मिनट हैं। ३ बजे या अधिक से अधिक साढ़े ३ बजे तक आज इसे खत्म करना है। ५ मिनट आपको और मिलेंगे।

श्री विजयसिंह —

१० मिनट में खत्म कर दूंगा। माननीया मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की जो न्यूज होती हैं वे बहुत ज्यादा इफेक्विट नहीं होतीं। यह विभाग सरकार का स्पोक्समेन है। इसके टर्म्स पत्रकारों के साथ अच्छे होने चाहिये, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि पत्रकारों से इस विभाग के कतई अच्छे टर्म्स नहीं हैं। कोशिश यह होती है कि सरकार और प्रेस में लड़ाई कराई जाय और अच्छी से अच्छी न्यूज प्रेस वाले न दे सकें। इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट में एक एक्रीडीशन कमेटी है तथा सचिवालय में काम करने वाल दूसरी कमेटी प्रेस करेसपोंडेन्ट्स कमेटी है। एक्रडीशन कमेटी में गवर्नमेंट के नामिनीज होते हैं जो उनके यस मैन हैं। उसमें यह आवश्यक था कि सेक्रेटेरियट में जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं उनकी जो कमेटी है उनका रिप्रेजेन्टेशन उसमें होना आवश्यक है, लेकिन वह आज नहीं है। यह कमेटी पत्रकारों के बीच रोड़े अटकाती है—मिसाल के लिये श्री शतीन्द्र शुक्ल पत्रकारों में बहुत पुराने तथा अनुभवी प्रेस रिपोर्टर हैं उन्होंने जब इस कमेटी के करप्शन तथा खराबी के सम्बन्ध में लिखा तो सरकार ने उनको रिपोर्टिंग करने से रोक दिया। यह दबाव नहीं है तो क्या है ? माननीय सदस्य जितने यहां बैठते हैं सभी सच बातें कह सकते हैं, लेकिन प्रेस के लोग अपनी बात सही भी नहीं कह सकते। इस बात को विभाग ने दबा दिया है। इस कमेटी को रिकांस्टीट्यूट होने की जरूरत है।

यह विभाग एक बात यह भी करता है कि पत्रकार यदि यहां बैठ कर सरकार की आलोचनात्मक कोई बात सुनते हैं और जनता में उसे कहते हैं तो वह सरकार को मालूम होती है तो सरकार उनका मुंह बन्द करना चाहती है और उसके लिये सरकार ने एक बेनोवेलेंट फंड खोल रखा है और जब कोई पत्रकार अपनी जबान खोले तो उसे रोटी का एक टुकड़ा डाल दो। मेरा निवेदन है कि इस फंड से उसकी क्या सहायता हो सकती है, इससे उनमें अधिक असन्तोष और रोष है। यदि वास्तविक सहायता ही करनी है तो उनको कोई माकूल सहायता दी जाय या उनको चिकित्सा की सुविधा दी जाय।

दूसरा मैं ग्रान्ट इन एड वाला प्रश्न लेता हूं। प्रेस को ४,६०० रुपये और म्यूजिक इन्स्टीट्यूशन को ८१,९०० रुपये ग्रान्ट इन एड के दिये हैं और बजट के भाग ४ में हिन्दुस्तान समाचार को

[श्री विजयसिंह]

२,००० रुपये १९६३–६४ के बजट में रखे गये थे, अब कोई स्थान नहीं दिया गया, इसी आइटम के सामने बिन्दु रखे हैं।

मैंने सोचा सम्भवत : कोई नाराजगी की बात हो सकती है। यह प्रान्त हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है। शायद इसलिये कि हिन्दी का प्रचार इनका अच्छा न हो, इसलिये इसको कुछ नहीं रखा गया। केवल यही संस्था ऐसी है जो हिन्दी का प्रचार तीन प्रान्तों को छोड़कर सभी जगह कर रही है। इसी के पास हिन्दी के २ टेलीप्रिन्टर हैं फिर इसकी उपेक्षा क्यों ? इस समाचर-पत्र के रिपोर्टर को भी अभी परामानेन्ट रेकगनीशन नहीं मिला है। क्या यह रोड़ा अटकाना नहीं है ? जो म्युजिक इन्स्टीट्यूशन्स को पैसा दिया गया है यह काम शिक्षा विभाग का है। आज प्रदेश के शिक्षा विभाग के कालेजों में जहां हाई स्कूल, इन्टरमीडियेट और डिग्री कालेज में भी म्युजिक है। पर यहां पर क्या नई चीज पढ़ाई जाती है जिसको सरकार सहायता देती है ? यह हो सकता है कि इन राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल कालेजेज में ताल, नाद और स्वर का ज्ञान बताया जाता हो पर इन इंस्टीट्यूशन्स में शायद और कोई दूसरा काम यानी रास रंग के लिये गुदगुदी पैदा करने वाले यह नुपुर और पायल की झंकार सुनाने को पद गति विधि का प्रबन्ध किया गया है। इन कार्यों में कोई भी आवश्यकता नहीं है कि ८६ हजार रुपया इन इन्स्टीट्यूशन्स को दिया जाय। एक इसी प्रकार के विद्यालय झांसी का भी Vol·8 में जिक्र है और एक यहीं का भातखंडे संगीत महाविद्यालय है। जिस काम को शिक्षा विभाग से किया जा सकता है उसका यहां करना सुपरफ्लुअस व्यय है। माननीय मन्त्रियों ने जिन लोगों की सिफारिश कर दी या किसी मन्त्री महोदय ने अपना काम कराने को कोई सरकारी पैसा दिलाने का वचन दे दिया तो उन्हीं को यह सब पैसा मिल जाता है। यह पोलीटिकल करप्शन है।

४,६०० रुपया प्रेस सर्विस के लिये मिलता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे अखबार हैं, जैसे "पांचजन्य" साप्ताहिक अखबार है। प्रदेश में इसका सब से अधिक २७ हजार सेल है लेकिन इसको कोई विज्ञप्ति नहीं दी जाती। सम्भवत : यह अखबार किसी पार्टी से सम्बन्धित है और कभी-कभी सरकार की कटु आलोचना कर देता है, इसलिये इनकी कृपा द्रष्टि के अन्तर्गत नहीं है। वैसे तो उन्हीं को विज्ञापन देना चाहिये जिनका देहातों में ज्यादा वितरण है। जैसे "गांव की पुकार" गोंडा और "कौटिल्य" कोंच शहरों में तो दैनिक अखबारों को ही देना चाहिये, क्योंकि यहां इन की बिक्री अधिक है।

मोबाइल यूनिट्स के मेन्टिनेन्स पर १,५०,४०० रुपया और मिसलेनियस में ५०,००० रुपया रखा गया है। इसमें प्रेस टूर होता है। गत वर्ष दो टूर हुये थे, एक कार्बेट पार्क का और दूसरा रुद्रपुर यूनिवर्सिटी का। इसमें सूचना विभाग के बड़े-बड़े अफसर ही ज्यादातर गये, प्रेस का कोई आदमी नहीं था जहां तक मेरी जानकारी है। इसमें कितना व्यय हुआ ? उससे कोई लाभ न हुआ ? लम्बे टूर कार से नहीं होने चाहिये थे क्योंकि एमरजेन्सी में वह मना थे। जिला सूचना अधिकारियों की वेहिकिल्स का किस प्रकार जिलों में इस्तेमाल होता है ? वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर, पञ्च कन्यायों और राज नर्त्तकियों को दूर-दूर से इन्हीं कारों से बुलाया जाता है और विवाहों में भी ये इस्तेमाल होती हैं जैसा कि मन्त्री जी ने स्वीकार किया है। एक बात मैं और बता दूं विभाग में किस प्रकार भ्रष्टाचार है ? जब बड़े-बड़े पदाधिकारी ऐसा करेंगे तो देश का क्या हाल होगा ? एक सरकारी अफसर जो बहुत बड़े पद पर हैं उनकी गाड़ी में सरकारी गाड़ी का इंजन लगा हुआ है। यह आप जांच कराइये, मैं नाम नहीं बताऊंगा।

इसी तरह रेडियो और बैटरियों का हाल है। आपके यहां १४ हजार रेडियो हैं और ६ हजार आप और बढ़ायेंगे। ये रेडियो कहां बजते हैं ? ये कितने अफसरों के घरों में बजते हैं ? यही हाल बैटरियों का भी है। अधिकतर ये ही रेडियो और बैटरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जनता तक पहुंचना ही कठिन है।

पब्लिसिटी का एक इम्पार्टेन्ट प्वाइन्ट आया जिसके नाम पर सारा डिपार्टमेंट मन्त्रियों के पीछे इधर-उधर घूमता रहता है और उनकी आराम की चीजों में पैसा व्यय करता है। इसमें

कांग्रेस पार्टी का विशेष प्रचार होता है। रेडियो पर आप देखेंगे कि जब कभी मन्त्री जी बोलते हैं तो बहुत सुन्दर व्याख्या निकल जाती है लेकिन यदि कोई विरोधी सदस्य बोलता है तो यही निकलता है कि और अन्य सदस्य लोगों ने भाग लिया। तो जहां तक सांस्कृतिक प्रोग्राम का सवाल है इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर वही पुराना मुजरा जो शाह आलम और बहादुर शाह के जमाने में हुआ करता था वह होता है। ठीक है, यह भी राज्य का एक विशेष गुण होता है। राजनीति की नीरस थकान के बाद शाही दरबार में नूपुर, पायल, और घुंघरू की झनझनाहट हृदय को न गुदगुदाये तो यह नीरस राजनीति राक्षसी मनोवृत्ति धारण कर ले। एक समय वीर एक कान से तलवार की खनखनाहट सुनता था और दूसरे से पायल की झनकार। आज राजनीतिक एक कान से जनता की फीकी पुकार सुनता है और दूसरे से राज्य परियों तथा नृत्य कला प्रवीण राज्य सुन्दरियों के कला पूर्ण पदागति विधि को।

मान्यवर, इसके बाद मन्त्री जी ने पब्लीकेशन की बात कही, वह भी ठीक है। आडिट रिपोर्ट से मैं बताये देता हूं कि जिसमें ४ लाख रुपया दिया है उसमें हजारों रुपयों की किताबें बेकार पड़ी हुई हैं। वे बेची भी नहीं जा सकती हैं। सैकड़ों रिम कागज बेकार पड़ा हुआ है। छपाई के लिये जो कागज दिया जाता है उसमें से वह बचा हुआ वापस नहीं लिया जाता है और उनकी छपाई का पेमेंट कर दिया जाता है। मैं आपको बता रहा था कि पब्लीकेशन में इतनी धांधली होती है। मैं चाहता हूं कि एक हाई पावर कमेटी नियुक्त की जाय जो इन सब बातों की जांच करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अनुदान संख्या २७ जो प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, किसी देश की प्रगति प्रचार के ऊपर निर्भर है। हमारी योजनायें चल रही हैं, इसलिये हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम जनता को विकास माइन्डेड बनायें। इसको बिना प्रचार के नहीं कर पायेंगे। अभी हमारे भाई विजय सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। उनको तो बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पेश करना चाहिये था, क्योंकि अनुदान की रकम बहुत कम है। श्रीमन्, देहात में लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उनको लिटरेट बनाना चाहिये। इसके लिये साधन जुटाये जायं। श्रवण योजना है उसमें रेडियों के ५,०५७ सेट कर दिये गये हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि ग्राम सभाओं को रेडियो दिये जायं क्योंकि गांवों में लोग रेडियो बड़ी खुशी से सुनते हैं। लखनऊ से जो पंचायत प्रोग्राम निकलता है उससे तथा खेती-बाड़ी की जानकारी और प्रगति का उनको पता चलता रह सकता है।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहूंगा कि सूचना विभाग को असरकारी लोगों को भी देने की कृपा की जाय। इसका कारण यह है कि बनिस्बत सरकारी लोगों के हम लोग अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। एक दिक्कत यह है कि जहां सड़कों का अभाव है वहां के लिये सूचना अधिकारी कहते हैं कि वहां गाड़ी नहीं जा सकती है। मैं चाहता हूं कि देहातों में जहां नहर की सड़क जाती है उसके किनारे के गांवों में फिल्म सेक्शन की फिल्में जरूर दिखाई जायं जिससे हमारी योजनाओं के बारे में लोगों की पूर्णरूप से जानकारी हो सके और लोग जागरूक हो सकें। एक योजना "पारस्परिक सांस्कृतिक अवबोध प्रोन्नति तथा भारत के विभिन्न परिक्षेत्रों के मध्य लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान" बन्द कर दी गई थी उसको फिर से चालू किया गया इसका मैं स्वागत करता हूं।

श्रीमन्, मैं धन्यावाद देता हूं कि जो किताबें यहां पर लाई गई हैं उनकी तारीफ की गई है। हमारे साथी शान्ति जी इतने योग्य हैं कि जो विभाग उनको दिया जाता है, वह ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं माननीया मुख्य मन्त्री जी को धन्यावाद देता हूं। उनसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्रविक्रम]

पहले हमें यह उम्मीद थी कि शायद वे इतनी लेबर न कर सकें, लेकिन वह बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही हैं। विरोधी लोग कहते हैं कि यह काम नहीं हुआ वह नहीं हुआ। अभी उनको कितने दिन हुये ही हैं ? कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। यह तो भविष्य बतायेगा कि उनके जमाने में कितना काम हुआ। चीफ सेक्रेटरी का जो उन्होंने अप्वाइंटमेंट किया उसका विरोधी भाइयों ने भी स्वागत किया।

श्रीमन्, देहात के बारे में यह जरूर कहना है कि देहात में सूचना विभाग की पत्रिकायें पैम्फलेट्स और फिल्म्स नहीं पहुंच पाती हैं। इनकी देहात में बहुत आवश्यकता है। अगर यह चीजें देहात में भेजी जायं तो देहात के लोग विकास योजनाओं के प्रति कांशस हो जायेंगे और विकास योजनायें सफल होंगी ? श्रीमन्, कह रहे हैं कि लंच टाइम हो गया है। अब उठना चाहिये। उसके बाद बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष---

अगर सदन चाहता है कि नियम का बिलकुल पालन हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन चूंकि ३ बजे समाप्त होना है, इसलिये मैं चाहता हूं कि ३ मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री सरेन्द्रविक्रम ---

श्रीमन्, इमर्जेंसी के जमाने में जब कि हमारे भाई नेफा और लद्दाख में लड़ रहे थे, देहात का मनोबल बढ़ाने के लिये सूचना निदेशालय की तरफ से फिल्म दिखलाये गये और अन्य प्रकार से सूचना दी गयी। अगर ऐसा न होता तो हम को आभास ही न होता कि हमारे भाई किस परेशानी में लड़ रहे हैं। किसी भी स्वतन्त्र देश की प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि वहां का इनफारमेशन डिपार्टमेंट सही काम करे। उसको असरकारी सहयोग प्राप्त करना चाहिये। बहुत से अफसर तो जाग्रत हैं, लेकिन बहुत से अफसर ठीक से काम नहीं करते। इसके लिये मैं चाहता हूं कि जिलेवार एक कमेटी बनायी जाय। वह देहात के प्रोग्राम तय करे। हम लोगों को तथा ब्लाक प्रमखों को भी सूचना दी जाय कि डिस्ट्रिक्ट इनफारमेंशन आफिसर बाइस्कोप ले कर वहां जा रहा है। तो हम सब लोग वहां पहुंच जायं। मेरा सुझाव है कि सेक्टर बना दिये जायं और एक न्याय पंचायत के क्षेत्र में कम से कम एक मर्तबा शो जरूर होना चाहिये। मेरे जिले का बहुत हिस्सा ऐसा है जहां पर अब तक कोई इनफारमेंशन वाला पहुंचा नहीं। इस सम्बन्ध में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। उसका उत्तर मिला कि रोड्स नहीं हैं। किन्तु ट्यूववैल्स और रोड्स तो हैं। इतना कह कर मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

२ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा है कि टाइम बहुत कम है। इसलिये ५-५ मिनट बोलिये।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, आपने मेरा नाम पुकार लिया है तो मुझे तो १० मिनट दे दीजिये, उसके बाद ५ मिनट कर दीजियेगा।

श्रीमन्, इस वक्त जो माननीय मंत्री इस विभाग के इन्चार्ज हैं उन्होंने अपने भाषण में स्वयं कह दिया कि इस विभाग में कोई कार्य नहीं हो रहा है और इस विभाग के प्रति वह सजग

हैं कि कोई ऐसा कदम उठावें जिससे कि यह एक अच्छा विभाग बन सके। इसके पूर्व माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि अगर मैं किसी विभाग से डिससेटिस्फाइड हूं तो वह इन्फारमेशन डिपार्टमेंट है। जब उनको यह ज्ञान हो गया है तो उम्मीद है कि वह ऐसे कदम उठायेंगी कि यह विभाग अच्छे ढंग से चलाया जा सके।

श्रीमन्, आप देखें कि इस विभाग का फंकशन क्या रहा गया है ? इसका केवल एक ही फंकशन रह गया है कि परसनल और पोलिटिकल पब्लिसिटी करे। मैं चाहूंगा कि इसको माननीय मंत्री जी बन्द करें। इस विभाग का रिअल फंकशन यह है कि हमारे स्टेट मे क्या-क्या अचीवमेंट्स हुये हैं और हमारे स्टेट का जो सोशल आबजेक्टिव है उसकी तरफ हम स्टेट को कितना ले जा रहे हैं। इसकी पब्लिसिटी इत्यादि का कार्य वह करे। लेकिन आपके अपने कार्य में यह विभाग पूरी तरह से सफल हुआ है। इन्होंने किया क्या है ? कुछ लिटरेचर निकाला। एक रणभेरी निकाल दिया। कोई और लिटरेचर निकाल दिया, उसको आप पढ़ें तो देखेंगे कि उसमें जो हमारे सोशल आबजेक्टिव्ज हैं या जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है। ऐसी-ऐसी चीजें उसमें छपती हैं कि अगर मैं उनका जिक्र करूं तो शायद उचित न होगा। आप भी उसको पढ़े होंगे। इस इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के लिये क्या कहा जाय, कुछ समझ में नहीं आता।

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से, खास तौर से शान्तिप्रपन्न शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो एक आफिस आप खोल रहे हैं उसकी कतई आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत है तो आप यू० पी० गवर्नमेंट का एक लियाजां आफिसर वहां रखें। ऐसे एक आफिसर वहां पर होना चाहिए जो कि प्लानिंग वगैरह के लिये रुपया वहां से लाये। ऐसे लोग जो वहां पत्रकारों से मिल लिया करते हैं या इस तरह के काम करते हैं उनसे कोई काम चलने वाला नहीं है। ऐसे अफसरों को भेजकर दिल्ली के पत्रकारों को पटाने के लिये दफ्तर खोलें ठीक नहीं है। आप अपना एक आफिसर भेजिये जो यू० पी० निवासी रहे स्टेट की तरफ से और स्टेट के लिये रुपया लाये, फारेन एक्सचेंज वगैरह जो बहुत से कामों के लिये नहीं मिलता, उसका इन्तजाम करे, लेकिन अपने स्टेट का आफिस वहां आप न खोलें।

दूसरा निवेदन यह है कि यह जो इतनी बड़ी बिल्डिंग इन्फारमेशन डिपार्टमेंट को आपने दे रक्खी है, आप देखिये तो मालूम पड़ता है जैसे कि पैलेस हो। और उसका काम क्या है ? कुछ नहीं। तो चीफ मिनिस्टर साहब को उसमें लें जाइये, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। वह इमारत मुख्य मंत्री जी के लिये ठीक रहेगी।

दूसरा काम इस विभाग ने क्या किया ? टेस्टमैच अभी कानपुर में हुआ। तमाम फोटोग्राफ़र्स और रिपोर्टर्स आपके गये। पब्लिसिटी किस बात की हुई कि किसने गेंद फेंकी किसने गेंद मारी, किसने गेंद पकड़ी ? इसकी पब्लिसिटी, इसके फोटो लिये। आपके गवर्नर महोदय वहां गये थे, वह हाथ मिला रहे थे प्लेयर्स से, उनकी फोटो आप लेते। छपने देते, ठीक था ? लेकिन नहीं, फोटो किसकी लिया, किसने बाल फेंका ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी जांच हो कि टेस्टमैच में कितने सरकारी कर्मचारी कानपुर गये इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के, कितना खर्चा हुआ और उसका क्या रिजल्ट निकला ?

श्रीमन्, मैं आपसे तीसरा निवेदन यह करूंगा कि हम लोग यहां पर सदस्य हैं। यदि कम से कम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का जो इनफार्मेशन विभाग है उसको नकल करें, उनसे कोई आकड़े मांगते हैं कि हमको बतलाया जाय कि हमारे क्या अचीवमेन्ट है और कितने हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यदि ये सूचनायें इस विभाग से मांगी जाती हैं तो हमको नहीं मिलती हैं। इनको पता ही नहीं है कि क्या अचीवमेन्ट है ? यह तो इतना ही जानते हैं कि पत्रकारों को ले जायंगे और दावत दे देंगे और पत्रकारों को कुछ प्रोजेक्ट दिखला देंगे। पत्रकार बस अपनी रिपोर्ट तैयार कर

[श्री नेकराम शर्मा—]

लेते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पत्रकारों का भला करने के लिये एक फण्ड कायम करना चाहती है और उस फण्ड के लिये अपने पास कंट्रीब्यूट करना चाहती है। मेरा सरकार से यह कहना है कि इनके जो मालिक हैं उनके लिये आप ऐक्ट बनाइये और उनसे इस फण्ड में कन्ट्रीब्यूट करने के लिये कहिये और उनसे दिलाइये। पत्रकारों में जितने लोग हैं वे सब करीब-करीब वर्किंग जरनलिस्ट हैं। उनके लिये यदि आप भला चाहते हैं तो उनके जो मालिक हैं उनके लिये ऐक्ट बनवाकर कन्ट्रीब्यूट करायें।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी आपकी फिल्म और किताबें छपती हैं उनके विषय में एक आडिट रिपोर्ट १९६३ की है। उसमें यह बतलाया गया है कि सन् १९५६–५७ से लेकर १९६१–६२ तक, १,६३,२४७ किताबें इन्होंने छापी। इनमें से ५८,५३२ किताबें बेची गईं और ४,९९८ किताबें फ्री बांट दी गईं। अब जो स्टाक इनके पास पड़ा है उसमें ९९,५७१ किताबें पड़ी हुई हैं जिनकी लागत ७ लाख रुपये है। इनमें १४६ किताबें रिटर्न आफ की गई हैं। इनको अनुवादक नहीं मिलते हैं। यदि हमारी सरकार हिन्दी की किताबें छपाना चाहती है तो हिन्दी समिति को समाप्त कीजिये। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको डाइरेक्टर के कंट्रोल में रहने की क्या जरूरत है? जिससे हमारा सोशल आबजेक्टिव पूरा नहीं होता उसको इस तरह से कायम रखना और उसके लिये इतना रुपया व्यय करना कोई लाभ की बात नहीं है। वही किताबें छपनी चाहिये जिनकी यूनिवर्सिटी या कालेजों के अन्दर उपयोगिता हो। जो अधिक जनता के काम में आ सकें। इस तरह से हिन्दी समिति के रखने की जरूरत नहीं है। पहले डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के समय में हिन्दी समिति बनी और फिर उसके बाद श्री दीन दयालु गुप्त की हिन्दी समिति बनी। इनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हिन्दी में किताबें छपाना है तो उसमें निष्पक्ष योग्य व्यक्तियों को रखिये और उसके द्वारा हिन्दी में किताबें छपाइये और उनके द्वारा ही सारा काम शुरु हो।

डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसरों को कोई काम नहीं है। जो यहां से अखबार जाते हैं वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। वह पढ़ने के बाद दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन अफसर के पास भेजता है। डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन अफसर को यह चाहिये कि जो हमारे अचीवमेन्ट्स हैं उनको जाकर देहात में लोगों को दिखाये। वहां पर विश्राम करें और लोगों को इस तरह से दिखाये जो उनको मालूम हो कि देश में क्या हो रहा है और हमारी सरकार हमारे लिये क्या कर रही है? लेकिन वह इसको पसन्द नहीं करते हैं। एक प्रेस कान्फ्रेन्स कर देते हैं और वहां पर अपना प्रेस स्टेटमेन्ट देते हैं। इससे कोई लाभ नहीं है। इस सारे विभाग के लिये ही ओवरहाल करने की जरुरत है। जिस तरह से यहां का इन्फार्मेशन आफिस बना हुआ है उससे क्या जनता का कल्याण हो सकता है? उसमें कुछ तो मुख्य मंत्री जी के काम में लगे रहते हैं। मुख्य मंत्री जी के लिये पब्लिसिटी करते रहते हैं और कुछ उनके स्टेटमेन्ट को तैयार करते रहते हैं। मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा था कि मैंने एक एक स्टेनो कम कर दिया है। मैं शान्तिप्रपन्न जी से कहुंगा कि आप इसको ओवर हाल कीजिये। अगर आप सोशलिज्म में यकीन करते हैं तो आप ऐसे लोगों को ही इसमें रखिये और ऐसे लोगों को भर्ती कीजिये जो काम करना चाहते हों। ऐसे आदमियों को रखिये जो टैम्पोरेरी काम करना न पसन्द करते हों उनको परमानेन्ट कीजिये। जिन लोगों से हमारा सोशल आबजेक्टिव पूरा नहीं होता है उनको नोटिस देकर अलग कीजिये।

अन्तिम मेरा निवेदन यह है कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट का जिस तरह से अब तक का फंक्शन रहा है उससे हमारा कोई भी कल्याण अब तक नहीं हुआ है। आप एक कमेटी बनाइये जो इसके काम को देखें। जिस समय यहां पर जोशी जी आये थे तो उन्होंने लिखा था कि:

"The U. P. Information department is a circus where donkeys are riding on the men of merit."

यह उन्होंने कहा था। इस पर पन्त जी के जमाने में कैबिनेट के सामने यह सवाल आया और बहस हुई कि इसका डाइरेक्टर कोई पी० सी० एस० का नहीं, बल्कि कोई जर्नलिस्ट हो। वह इस तरह का जर्नलिस्ट होना चाहिये जो प्रशासन में रहा हो। वह इसके काम को सही रूप से कर सकता है। वह इस तरह का आदमी होना चाहिये जो किसी तरह डर महसूस न करें, जनता के सामने सच्ची खबर दे सके। जो डरता है वह सही खबर नहीं दे सकता। तब भी हमारे प्रदेश में प्रेस नोट निकला था जब कि यहां अकाल पड़ रहा था जब चीन का हमला हो रहा था आपने विभाग को भेज दिया कि मंत्री जी वक्तव्य दें। मैंने रेफर किया था। बनारसी दास जी ने तो इस विभाग को बिलकुल चौपट कर दिया। खुशी की बात है कि अब मुख्य मंत्री जी ने इसे खुद लिया है, लेकिन उन्होंने भी इसे शान्तिप्रपन्न जी को दे दिया। मुझे आशा है कि शान्तिप्रपन्न जी इस के लिये ठोस कदम उठायेंगे अन्यथा वे इस विभाग को बन्द कर दें।

अन्तिम मेरा सुझाव यह है कि टूरिज्म का विभाग प्लानिंग से निकाल कर सूचना विभाग को दे दिया जाय।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय देने की जो कृपा की इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से जो सूचना निदेशालय के लिये ५८ लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये, खड़ा हुआ हूं। अभी नेकराम जी ने बतलाया कि दिल्ली में सूचना प्रकाशन की शाखा खोलना बड़ा अनुचित है और उन की राय में उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि आज का युग प्रचार का युग है। इस युग में जो संस्था या सरकार अपने मौलिक यथार्थ प्रचार में पीछे रह जाती है वह पिछड़ जाती है। रूस और अमरीका का प्रचार हम अपने देश में देखते ही हैं कि किस कदर है। अगर हम अपने देश की राजधानी में अपने यहां की मूल्यवान तथा सदुपयोगी वस्तुओं का प्रचार न करें और उनका दिग्दर्शन न करायें तो उनकी जानकारी लोगों को नहीं हो पायेगी और वह हमारे लिये कोई श्रेष्ठ बात नहीं कही जा सकती। सूचना विभाग के अन्तर्गत जो हिन्दी समिति है उसने कितनी ही श्रेष्ट पुस्तकों को प्रकाशित किया है। "रासायनिक नोबुल पुरस्कार "विजेता" नाम की एडवर्ड फारवर की पुस्तक का डाक्टर हर भगवान ने अनुवाद किया है। वह इस हिन्दी समिति ने प्रकाशित की है। इसी प्रकार "अरस्तू की राजनीति" नामक दूसरी पुस्तक है। श्रेष्ठ पुस्तकों का प्रकाशन यह संस्था कर रही है और इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जब पहले चीनियों का आक्रमण हुआ तो हमारे देश का मनोबल गिर रहा था। उस समय सूचना विभाग ने "रणभेरी" प्रकाशित कर के यह सिद्ध कर दिया कि हम वीरों की हुंकार की प्रचन्ड आहुति इस देश में जगा सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों के पास वह रणभेरी पहुंचती है जिससे आप सब को सिद्ध हुआ होगा कि हमारा मनोबल कितना उठा है। सूचना विभाग के अन्दर हमारे जिला सूचना अधिकारियों ने काफी निर्माण में योग दिया है। हम जानते हैं कि देहातों में ब्लाकों में अपनी फिल्में दिखाकर वे इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सरकार और देश किस ओर जा रहा है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। अगर हम शहरों में अपनी सिनेमा फिल्मों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं तो देहात में यह काम सूचना विभाग ही करता है और उसे इसमें काफी सफलता मिली है।

सूचना विभाग की हिन्दी समिति के लिये मुझे एक सुझाव अवश्य देना है। मैं समझता हूं कि इस हिन्दी समिति को सूचना विभाग के अन्तर्गत नहीं रहना चाहिये। इसका शिक्षा विभाग में जाना अनिवार्य सा है। मुझे मालूम हुआ है कि सूचना विभाग में एक कमेटी मंत्री जी नें बनायी है, लेकिन तीन महीने हो चुके हैं उसकी हिन्दी समिति के लिये कोई सिफारिश

[श्री राममूर्ति अंचल]

नहीं आयी कि इसे शिक्षा विभाग को दे दिया। इस ढील की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसमें वह शीघ्रता करायें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मंत्री जी कठपुतली ड्रामा सेक्शन और भजन मंडली आदि में व्यय कम कर सकें तो उत्तम होगा। क्योंकि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वह इसमें थोड़ा कम व्यय करने की कृपा करें।

एक बात मैं और कह दूं कि सूचना विभाग में एक दर्जन गाड़ियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हिन्दी समिति की पुस्तकें जो रेलवे स्टेशन पर भेजी जाती हैं तो रिक्शा में जाती हैं और किराया देना पड़ता है। उन गाड़ियों पर क्या होता है यह ठीक तौर से नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक सुना है उन पर पिकनिक होती है आफिसर्स की। उनकी धर्मपत्नियां और नौकर-चाकर उन्हें काम में लाते हैं, मार्केटिंग होती है, बच्चे स्कूल पहुंचाये जाते हैं यह मेरे लिये दुर्भाग्य का कारण है। साथ ही साथ अभी ८ महीने पहले एक विशेष नियुक्ति सेल्समैन की क गयी, लेकिन ८ महीने से उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। वह उन अधिकारियों की इच्छा के अनुसार नहीं हुए थे, वह शायद उनमें फिट नहीं हो पाये। तो मंत्री जी इन चीजों की सख्ती से जांच करें। जिस प्रकार की अफसरशाही यहां मौजूद है वैसी शायद कहीं कम मिले। कुछ अफसरान की बात मुझे मालूम है कि महीने में १५–१५ दिन उस क्षेत्र का दौरा करते हैं जहां पर उनका निवास स्थान है, इसमें भी मंत्री जी रोक-थाम करें। एक बात मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि ६ सहायक निदेशक हैं जब कि दो का भी काम नहीं है, उनमें महिलाएं पुरुष दोनों है। दिन भर बैठे रहते हैं साथ ही नये और रखने की भावनाएं पैदा की जा रही हैं, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। इसलिये ६ के स्थान पर अगर २ कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा अगर कोई वैधानिक अड़चन न हो।

सूचना विभाग, प्रकाशन शाखा में किसके पास कितना काम दिया जाता है, १महीने में ? मैंने स्वयं जाकर देखा कि दिन भर लोग बैठे रहते हैं, गप्पें लड़ती हैं माननीय पत्रकारों को छोड़कर, उनका काम तो अध्ययन करना है, मगर असिस्टेन्ट डायरेक्टर और कर्मचारी सब बैठे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक महीने में १० दिन का काम है जिसको महीने भर में निपटाते हैं। मैं नम्रता के साथ चाहूंगा कि इस संबंध में जांच करें और आवश्यक कदम उठायें।

जहां तक धनराशि का प्रश्न है, यदि आपको अपने प्रदेश को अन्य प्रदेशों के स्तर पर लाना है तो सूचना विभाग में अधिक से अधिक धनराशि का योगदान करें। पत्रकारों की हालत सुधारने के लिये हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा, उनके लिये सरकार ने कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया। आज उनकी दुनियां अंधेरी और सूनी है, उनका मार्ग प्रदर्शन सरकार को करना चाहिए। वह एक गरीब तबका है। हिन्दी साहित्य में आपकी पुस्तकें पुरस्कृत होती हैं, लेखक को क्या देते है ? उसके लिये पैसा नहीं है। जो कलम की घिसाई करता है उसके लिये आप क्या देते हैं ? सहायक निदेशक आठ आठ सौ रुपये पाते हैं, जो स्त्रियां वहां नौकर हैं शृंगार करके आती हैं, बातें चलती रहती हैं, युवतियों के लिये पैसा मिल जाता है, लेकिन जो पत्रकार अपने रक्त से देश का सिंचन करता है उसके लिये नहीं है।

अन्त में, हिन्दी समिति की ओर जो कदम मंत्री जी ने उठाया है उसके लिये हम आभारी हैं और उपाध्यक्ष जी, आपका भी कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे समय दिया।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इनफार्मेशन डिपार्टमेन्ट की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि यह सरकार जो कुछ काम करती है और जो योजनाओं की प्रगति है उस सब की सूचना जन साधारण को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे। श्रीमन्, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस डिपार्टमेन्ट के द्वारा हमारी वह आशायें पूरी नहीं हुईं। यह तो इस सरकार का प्रोपेगन्डा विभाग बन गया है और मैं उसके उदाहरण आपके सामने रखूंगा। योजनाओं की प्रगति के बारे में पुस्तिकायें बाटी गयीं, मगर कब ? जब इलेक्शन का समय आता है तब। गोरखपुर के चुनाव के समय मैंने खुद देखा कि उस समय तमाम बुलेटिन बाटे गये और कांग्रेस का प्रचार किया गया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभाग व्यक्ति विशेष और दल विशेष की पब्लिसिटी करता है। अगर किसी नेता का चुनाव होने वाला होगा, तो उसके क्षेत्र में पब्लिसिटी की जायगी। जहां मिनिस्टरों का स्थान होगा, वहां पब्लिसिटी की जायेगी। तो क्या किसी पार्टी आदि का प्रचार करना ही इस विभाग का काम है ? आज मिनिस्टर जब दौरों पर जाते हैं, कांग्रेस की मीटिंग में जाते हैं उनके साथ सूचना विभाग के तमाम अधिकारी जाते है। उनकी क्या जरूरत है ? हमने इकोनामिक ड्राइव का वायदा किया, वह होनी चाहिये, मगर बजाय उसके हमने फिजूल खर्ची ड्राइव किया। अभी माननीया सुचेता कृपालानी आगरा गयी थीं, उनके साथ जितने इन्फार्मेशन आफिसर्स थे सब साथ गये थे। उनके वहां जाने की क्या जरूरत थी ? उन्होंने वहां जाकर कौन सा विशेष काम किया ? हर जगह पत्रकार तो रहते ही हैं, वह कार्यवाही नोट करके भेज सकते हैं। तो इस तरह से जनता का पैसा बरबाद किया जाता है।

कानपुर में, श्रीमन्, अभी टेस्ट मैच हुआ था। ५ दिन टेस्ट मैच चला। रोजाना इस विभाग के अधिकारी कारों पर अपनी बीबी और बच्चों को लेकर वहां जाते थे और वापस आते थे। सूचना अधिकारी से लेकर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी तक वहां गये, केवल फोटोग्राफ लेने के लिये, और फोटोग्राफ निकले कितने ? ३–४ फोटोग्राफ पेपर में छपे थे। उसके लिये मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी इन लोगों के जाने की, जब कि और पत्रों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे ? फिर क्या वे लोग सरकारी बसों से या ट्रेन द्वारा नहीं जा सकते थे ? इसमें कारों का दुरुपयोग किया गया है, इसलिये मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इसकी जांच करें। यह अनइकोनामिक ड्राइव है, इसको इकोनामिक ड्राइव नहीं कहा जा सकता।

हमारी सरकार की पालिसी है टूर्स आर्गेनाइज करना और सरकार की पालिसी है कि वह टूर्स आर्गेनाइज करती है और उनको कुछ चीजें दिखाती है। अभी रुद्रपुर यूनिवर्सिटी तथा नेशनल कारबेट पार्क दिखाने के लिये उसने एक टूर आर्गेनाइज किया था। वहां पर प्रेस रिपोर्टर्स भी गये थे और काफी तादाद में इस विभाग के अधिकारी भी गये थे। वहां क्या हुआ ? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सज्जन हैं जिनकी गाड़ी हमेशा खराब रहती है। उन्होंने कहा कि हम सबको कार से टूर करायेंगे। कार से ही सब लोग गये। तो मैं पूछता हूं कि यह हमारा इकोनामिक ड्राइव है या अन इकोनामिक ड्राइव ? क्या किया उन्होंने ? अपनी खराब गाड़ी को भी इस टूर के साथ लगा दिया और स्वयं भी गये। रास्ते में उस गाड़ी का कई जगह ब्रेक-डाउन हुआ। पत्रकारों को बड़ी तकलीफ हुई और कई तो बीमार पड़ गये। उससे इतना तो जरूर हुआ कि उन महोदय के ६००–७०० रुपये टी० ए० और डी० ए० के बन गये। गवर्नमेन्ट के स्टैंडिन्ग आर्डर्स हैं कि जहां तक हो सके ट्रेन से सफर किया जाय। वह टूर ट्रेन से क्यों नहीं आर्गेनाइज किया गया, जिससे बचत हो सकती थी ? उसमें हजारों रुपया खराब कर दिया गया। इस डिपार्टमेन्ट से बहुत पक्षपात होता है।

इसकी एक एक्रेडेशन कमेटी है और उसमें वही लोग हैं जो सरकारी यसमैन हैं। कौन उसमें प्रतिनिधि हैं ? उपेन्द्र बाजपेयी, सलाउद्दीन साहेब उसमान, पेट्रियोट के जिसे जुम्मा-जुम्मा ८ दिन भी नहीं हुए, उनका उसमें रिप्रेजेन्टेशन है। यू० पी० कारसपान्डेट्स कमेटी या दूसरी जो बड़ी कमेटी है, उनको उसमें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया गया जो बहुत जमाने से चल रही हैं ? उन्हें इसलिये नहीं लिया गया कि वे हां में हां मिलाने वाले नहीं हैं। इस कमेटी में भी कम्युनिस्टों का बोलबाला है। आज के जमाने में अगर कम्युनिस्टों को उस जगह आप प्रधानता

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

देते हैं जहां से सूचना और विज्ञापन निकलते हैं तो वह इस प्रदेश के लिये अच्छी बात नहीं है। जिन पत्रों की ज्यादा पब्लीसिटी है उन्हें आप विज्ञापन नहीं देते हैं। 'पांचजन्य" और "तरुण भारत", जिनकी ज्यादा पब्लीसिटी है उन्हें आप विज्ञापन नहीं देते हैं। छोटे-छोटे लोकल पेपर्स को आप विज्ञापन देते हैं। "तरुण भारत" के संवाददाता को आपने बी क्लास का पास दिया हुआ है। यह पक्षपात की बात है। यही नीति आपकी न्यूज एजेंसीज को सबसीडी देने की है। नेशनल प्रेस के लिये, इंडिपेंडेन्ट न्यूज सर्विस के लिये और इस प्रकार की समाचार एजेंसीज को, जिनका कोई काम नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, उनको आप देते हैं। नैफेन और हिन्दुस्तान समाचार को क्यों नहीं देते हैं ? आपने ६३–६४ के बजट में हिन्दुस्तान समाचार को रखा लेकिन आपने उसे काट दिया। आपकी किताबें भी ऐसे ही छपती हैं। १०० अलमारी खरीदने की बात आपने १०,००० रुपये में कही है। १०० रु० की एक अच्छी अलमारी नहीं आ सकती है जिसमें आप किताबें रख सकें। किताबों की ४, ६ बड़ी आलमारियां रखिये। मोती लाल नेहरू स्मारक ट्रस्ट को आपने लाखों रुपया दिया। इन सब बातों की छानबीन की जाय, अन्यथा यह विभाग इसी तरह से पक्षपात करता रहेगा।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। क्यों समर्थन करता हूं ? मुझे विश्वास है कि सारे सम्मानित सदस्य इस राय के होंगे कि इस विभाग की आवश्यकता है। यह भी कहा गया है कि दिल्ली में जो इसका एक 'हाउस' बन रहा है वह भी बेकार है। जो कुछ काम हम करते हैं उनका प्रचार बहुत आवश्यक है। यदि इन कामों को जनता को नहीं बताते हैं तो सारा काम व्यर्थ सा हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया कि १४,००० रेडियो देहातों में लग गये हैं, ६०५० अभी लगने वाले हैं और भविष्य में १०० प्रतिवर्ष लगाने का उनका प्रयास है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कोई गांव ऐसा शेष नहीं रहना चाहिये जिसमें आप रेडियो सेट न लगवा दें। आवश्यकता तो इस बात की भी है कि चलती-फिरती लाइब्रेरी, पुस्तकालयों की भी हम स्थापना करें। हमारी जनता और वर्कर जो ब्लाकों में काम करते हैं वे किताबों को खरीद कर पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिये आप विकास खण्ड के हेडक्वार्टरों पर किताब अवश्य रखिये। अधिक से अधिक अखबार भी मंगवा कर उनका वितरण कराना चाहिये, और चलती फिरती लाइब्रेरी में मासिक और साप्ताहिक और दैनिक पत्रों को भी दिया जाना चाहिए।

सरकार ने हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना करके बहुत ही अच्छा काम किया है। ये पुस्तकें जो सदन में रखी हुई हैं, इनमें अच्छी बातें हैं, माननीय सदस्यों ने इन पुस्तकों की प्रशंसा भी की है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं इन पुस्तकों के प्रकाशित करने के लिये। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें अधिक से अधिक संख्या में प्रकाशित किया जाय और इनका प्रचार तथा प्रसार किया जाय। मुझे मालूम हुआ है कि २५ फी सदी कम मूल्य पर ये पुस्तकें सदस्यों के लिये मिल सकेंगी, मैं कहूंगा कि इनका मूल्य ५० फी सदी कम कर दिया जाय ताकि हरेक सम्मानित सदस्य उनको खरीद कर पढ़ सके। हर विभाग की पुस्तकें इसमें होनी चाहिये। मैं तो प्रस्ताव करूंगा कि इस विभाग को अधिक से अधिक धन दिया जाना चाहिये। जिले के सूचना अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें बहुत थोड़ी सी रकम मिलती है, वे कहीं जा भी नहीं सकते और न तो प्रचार ही कर सकते हैं।

माननीय हरीशकुमार जी ने कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है, उन्हें देखकर दूर करना चाहिये। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इस विभाग का जो काम है वह समाप्त हो चुका है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि इस विभाग से अधिक से अधिक काम लिया जाना चाहिए। प्रचार का काम जितना हो उतना ही अच्छा है।

*श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग को सचमुच एक रुपया ही ग्रांट देने की तबियत करती है, ताकि वह मुहकमा आमूल समाप्त हो जाय। यह हमारा मंशा है माननीय विजय सिंह के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन करने का। उसका कारण आप देखें, श्रीमन्, कि जितना प्रचार भ्रष्टाचार का इस मुहकमें से होता है उतना शायद किसी दूसरे मुहकमे से होता हो। प्राक्कलन समिति की यह १९५७–५९ की रिपोर्ट है, जिसके माननीय नवलकिशोर जी अध्यक्ष थे। मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूं। इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो इस मुहकमे को नाम रखने का ढंग आता है, न इसे खर्च करने का ढंग आता है, न कोई प्रचार करने का ढंग आता है न गाड़ी चलाने का ढंग आता है। यह बलकुल बेढंगा और वाहियात मुहकमा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इन गाड़ियों का प्रयोग किस प्रकार से होता है। यह भूतपूर्व मंत्री और कांग्रेसी सदस्य की ही रिपोर्ट है। वे कहते हैं कि लाग बुक को देखने के बाद और गाड़ियों को देखने के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंची कि सरकारी कामों के बजाय व्यक्तिगत कामों में गाड़ियों का उपयोग अधिक हुआ है। बीसवें चेप्टर में साफ-साफ लिखा गया है कि गाड़ियां कुम्भ मेला प्रदर्शनी इलाहाबाद में गयीं, कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बांदा में गयीं। तो क्या यह कांग्रेस कमेटियों का प्रचार करने के लिये हैं? मेरा सुझाव है कि इसका नाम सूचना विभाग के बजाय कांग्रेस प्रचार विभाग रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा या आमोद प्रमोद विभाग या रंगरेलियां विभाग रख दिया जाय। मंत्री जी जरा बता दें कि गाड़ियां अरोरा बांध के उद्घाटन के लिये यहां से क्यों गयीं? क्या मिर्जापुर में जिला इनफारमेशन कार्यालय नहीं था? वाराणसी घाटों का उद्घाटन करने के लिये यहां से खर्चा क्यों किया गया? बात क्या है? मंत्री जी यहां से जायंगे तो उनके साथ उनका खान-सामा भी जायगा, सूचना अधिकारी भी जायगा, लम्बी चौड़ी फौज उनके साथ जायगी। अगर ऐसा ही है तो जिला स्तर पर जो आपका सूचना विभाग है उसको तोड़ दीजिये। बाकी उसका काम नियोजन विभाग को दे दीजिये। आप का सौंग ऐण्ड ड्रामा का जो सेक्शन है रंगरेलियां उड़ाने का, उसको तो बिल्कुल समाप्त ही कर दीजिये। जब तरह-तरह के नाच गानों से आपकी तबियत ऊब जाती है तो कठपुतलियों का नाच कराते हैं। पुराने जमाने में तो राजे महाराजे ही इस प्रकार से बुलाया करते थे, लेकिन आज यह मुहकमा उन कामों को कर रहा है।

विजय सिंह जी ने कहा कि आप पत्रकारों को टुकड़े देते हैं। लेकिन मैं निश्चय रूप से कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में पत्रकार अंग्रेजी अंकुश के नीचे नहीं दबा और आज तिरंगे झंडे के अंकुश के नीचे भी न दबेगा। इस विभाग की ओर से विज्ञापन देने में पक्षपात किया जाता है। माननीय चतुर्भुज शर्मा जी का एक अखबार "बुन्देला" निकलता है उसको जेल विभाग ने सारा विज्ञापन दे डाला। उनका लड़का ही उस अखबार को निकालता है और उन्हीं के घर पर वह अखबार छपता है। २६ जनवरी को वह विज्ञापन दिया गया है और वहीं से एक "हलचल" अखबार निकलता है जिसकी २० हजार प्रतियां निकलती हैं, १५ साल की उसकी लाइफ है, लेकिन उसको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया।

गोरखपुर की रेलवे मजदूर यूनियन ने रेडियो सेट के लिये कहा, लेकिन उसको रेडियो नहीं भेजा। इन बैटरियों पर जो पैसा खर्च हो रहा है वह बेकार ही जाता है और अगर उस रुपये को दूसरी तरह से खर्च किया जाता तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलती। सारा रुपया गांव सभाओं का बेकार जा रहा है। कहने के लिये तो आप सस्ते दाम के रेडियो सेट देते हैं, लेकिन उनकी बैटरी खराब होने के कारण उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिल पाता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के बारे में अधिकारी लोग तथा मंत्रिगण सोचें विचारें और इस मुहकमें को दुरुस्त करें या इसको खत्म करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच अगर देखा जाय तो इस सरकार के सारे मुहकमे ही भ्रष्ट हैं और जोर जुल्म करने वाले हैं, लेकिन यह जो इनफारमेशन डिपार्टमेंट है यह सबसे भ्रष्ट मुहकमा है। इसने समाज में ऐसी गन्दगी फैलायी है जिसका जोड़ सारे देश के किसी समाज में नहीं मिलेगा। आज भी सरकार प्रदेश के समाचार पत्र वालों को, कवियों को, प्रेस वालों को व सांस्कृतिक कार्य करने वालों को खरीदने की कोशिश कर रही है। जिस राज्य में भी यह चीज हो गयी तो उस राज्य की रीढ़ ही टूट जायगी और वहां जनतंत्र नहीं पनप सकेगा। यह विभाग तो उन्हीं प्रेस वालों को बढ़ावा देता है जो सरकार की चापलूसी करते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं। जो पत्रकार सरकार की आलोचना छापते हैं उनको इस विभाग वाले त्रसित करते हैं। इनकी नीचता की बात तो यहां तक पहुंच गयी है, इनके प्रचार का स्तर इतना निम्न हो गया है कि लखनऊ के पत्रकारों को जब ये नहीं खरीद पाये क्योंकि उन पर इनका जोर नहीं चल सका तो इन्होंने दिल्ली के अखबार वालों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब वहां भी इनकी दाल नहीं गली तो दिल्ली में ही इनको यू० पी० प्रेस ब्यूरो खोलने की नौबत आ गयी। उसी के जरिये इस सरकार के मिनिस्टरों की सड़ी गली तकरीरें छपेंगी। इस तरह से यह इस सरकार का इनफारमेशन डिपार्टमेंट न रह कर कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट हो गया है ।

अभी माननीय बृजबिहारी मिश्र जी ने इनफारमेशन डिपार्टमेंट की महत्ता बतलायी है। मै जानता हूं कि इंगलैंड में जब इस डिपार्टमेंट का श्रीगणेश किया गया तो लार्ड एटली ने कहा था कि इस डिपार्टमेंट का पहला काम होगा कि जहां वह एक तरफ सरकार की नीतियों को छापे, वहां दूसरी तरफ विरोधी पार्टी की नीतियों को भी निकाले क्योंकि बिना इसके डेमोक्रेसी नहीं पनप सकती। उसी तरह से इनफारमेशन डिपार्टमेंट को चाहिये कि जहां वह सरकारी योजनाओं का प्रचार करता है वहां दूसरे दल के मैनिफेस्टोज को भी छापे ताकि हर पार्टी के सिद्धान्त जनता तक पहुंच सकें। क्या इस विभाग ने इस तरह का कोई कार्य किया है ? मेरा तो यह कहना है कि कांग्रेस सरकार ही इतनी भ्रष्ट है तो उसका इनफारमेशन डिपार्टमेंट सही तरीके से इस काम को नहीं कर सकता। ऐसी हालत में क्या जरूरत है इसको अनुदान देने की ? अंचल जी ने 'रणभेरी' अखबार का जिक्र कथा और वीररस की निकलने वाली कविताओं का भी हवाला दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि देहात के कितने लोगों को उसने प्रभावित किया ? कहा जाता है कि इससे जनता का मनोबल बढ़ा। भला भ्रष्ट मुहकमे से कभी जनता का मनोबल बढ़ सकता है ? जिस मुहकमे में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो कि उसके डाइरेक्टर जनरल के कमरे को जाकर देखा जाय जहां सुख सज्जा की सारी सामग्री मौजूद है जिसके लिये सारा पैसा जनता का खर्च होता है और यह सारी गन्दगी सांस्कृतिक कार्य करने व ड्रामा के नाम पर है उनसे तो नक्शा बनवाया जाता है और अपने कमरे की सजावट करायी जाती है। मैं अपने आदरणीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि आप सचमुच चाहते हैं कि यहां जनतंत्र पनपे, तो यह इनफारमेशन डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश के जनतंत्र पर हावी है, जब तक हावी रहेगा यहां जनतंत्र नहीं पनप सकेगा। यदि आप डेमोक्रेसी को खत्म नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां जनतंत्र पनपे तो इस विभाग के लिये एक पैसा भी मंजूर न किया जाय और जब तक यह कांग्रेस सरकार है तब तक के लिये इनफारमेशन डिपार्टमेंट पर कुछ भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इस विभाग को खत्म ही कर दिया जाय क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के सम्बन्ध में रुपया मंजूर किये जाने के लिये मुझे कोई गुरज नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल यह है कि अगर सरकार इस पर और ज्यादा पैसा भी खर्च करे तो

सदन को उसकी स्वीकृति देना चाहिये। सवाल केवल यह है कि जो रुपया खर्च होता है वह किस काम में आता है ? जहां तक मैं समझता हूं, इस विभाग का नाम है "इन्फार्मेशन डायरेक्टरेट", साधारणतः जैसा नाम है उससे यह आशा की जा सकती है कि वह इस सूबे के लोगों को आगाह करे, उनकी वाकफियत सूबे के कार्यकलापों के बारे में बढ़ाये, सूबे की प्राबलम्स को जनता के सामने रखे, लेकिन देखना यह है कि इस दिशा में कहां तक वह कामयाब हुआ है और जनता को उससे कितना लाभ पहुंचा है। लेकिन मैं अदब के साथ कह सकता हूं कि एक सरल से सरल पेम्फलेट भी अभी तक ऐसी नहीं निकाली गई है कि जो यह बता सके कि हमारे पढ़ने वालों के इस १५ साल के जीवन में कहां तक इस तरह से एजूकेट करने का प्रयास हुआ है और किस तरह से एप्रोच हुई है। हर बार जो इन्फार्मेशन मांगी जाती है तो कहा जाता है आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं।

आज कल पब्लिसिटी का बहुत महत्व है क्योंकि आज एक डेमोक्रेटिक प्लानिंग का युग है और उसकी सफलता तब ही हो सकती है जब हम लोगों को शिक्षित बना कर, उनकी जानकारी करा के, उनमें योग्यता पैदा करके, उनको आगाह करके, उनमें अपने निर्माण के कामों के प्रति प्रेरणा भर कर, उनको जागरूक बना कर उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ सकें। मैं समझता हूं कि अगर हमारा कोई कदम इस ख्याल से नहीं उठता तो वह पैसा जिस काम के लिये व्यय हो रहा है वह ठीक दिशा में नहीं लगता। यह विभाग सरकार के योग्य लोगों के हाथ में रहा है। पिछले साल भी इस विभाग के जो मंत्री थे वह बड़े जानकार आदमी हैं, बड़ी उथल-पुथल के आदमी हैं। उन्होंने यह जरूर किया कि उनके जमाने में उनकी पब्लिसिटी काफी होती थी, लेकिन जिस चीज का मैंने अभी जिक्र किया उस दिशा में डिपार्टमेंट अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा और पहुंचा या नहीं पढ़ तो मैं आप की ही समझ और ईमानदारी पर छोड़ता हूं। सारी चीज और सारी बात एक एप्रोच की है, अगर एप्रोच ठीक है तो थोड़ी बहुत खामी होते हुये भी एक सही चीज होगी और आप को अपने लक्ष्य की तरफ ले जायगी, आप की मेशीनरी ठीक है तो एक सही चीज उसमें से ढल कर सामने आयेगी लेकिन इस विभाग में अभी तक मुख्तलिफ किस्म की टिट-पिट चीजें हुई हैं, कुछ यहां कर दिया कुछ वहां कर दिया। यही इस विभाग में अभी तक हुआ है।

इसके अलावा इस वर्ष का जो बजट है उसमें दो नये विचार निकले हैं। हर साल जब गवर्नमेंट रुपया मांगती है तो कोई नया विचार सामने रखा जाता है। दो नये विचार जो हैं उनमें से एक तो यह है कि दिल्ली में एक नया ब्यूरो आफ इन्फार्मेशन खोला जाय और दूसरे एक बेनिवोलेंट फंड खोला जाय। बेनिवोलेंट फंड नाम की एक केपिटलिस्ट युग की सी चीज है, यह उसी युग की सामन्तशाही चीज है कि हम किसी को दान करेंगे, इस चीज का हमारी डेमोक्रेटिक फिलासफी से कोई रिश्ता नहीं जुड़ता। यह चीज एक पेचीदगी पैदा करती है और यह चीज इस जनतंत्र के युग में कुछ ठीक बैठती नहीं है। दिल्ली में ऐसी ब्योरो बनाने का विचार अभी तक १६–१७ साल में किसी को स्ट्राइक नहीं किया। अब हम दिल्ली को ज्यादा चौकन्ना करना चाहते हैं, अगर यह बात है यह नीयत है तो अच्छा है, लेकिन हमें आखिर कुछ ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी एक सिलसिला बन जायगा दिल्ली के जरनलिस्ट की विचार धारा को बदलने का, हमारी बदकिस्मती है कि अभी इस मुल्क के जरनलिस्ट गरीब हैं। चाहे इस तरह से उनको प्रभावित करने का ख्याल या नियत न भी हो, लेकिन अगर इस ख्याल से यह चीज की जायगी तो उसका असर अच्छा न होगा और उससे किसी प्रकार के लाभ की सम्भावना नहीं होगी। इसलिये जो लोग विभाग के संचालन का काम करें उनको कुछ न कुछ इन आबजेक्टिब्ज से वाकफियत होना चाहिये। हमारे यहां दो क्लास ऐसे समझे जाते हैं एक पालिटिशियन्स और आई० ए० एस० जो कोई विभाग हो वाकफियत हो या न हो वह हर काम कर सकते हैं। मुहकमे का कुछ न कुछ तजुर्बा होना चाहिये। नतीजा यह है कि कम से कम इसमें प्रेरणा भी हो उसके साथ उस आदमी में फ्लेवर भी हो। स्टेट एन्टरप्राइजेज में सरकार के इसलिये झगड़े हो रहे हैं कि उनकी मेकेनिज्म वक्त के मुताबिक नहीं है। इस

[श्री गोविन्द सहाय]

डाइरेक्टोरेट का हैड कोई आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट होना चाहिये जिसका ऐप्रोच हमारे आबजेक्टिव की तरफ़ हो तभी यह विभाग जनता की कुछ सेवा कर सकता है। जो मैंने सुझाव दिये हैं आशा है सरकार उन्हें मंजूर करेगी और उसको ओवरहाल करने की कोशिश करेगी।

आपने देखा कि इनफार्मेशन विभाग के अलावा हर विभाग का एक छोटा सा इनफ़ार्मेशन ब्यूरो है। मुझे कभी-कभी सरकार में रहने का मौका मिल जाता है, बड़ी कोशिश की गई कम से कम पब्लिसिटी सेन्टर्स एक जगह सेन्ट्रेलाइज्ड हों। आज विरोधी दल के लोग जो आंकड़े लाते हैं वह अपने पास से तो लाते नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों द्वारा निकाले जाते हैं जो एक दूसरे के कन्ट्राडिक्टरी होते हैं जिसकी वजह से जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिये विभिन्न इनफ़ार्मेशन सेन्टर्स को सेंट्रेलाइज करने की जरूरत है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, सूचना विभाग को जनता और सरकार के बीच में सम्पर्क का काम करना चाहिये और प्रेस और सरकार के बीच में लायेजां अफसर का काम करना चाहिये था, लेकिन दोनों उद्देश्यों में यह विभाग फेल हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है? लगता है लक्ष्यहीन विभाग दिशाशून्य यात्रा कर रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि समाजवाद के लक्ष्य की स्थापना की घोषणा के बाद कितनी पुस्तकें उस विषय पर विभाग से निकली हैं? एक भी नहीं। यह विभाग विधायकों को क्या सहायता करता है उनके कर्तव्य पालन में? इस दिशा में कोई सफलता नहीं मिली है। जिले में जब मंत्री लोग जाते हैं तो उनके साथ लखनऊ से सूचना विभागीय अधिकारी जाने की क्या जरूरत है जब कि जिले में डी० आई० ओ० मौजूद रहता है? इस खर्चे को बचाया जा सकता है। प्रेस के साथ सूचना विभाग का कम्पटीशन नहीं होना चाहिये। विभागों से सूचना एकत्रित करने में, उचित समय पर सूचना देने में प्रेस के साथ प्रतिद्वंद्विता अच्छी नहीं है। यह विभाग पैट्रोनेज बांटता है और कुछ मिनिस्टर्स को भ्रष्ट कर रहा है और पत्रकारों को भी भ्रष्ट करने की चेष्टा करता है। लेकिन यहां तो यह प्रयास फेल रहा है अब दिल्ली का प्रयाण हो रहा है। शायद वहां कुछ सफलता मिल जाय। जिस देश में पिछड़ी अर्थ व्यवस्था हो, सीमा पर खतरा हो वहां सूचना विभाग का महत्व ज्यादा है। मैं गोविन्द-सहाय जी से सहमत हूं कि रुपया अगर और चाहिये तो दिया जाय, लेकिन उसका उपयोग सही लक्ष्य के लिये, विकास में जनता की भावना पैदा करे और देश की रक्षा के लिये जनता में विश्वास तथा साहस पैदा करे। इन दिशाओं में अगर यह विभाग बढ़े तो ठीक है। जो जिले से खबरें आती हैं उनका ठीक समय से वेरीफिकेशन यह विभाग नहीं कर पाता है। चीन के हमले के समय कितने गाने, नाटक, नारे इस विभाग से निकले? 'रणभेरी' कुछ दिन अच्छी निकली, बाद में वह भी कूड़ाखाना बन गई और पेट भरा जाता है।

धर्मनिर्पेक्षता के देश में लोग गंगा में दूध डाल रहे हैं, मन्दिर में घंटे बजा रहे हैं इसको चित्रों में दिखाने की क्या जरूरत है? नई सन्तानों का इस तरह की धार्मिक कुरीतियों पर विश्वास हो यह कहां तक उचित है? सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिये जिनसे बच्चों में अलगाव पैदा हो। लगता है एक अपने प्रचार मात्र के लिये सरकार यह सब करती है ताकि कुछ लोगों को जीविका मिल जाय। यह फायदा जरूर हो रहा है। होना तो यह चाहिये कि इस विभाग का निदेशक वह हो जिसको जन जीवन का गहरा अनुभव हो, जो एक आल इन्डिया जर्नलिस्ट हो न कि कोई आई० ए० एस०। मेरी निश्चित राय है कि इस विभाग से और विधान सभा के पुस्तकालय से भी इस विभाग का सम्बन्ध हो तो अपने काम को सम्पन्न करने में विधायकों को सफलता मिलेगी।

जो एक्रेडीशन कमेटी है उसमें आल इन्डिया न्यूज पेपर्स कांफ्रेंस तथा फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आदमियों को नामिनी रखा गया है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

लेकिन एक प्रेस वाले की मान्यता छीन ली गयी वह अनुचित किया गया। क्यों छीनी गयी ? कोई कारण नहीं बतलाया गया, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये।

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, चाहे वह इस तरफ के बैठने वाले हों, या उस तरफ के बैठने वाले हों, जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है। ट्रेजरी बेंचेज का विशेष आभारी हूं, इसलिये हूं कि मेरी बातों का उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है और यह कहा कि जब सरकार अपना दृष्टिकोण किसी वजह से बदले तभी विभाग का दृष्टिकोण बदल सकता है। सरकार अपनी ओर से यह अनैतिकता फैलाती है। उसकी भी मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कानपुर में जो कम्युनल हेटरेड फैलाने का मामला दो उर्दू पत्रों "सियासत" आदि पर चला उसको खुद सरकार ने विदड्रा कर लिया क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस का काम किया था। सरकार यह देखे कि मामलों को विदड्रा करने के बाद भी जर्नलिस्ट्स ने वही काम फिर शुरू कर दिया है।

इस विभाग में अनैतिकता का भी एक अंश है। एक आगरे का नया मामला है। डी० एम० आगरा ने रिपोर्ट की कि इस विभाग के एक असिस्टेंट डाइरेक्टर साहब आगरा तशरीफ ले गये। नाच, रंग इस विभाग के अन्तर्गत होते रहने से उन पदाधिकारी महोदय का भी वहां जाने पर मन डोल गया और वह एक मशहूर नर्तकी के यहां सुरापान किये पहुंचे और पकड़े गये। डी० एम० से उसकी रिपोर्ट की लेकिन वह केस भी विदड्रा कर लिया गया जब कि ऐसे अधिकारी को सजा मिलनी चाहिये थी।

अभी-अभी मैंने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री के इस विभाग ने एक अच्छा काम किया है, उसकी भी सराहना करना हमारा कर्त्तव्य है। इस विभाग के द्वारा अच्छी-अच्छी किताबें छपाई गईं जो देश प्रदेश में अपने ढंग की अद्वितीय है। माननीय मुख्य मंत्री के इस काम की सराहना भी किये बगैर नहीं रहा जाता। लेकिन माननीय उप मंत्री को पता भी नहीं, कि उनके विभाग में क्या-क्या काम अच्छे भी हुये हैं ? उनको मैं एक सुझाव देना चाहता था कि पुस्तकों का छापना यह बड़ा सराहनीय कार्य है लेकिन जिन पुस्तकों से सभी क्षेत्रों का ज्ञान अर्जन हो उनकी बहुत कमी है, उस तरफ माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये। यह काम बड़े यश तथा सेवा का है। आज प्रदेश में फिल्म दिखाने का कार्य समयानुकूल नहीं है। आज की सूचना की फिल्में, कांग्रेस वोट, प्रचार तथा बजाय शेर, चीते, बिल्ली के बारे में बनाने के अगर राष्ट्रीय एकता पर फिल्में बनाई जायं, जातिवाद को रोकने पर बनाई जायं तो अधिक उचित होता। मुझे पूरी आशा थी कि माननीय मंत्री जी इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे और सुधार करेंगे।

हां, एक बात किताबों के सम्बन्ध की रह गई। आपने किताबों के खरीदने को हम विधायकों के लिये २५ प्रतिशत कमीशन देना स्वीकार किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि ५० परसेंट उसमें कमीशन और दें और केवल २५ प्रतिशत पर हम विधायकों को पुस्तकें दें जिससे हमें ज्ञानार्जन करने में सुविधा हो सकें। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसका एलान करेंगे।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने सरकार के जो एक मीठी चुटकी ली है, वह इस विभाग के अन्दर सुधार के लिये ठीक है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट उस पर अवश्य कार्यवाही करे। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसमें विशेष दिलचस्पी लें जिससे इस विभाग में जो कमियां बतायी गयी हैं वह दूर हो सकें और यह विभाग इस प्रदेश की सच्चे अर्थों में सेवा कर सकें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अच्छे अच्छे सुझाव दिये। थोड़ी परेशानी जरूर है कि सुझाव अलग-अलग किस्म के आये हैं, लेकिन

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

मुझे तुलसीदास जी का कथन याद आता है कि "जाकी रही भावना जैसी" मालूम नहीं कि राधेश्याम जी को यह बात पसन्द आवे या न आवे। बहरहाल मैं सब का बहुत कृतज्ञ हूं।

यह बात नहीं है कि इस विभाग में काम नहीं होता। हम चाहते हैं कि विभाग का काम और सुचारुरूप से चले। हम जो भी काम करा सकते हैं वह या तो कोअर्शन या परसुयेशन से करा सकते हैं। कोअर्शन के लिये हमारा विभाग नहीं है। हम तो लोगों को समझा बुझाकर परसुयेड करके ही लोगों से काम कराते हैं। इसीलिये हम चाहते हैं कि हमारा विभाग जो अच्छा काम आज तक करता आ रहा है उससे भी अच्छा काम करे जिससे हम सदन के सामने अधिक अनुदान के लिये आयें और वह खुशी से हमारी मांग को स्वीकार करे।

मैंने शुरू में थोड़ी भूल कर दी थी जब यह कहा था कि हम तीन सौ नोट्स भेजते हैं। वह होना यह चाहिये था कि तीन सौ अखबारों को भेजते हैं। वह मैं करेक्ट करना चाहता हूं।

ऐक्रेडिशन कमेटी की बात कही गयी कि हम प्रेसवालों पर दबाव डालना चाहते हैं। बात यह नहीं है। इस कमेटी में चार सौ अखबारों के एडीटर्स हैं और जो छोटे काम करने वाले हैं उनके भी चार प्रतिनिधि हमने रखे हैं।

वेनीवोलेंट फंड हमने क्यों खोल दिया, इसके पीछे एक इतिहास है और मैं उसे थोड़ा बता दूं। हमारे यहां एक घटना घटी। उत्तरकाशी में हमारे एक अफसर थे, उनकी जान चली गयी। वह सर्विस में काम करते-करते मर गये और पता चला कि पेंशन आदि के लिये कोई नियम नहीं है। इसी तरह से टेहरी में एक इंजीनियर साहब की डेथ काम करते-करते हो गयी। इसीलिये हमने इस फंड के थोड़े से नियम बनाये कि जो काम करते-करते मर जाय उनके लिये कुछ पेंशन का इंतजाम हो जाय। हमने देखा कि दस वर्ष तक काम करने के बाद, २० वर्ष काम करने के बाद भी कोई ऐसा नियम नहीं था कि उनके काम करते-करते मरने के बाद उनके बीबी-बच्चों को कुछ सुविधा मिल जाती उनकी जिन्दगी के लिये, इसलिये हमने कुछ नियम बनाये।

श्री कल्पनाथसिंह--

जरा मैं जानकारी चाहता हूं जिससे स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं अपने आप सफाई किये दे रहा हूं? आप बैठ जाइये। मैं यह कह रहा था कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जिनके बीबी-बच्चों के लिये उनके काम करते-करते मरने के बाद कुछ रास्ता नहीं था, हमने चाहा कि उनका कोई इन्तजाम करें।

एक दो केसेज हमारे पास ऐसे भी आये कि जो जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और वे मांगते भी नहीं थे, जिनकी अकाल मृत्यु हो गयी और उनकी बेवा और बच्चे रह गये। हमारे नियमों में कुछ था नहीं कि हम उनकी मदद कर सकें। तो सोचा यह गया कि चूंकि ये भी देश की सेवा करते हैं और मैं यह मानता हूं कि जर्नलिस्ट भी देश की बड़ी भारी सेवा करते हैं और उनके यहां कोई पेंशन रूल्स भी नहीं हैं इसलिये हमने सोचा कि अगर कोई ऐसी बात हो जाय तो उनकी बीबी और बच्चों का कुछ इंतजाम कर सकें तो उचित होगा। यह नहीं कि कोई आदमी मर गया तो उसकी बीवी और बच्चों को पैसा देकर परचेज कर लेंगे। वह तो मर कर चला ही गया, उसको परचेज करने का कोई सवाल ही नहीं होता और दूसरों पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। अगर कोई यह सोचे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी और बच्चों को पैसा मिल जायगा इसलिये मैं इन्हीं की तारीफ करने लगूं तो यह नेकराम जी ही सोच सकते हैं।

श्री कदल--

कुछ मालिकों से भी दिलवाइये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

आपका यह कहना सही है और हमारा भी ध्यान इस तरफ गया है। (व्यवधान) अगर आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आपका यह सुझाव अच्छा है और अगर हम कोई नियम वगैरह बना सकेंगे तो वह करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि जो काम अच्छी इंटेन्शन से किया जाय उसके पीछे भी हमारे कुछ साथी ऐसा कह गये कि उनको खरीदने के लिये किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, हमारा यह प्रयास है कि इस प्रदेश का प्रैस पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता से काम करे। हम यह भी चाहते हैं कि वह प्रिजुडिस्ड होकर काम न करें।

मेरे भाई जो उस तरफ बैठने वाले हैं, उन्होंने कहा कि सूचना विभाग कांग्रेस के ही साथ रहता है, दूसरा कोई काम नहीं करता। आज यहां कांग्रेस गवर्नमेन्ट है। यह सही है कि अगर कोई तारीफ या कोई बात कही जायगी तो इन्डायरेक्टली वह कांग्रेस की बात होगी। यह तो हो नहीं सकता कि वह जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ करने लगें। वह तो जो तारीफ या चर्चा होगी वह गवर्नमेन्ट की ही होगी। जिस वक्त केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेन्ट थी तो उस वक्त वहां का जो इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट था उसने जो कुछ भी तारीफ की या जो कुछ भी काम उनका था वह तमाम कम्युनिस्ट गवर्नमेन्ट और इन्डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी के लिये था। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

एक बात यह कही गयी कि यह डिपार्टमेन्ट बहुत बड़ा है और लोगों को कुछ काम करने के लिये नहीं है, इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। मैं उस बिल्डिंग को देखने के लिये गया और जितने हमारे मेम्बर साहबान हैं और पत्रकार हैं उनको मैं दावत दूंगा कि वह हमारे साथ दफ्तर में चलें और देखें कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद मैं आप से बात करूंगा कि जितना काम वहां पर वे करते हैं उसके लिये स्थान भी कम है और अफसर भी कम हैं। यह मेरी नेकनीयती की राय है और मैं समझता हूं कि वहां जाने के बाद आपकी भी यही राय होगी।

एक बात यह कही गई कि आगरा के पत्रकार सम्मेलन में माननीया मुख्य मंत्री जी क्यों चली गई। अरे भाई, मुख्य मंत्री बड़े-बड़े सम्मेलनों में जाते हैं। अगर वे छोटे-छोटे जर्नलिस्टों के सम्मेलन में चली गईं तो कोई बड़ा भारी अत्याचार नहीं किया। एक तरफ तो ये कम्युनिस्ट बनते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी वहां क्यों चली गईं। वह इसलिये गईं कि वह बड़े लोगो के साथ ही नहीं हैं बल्कि छोटे लोगों के भी साथ हैं। मैं देहरादून में था। मुझे खबर मिली कि मुझे वहां जाना चाहिये था। मैं किसी बड़ी कांफ्रेंस में तो नहीं गया, लेकिन मैंने निश्चय किया कि वहां जरूर जाऊंगा। मैंने उनसे बातचीत की और मुझे फायदा भी हुआ और मुझे विश्वास है कि माननीया मुख्य मंत्री जी को भी लाभ हुआ होगा।

एक बात रुद्रपुर टूर के लिये कही गई। हमारा एक अफसर गया और एक चपरासी गया, बाकी जर्नलिस्ट थे। "इसमें बड़े भारी अफसर चले गये" ऐसी कोई बात नहीं थी। मोटर के बारे में मुझे मालूम नहीं है। अगर किसी भाई को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं नहीं जानता। आपने जो बात कही उसकी मैं जानकारी करूंगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)––

यह जो आपकी बड़ी-बड़ी बेसिक पालिसीज हैं, प्लानिंग की है, सैक्यूलेरिज्म की है और जो आपकी किताबें हैं.....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

वह मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास बहुत मसाला है। एक बात मननीय गोविन्द सहाय जी ने कही थी कि दिल्ली में हमने दफ्तर खोल दिया है। दिल्ली में जो हमारे प्रदेश के मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट हैं उनकी बहुत दिनों से मांग थी कि जो काम प्लानिंग वगैरह के उत्तर

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

प्रदेश में हो रहे हैं उसकी उनको सूचना नहीं हो पाती। दिल्ली में पार्लियामेंट और जितना रुपया मिलता है, चाहे वह एजुकेशन के लिये या किसी भी चीज के लिये मिले सब दिल्ली से ही मिलता है। वे लोग चाहते थे कि दिल्ली में एक ऐसा दफ्तर खोला जाय जो प्रदेश के बारे में सारी सूचना और मैटीरियल उनको दे सके। इसमें थोड़ा सा खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे यह भी मांग है कि एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों से मिलते रहें। अभी हमारे इंफार्मेशन मिनिस्टर्स की एक कांफ्रेंस भी हो रही है। उसमें हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक प्रदेश की बात दूसरे को बतायें। जो काम हम करते हैं वह उनको बतायें और जो काम वे करते हैं वह हमको बतायें, लेकिन चूंकि दिल्ली एक सेंटर है, सब प्रदेशों के लोग वहां विचार विनिमय कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी समझा गया। जो काम हमें पहले करना चाहिये था वह आज हम करने जा रहे हैं।

जहां तक लियाजाँ आफिसर की बात है उसके लिये गवर्नमेन्ट अलग सोच रही है। उसका इनफार्मेशन डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध नहीं है।

एक बात रेडियो सेट्स के बारे में कही गयी कि वह किसके बनाये हुये हैं। शायद उनके दिमाग में यह हो कि शायद गवर्नमेन्ट किसी कम्पनी से ले लेती हो। हमारे जो रेडियो सेट्स हैं उनको गवर्नमेन्ट आफ इंडिया देती है। उनका कोई डिपार्टमेन्ट है जो कि किसी से कन्ट्रैक्ट करके हमको सेट देता है। उनको हम गांवों में भेजते हैं। हमारे विभाग का यह इंतजाम है कि जिले के स्तर पर रेडियो सेट्स की छोटी मोटी मरम्मत के लिये इंतजाम है। उसके ऊपर रीजनल लेविल पर बड़ी वर्कशाप है और यहां एक वर्कशाप है जहाँ पार्ट्स वगैरह देखा करते हैं। पहली बैटरी हम फ्री देते हैं। दूसरी आधे दाम पर देते हैं और तीसरी का वह स्वयं इंतजाम करें। मैं कई दफा गांवों में गया वहां देखा कि रेडियो सेट्स लगे हुये हैं। उसके साथ लाउड स्पीकर भी लगा रहता है। अब रेडियो गोष्ठी भी शुरू कर दिया जिसमें २०–२५ आदमी मिल कर कहें तो उस गोष्ठी को देते हैं। एक हजार गोष्ठियां हमारे प्रान्त के अन्दर चल रही हैं।

हमारे एक भाई ने कहा कि किसी कार का इंजन किसी दूसरे में रख लिया। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी जिम्मेदारी से बात कहें तो यकीन रखिये कि अगर आप फैक्ट्स देंगे और जिम्मेदारी के साथ देंगे तो हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। उसका पता चलायेंगे और सजा भी करेंगे। लेकिन मेरा यह तजुरबा है कि बहुत से लोग हाउस में कह देते हैं, लेकिन जब मामला आता है तो वह आगे सबसटैंशिएट नहीं होता। अगर आप पहले कहते तो जांच करवाता; अब भी अगर आप डिटेल देंगे तो जांच करवाऊंगा।

यह भी कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट है कि जो किताबें परचेज कीं उसमें नुकसान हो गया। मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि इसमें नुकसान हो। वह इसलिये कि हम उस काम को करने जा रहे हैं जो साधारण पब्लिशर्स नहीं करते। कामर्शल बुक्स, नाविलें वगैरह छापने का हमारा काम नहीं है। जैसी किताबें हम छापते हैं उसमें जरूरी है कि बड़ी-बड़ी कीमतें हों। सब लोग उनको पढ़ते नहीं। वह ऐसी चीजें हैं जो यादगारी की हैं। तो वह पांच, सात, दस, वर्ष तक न बिकें तो भी कोई बात उसमें नहीं है। हमारी जो यह पुस्तकें हैं उसमें....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर दूं कि बड़ी कृपा आपकी होगी यदि आप इस पर रिबेट मेम्बर्स के लिये ५० प्रतिशत कर दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उस बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन मेम्बर साहबान के लिये मैं एक सेट पूरे का पूरा दारुलशफा की लाइब्रेरी को दे दूंगा। (व्यवधान) नहीं होगी तो हम एक लाइब्रेरी बना देंगे और हम अपना एक पूरा सेट, जितना भी हमारा पब्लिकेशन है, उसको दे देंगे.... (व्यवधान)....

कई सदस्य––

वह रिबेट ५० परसेंट कर दीजिये, बस ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

मैं इसके ऊपर विचार करूंगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)––

आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहती थी कि अभी मंत्री महोदय ने एक लाइब्रेरी के सम्बन्ध में कुछ कहा । मैं यह निवेदन करूंगी कि पुराने विधायक निवास में एक लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना हो रही है । तो क्या मंत्री महोदय उस लाइब्रेरी में भी एक सेट देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

हां, मैं उसमें भी दे दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा––

डाइरेक्टर जो हैं वह पत्रकारों में से बनाये जायं ।

कुंवर श्रीपालसिंह––

२५ परसेंट तो रिबेट है ही, उसको बढ़ाकर ५० परसेंट कर दीजिये केवल मेम्बर्स के लिये, बस इतने से ही काम बन जायगा । जिसको जरूरत होगी वह खरीदेगा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

मैं आपसे यह कह रहा था कि अखिल भारतीय साइंस परिषद् चार पुस्तकों पर प्राइज देता है । हमारी जो साइंस की पुस्तकें हैं उनमें पर उन चार में से तीन प्राइजेज हमको मिली हैं । चौथी इसलिये नहीं मिली कि वह साइंस के नावेल पर वह देते हैं और नावेल हम छापते नहीं हैं । तो हमारी पुस्तकों का स्टैन्डर्ड कितना ऊंचा है उसका पता आप इसी से लगा सकते हैं कि आल इंडिया लेवेल के जो प्राइजेज थे वह सब के सब उनको उन पुस्तकों पर मिले जो कि हम छापते हैं ।

अभी कुछ पैम्फलेट्स के बारे में कहा गया कि हम कुछ सूचना देते नहीं हैं । मुझे तकलीफ यह है कि जो हम सूचना देते हैं वह लोग पढ़ते नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा––

यह पहले की शिकायत है, आपसे शिकायत थोड़े ही है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

हमने हर विषय पर अपने ब्रोक्योर्स छापे हैं और वह आपको भेजे भी गये थे । डीटेल में जो आप चाहते थे वह करीब-करीब सब इन्फार्मेशन उसमें है और यह मैं बता दूं कि जो पंडित जी ने सलाह दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि इस तरह से छापे जायं, उनकी सलाह को मानकर इस तरह से छापे गये हैं और वह आपके पास गये भी, लेकिन कोई उसे पढ़े नहीं तो हम क्या करें (व्यवधान)। यह सब आपके पास गये हैं, यह सब सूचना मेरे पास है और आपने पढ़ा नहीं है, यह सूचना भी मेरे पास है ।

और यह जो बात आपने कही उसके लिये मैं यह करूंगा कि ५० प्रतिशत तो नहीं, लेकिन जो हमारी कास्ट प्राइस है उस पर हम आपको दे देंगे एक-एक प्रति । (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र––

ऐसा लगता है कि किताबें खरीदने का बाजार यहां लगा हुआ हो, यह आदरणीय सदन है––

कुंवर श्रीपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप यह इनसे कहें हम लोगों की तरफ से कि उन्होंने इन्हें छपवाया है और हिन्दी की इतनी सेवा की है कि जिसकी तारीफ जितनी भी की जाय वह थोड़ी है, तो सदस्यों के लिये उसका दाम कम करें जिससे कि लोग उसे खरीद सकें। ये लाइब्रेरी में नहीं रखना चाहिये क्योंकि यह लाइट रीडिंग में नहीं पढ़ी जा सकती हैं। इनको घर ले जाकर पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से इनको घर ले जाने की जरूरत होगी।

श्री नेकराम शर्मा--

यह किताबें कहीं नहीं बिकती हैं। वैसे ही पड़ी हुई हैं। अगर इनको माननीय सदस्यों को दे दिया जाय तो वे इनको पढ़ लेंगे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो सब बातें कह दीं कि मेरी बातों को स्वीकार कर लिया जाय। इससे अधिक और मैं क्या कहूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५८,६८,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४—६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११--गांव सभाएं और पंचायतें

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—गांव सभाएं और पंचायतें के अन्तर्गत १,४१,०९,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४—६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यह जो ११ नम्बर की ग्रान्ट गांव सभायें और पंचायतें की हैं इसमें प्रधान तरीके से ५—६ चीजों का कार्य-क्रम सम्मिलित है। इसमें पंचायत राज डायरेक्टोरेट है, चीफ आडिट आफिस आफ कोआपरेटिव पंचायतस और उसका सारा स्टाफ, पंचायत राज विभाग का डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो स्टाफ है उसका सारा खर्च, पंचायत सेक्रेटरीज का डी० ए०, टी० ए० और सैलरीज जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों में आडिट के आर्गनाइजेशन का जो कार्य-क्रम है, फारेस्ट पंचायतें जो कुमायूं और उत्तराखंड में हैं, उनका बजट है।

श्रीमन्, पंचायत राज ऐक्ट उत्तर प्रदेश में १९४७ में पास हुआ। हमारे देश की आजादी के साथ-साथ इस प्रदेश में पंचायत राज की स्थापना का संकल्प किया गया और १९४७ में उसके लिये कानून पास हुआ और उसके लिये फिर ठोस कदम प्रदेश में उठाये गये। यह भारत का सब से बड़ा प्रदेश है और सबसे अधिक ग्राम पंचायतें इसमें हैं। अभी पंचायत राज की जो कांफ्रेन्स हुई थी दिल्ली में वहां इस बात पर लोगों के भिन्न मत थे कि उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक पंचायतें हैं इसलिये यहां उनके पास रिसोर्सेज कम हैं और इस कारण वे डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर पातीं लेकिन दूसरी तरफ इस सदन में और बाहर भी कई बार यह विचार व्यक्त किये

गये हैं कि जहां बड़े गांव हैं वहां ज्यादा बड़ी पंचायतें न बनायी जायं बल्कि हमारा जो माल विभाग के अनुसार गांव है उसे पंचायत का एक इकाई बनायी जाय । श्रीमन्, इस प्रदेश में लगभग ७२,००० पंचायतें स्थापित की गयी हैं । यह बहुत बड़ी संख्या है । इन पंचायतों ने इस प्रदेश में १९४९ से आज तक कई बड़े भारी काम किये हैं । गांवों में इनके द्वारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ । जैसा गांधी जी कहा करते थे, उनकी रामराज्य की कल्पना यही थी । यह नहीं थी कि त्रेता के जैसे किसी राम का अवतार होगा, बल्कि इस देश में जनता की छोटी-छोटी सरकारें होंगी और उन सरकारों द्वारा ग्राम स्वराज्य, या ग्राम राज्य या पंचायत राज द्वारा देश का शासन चलेगा । वही सही मानों में रामराज्य की कल्पना थी । और वह साकार हुई । इसी उद्देश्य को लेकर इस प्रदेश की पंचायतों ने बहुत अच्छे ढंग से अपना काम शुरू किया । मैं मानता हूं कि पंचायतों के लिये जो कार्य निर्धारित किया गया था, जो योजना थी, जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनके लिये जो आवश्यक साधन उपलब्ध कराने थे, वह हम नहीं जुटा पाये, लेकिन पंचायतों ने फिर भी १०–११ वर्षों के बीच में १४,८१,४५,१०५ रुपये का टैक्सेशन एसेस किया । यह १९४९ से लेकर ३१–१२–६३ तक हुआ है । इसमें १,९५,१८,२७३ रुपये का रेबिशन दिया गया । अभी २,०९,१९,२५७ रुपये की वसूली बकाया है । श्रीमन्, इन पंचायतों ने इतना बड़ा कार्य किया । १०,७४,११,०६६ रुपया इस प्रदेश की पंचायतों ने टैक्स के रूप में सारे प्रदेश से वसूल करके अपने विकास के कार्यों के लिये खर्च किया । यह बड़ा भारी कार्य-क्रम है । जहां १० करोड़ और इतने रुपये की बात हो वहां पर पंचायतों की संख्या जाहिर है कि ७२,००० है । पंचायतों के कार्य-क्रम को और ज्यादा विस्तृत बनाने के लिये पंचायत के साथ सरकार ने क्षेत्र समिति, जिला परिषद् के एक ऐक्ट की रचना की और वह ऐक्ट पास करके १८ जुलाई, १९६२ से लागू किया गया और जिला परिषदों का निर्वाचन उत्तराखंड के तीन जिलों को छोड़ कर दिया गया सारे प्रदेश में । जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और पंचायतों को दिसम्बर, १९६३ तक पूरी तरह इफेक्टिव प्रदेश में कर दिया गया । कल मंत्री जी ने बताया था कि इन इंस्टीट्यूशन्स का कार्यक्रम क्या है । मैं उसके ढांचे का वर्णन करना चाहूंगा कि इनका रोल क्या है हमारे प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में ।

जिला परिषद् हमारे सदन में, पार्लियामेंट में जो डेमोक्रेसी है उसका छोटा रूप है और समाजवाद उसका नाम रख दें तो ज्यादा अच्छा है । लेकिन पंचायत राज इस दृष्टि से स्थापित किया गया जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम सेंट्रलाइज्ड है प्रादेशिक सरकार के हैडक्वार्टर पर उसके बहुत से अधिकार घटा करके जिला परिषद्, पंचायतों के बीच में दिये जायं । जिला परिषद् सही मानों में तीसरी सरकार का स्वरूप ग्रहण करती है । सन् २२ के ऐक्ट के अनुसार ऐसा नहीं है कि नार्दर्न फेरीज ऐक्ट वगैरह मिलाकर एक भानुमती का कानून बना दिया जोड़-जोड़ कर, वह बात नहीं है । आज आये दिन चर्चा होती है कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है और कर्मचारी सारी सरकार की पीठपर लदे हुये हैं, वह तेज हैं, ऐसा घोड़ा है जो काबू में नहीं है । (आवाजें सही है) सही नहीं है । अगर आप कानून को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि जिलाधीश को छोड़कर सेक्शन ३९ के सारे कर्मचारियों को अध्यक्ष या जिला परिषद् की समितियों के कंट्रोल में रख दिया गया है । सेक्शन ३९ के अधिकारियों को देखें कि जिला नियोजन अधिकारी, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० होते हैं , जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला सहकारी अधिकारी, सीनियर मिकैनिकल इंस्पेक्टर इत्यादि सेक्शन ३९ के अधिकारी हैं जिनको जिला नियोजन अधिकारी और अध्यक्ष एंट्रस्ट देंगे और वह पेस्ट होंगी । समितियां भी बनायी गयी हैं । उनके अन्दर उप-समितियां हैं । जो विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत अपना काम करती हैं । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न समितियों की भी स्थापना की गयी है । एक नियोजन समिति बनी है जिसमें जिले के प्रेसीडेंट और जिला लेविल के आफिसर्स वगैरह भी होते हैं । उसमें सारे कार्यक्रमों की चर्चा होती है, वहां की योजनाओं की चर्चा होती है, और योजनाओं से संबंधित सभी बातों पर विचार किया जाता है ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

इसके अलावा, श्रीमन्, हमने जो अपना जिला परिषद् ऐक्ट बनाया है वह कितना बढ़िया ऐक्ट है ! उसमें हमने यह रखा है---

"Whereas it is expedient to provide for the establishment of Kshettra Samitis and Zila Parishads in the districts of Uttar Pradesh to undertake certain governmental functions at Kshettra and district levels respectively in furtherance of the principle of democratic decentralisation of government functions and for ensuring proper municipal government in rural areas, and to correlate the powers and functions of Gaon Sabhas under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, with Kshettra Samitis and Zila Parishads;"

तो प्रदेश में जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों की स्थापना एक नागरिक शासन की स्थापना है। इसके द्वारा हमने डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर्स की पालिसी को अपनाया है । काफी अधिकार गांव की पंचायतों को दिये हैं । वहां पर पंचायतों की व्यवस्था करके, तमाम समितियों का निर्माण करके, हमने एक ऐसी सम्मिलित सहकारी व्यवस्था कायम की है जिससे एक रामराज्य की कल्पना की जा सके । हमने बड़े-बड़े कार्यक्रम जिला परिषदों को दिये हैं । प्रदेश के स्तर के और भी कार्यक्रमों को हम जिला स्तर पर ले जाने वाले हैं ।

कल, श्रीमन्, इस बात की चर्चा हुई कि प्लान गांव सभाओं से बन कर आनी चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे शासन की जितनी भी इकाइयां हैं, केन्द्र, स्टेट, जिला परिषद्, पंचायत और क्षेत्र समिति आदि, उनमें यह जिला परिषद् वह राढ़ है जिसमें बहुमत किसका है ? गांव के प्रतिनिधि उसमें आते हैं और उन्हीं की भावनायें तो प्रीवेल करती हैं । आज हमारे जिला परिषद् ऐक्ट के अन्दर ऐसे प्राविधान किये गये हैं जिनके द्वारा उन्हीं की भावनायें प्रीवेल करेंगी। लोक सभा और हमारे यहां के सदस्य भी उसके सदस्य हैं जिनके अनुभवों का फायदा उठाया जा सकता है । देश में और कहीं भी यह अधिकार नहीं दिया गया है, शायद एक दो जगह और है । जिला परिषदों को यह लाभ होगा कि वे संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के अनुभवों से लाभ उठा सकेंगी । हमने, श्रीमन्, जो ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार से चुन कर नहीं आ सकते, जिनके अनुभवों से हम फायदा उठा सकते हैं, उनके कोआप्शन की भी व्यवस्था की गयी है । हमने हरिजनों और महिलाओं के कोआप्शन की भी व्यवस्था की है । भारत के अन्दर इस योजना काल में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में, समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में क्षेत्र समितियों का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और भारत सरकार भी अब यह सोच रही है कि क्षेत्र समितियों के स्तर पर सारे विभागों के रूप में चेनेलाइज कर दिया जाय । जिस प्रकार से असेम्बली में हमारे सूबे के लिये बजट पर विचार करते हैं, क्षेत्र समितियां ब्लाक स्तर तक विचार कर सकती हैं । अभी कल चर्चा थी कि ब्लाक अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं, जिला परिषदों का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है । जिला परिषदों के साथ तो पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की कुछ परम्परायें हैं लेकिन हमारे यहां जो ये क्षेत्र समितियां आयी हैं उनके द्वारा भारत में नयी प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गयी है । सारे भारत में ५,२०० ब्लाक्स हैं जो करीब करीब ६६ या ८० हजार की आबादी के बीच में हैं । उत्तर प्रदेश में ८७५ ब्लाक्स और ८९९ यूनिट्स हैं क्षेत्र समितियों के। पहले जो ब्लाक एडवाइजरी कमेटी थी, वह तो केवल एडवाइजरी बाडी थी, उसके बारे में तो सबको यह शिकायत होती थी कि उसकी कोई सुनता नहीं है । लेकिन इस बजट के अनुसार क्षेत्र समितियां स्टेटुरी बाडीज हैं । उसको ब्लाक स्तर पर वही पावर्स हैं जो जिला स्तर पर जिला परिषदों को हैं । जहां पर ब्लाक्स प्रमुख भी आ गया है जो ६६ हजार या एक लाख की आबादी का प्रतिनिधि है, ग्रुप लेविल के आफीसर्स हैं तथा वहां पर बी० डी० ओ० चीफ सेक्रेटरी की तरफ से होगा । जितने भी इन्सपेक्टर्स तथा ग्रुप लेविल के आफीसर्स होंगे वे सब क्षेत्र समितियों के अन्तर्गत होंगे । सारे प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र समितियों को दिये जा रहे हैं । यही नहीं, क्षेत्र समितियों को ग्राम सभाओं के भी बहुत से कार्यक्रम दिये गये हैं। ग्राम सभा का बजट पहले डी० पी० ओ० पास करता था, वह सारा काम अब क्षेत्र समितियों को चला गया है ।

कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही है । लेकिन आप इसको देखिये, कहां ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही है । इस पंचायती राज्य के द्वारा हर जगह नानआफीशियल्स की ही संख्या बढ़ती जा रही है । जिस प्रकार से यहां पर चीफ मिनिस्टर काम करता है, जिला परिषद् में ५१ अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर का काम करते हैं, ब्लाकों में ब्लाक प्रमुख एक एजेन्सी के मातहत काम करते हैं ।

अब पांचवीं हमारी इकाई है ग्राम पंचायत । किसी देश की लेकर जेनेरेटिंग एकोनामी होती है तो ५ भागों में उसको हम लेकर चलते हैं । उसी प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन का जो हमारा प्रोग्राम है वह भी हम चाहते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में पूरा हो जाय । माननीय झारखंडे राय जी यहां नहीं है । उन्होंने कहा कि आल पावर्स टू सोवियट और आल पावर्स टू पीपुल्स कमेटी, लेकिन उनको यह पता तो होगा कि वहां पर जन-जन की भावना प्रिवेल नहीं करती । यह तो वास्तविकता है कि वहां जो पीपुल्स कमेटी बनायी गयी वहां जनता की भावनाओं की कद्र करके कायम नहीं की गयी । लाखों आदमियों को उनके पीछे मिटना पड़ा । लेकिन हिन्दुस्तान में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है जनता के मतों और जनता की भावनाओं की कद्र करना ही इस सरकार का उद्देश्य है । और उसी की भावनाओं की कद्र करके ही इस पंचायती राज्य की स्थापना की जा रही है । यही रूस और चीन जैसे देशों में भी हुआ है कि वहां जनता की भावनाओं को कुचल कर और हजारों लाखों आदमियों को तहस-नहस करके और उनके जीवन को बलिवेदी पर चढ़ा करके ही वहां उस राज्य की स्थापना की गयी है ।

यहां हमने पंचायत राज के साथ-साथ कुछ कार्यक्रम भी उसके साथ रखा है । आज इस सदन में इस बात की ज्यादा चर्चा चली कि प्रशासन का खर्च भी घटना चाहिये । सामान्य प्रशासन में खर्चा कम करने की उतनी बात नहीं है । सबसे अधिक न्याय प्रशासन की चर्चा ही बार-बार आती है और कहा जाता है कि गांव वालों को न्याय सुलभ नहीं है । मैं आपसे सही कहता हूं कि गांव के एक किसान का लड़का होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि ३०, ३५, ४०, ५० और सौ-सौ मील दूर से भी गांव के लोग कचहरी के केन्द्र में जाते हैं और एक छोटा सा मुकदमा ३२३ या ३२५ का भी हुआ तो गांव वाला किसी एजेन्ट के चक्कर में भी फंस जाता है जो कहते हैं कि चलो तुम्हारा मुकदमा हम फलां तहसीलदार, जुडिशियल आफिसर या आनरेरी मैजिस्ट्रेट के यहां दायर करवा देंगे और वे मुकदमा दायर कर देते हैं क्योंकि उनको भी किसान से कुछ रुपया मिल जाता है । आज इस बात को भी अपने सामने रखना होगा कि इस प्रदेश में न्याय पंचायतों की स्थापना हो जाने के बाद सबसे पहला कार्य यह किया गया कि सरकार ने उन सारे मुकदमों के फैसले के लिये जल्दी निबटारे का प्रबन्ध कर दिया । वैसे तो सन् ५० से अब तक के आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन मैं सब में नहीं जाना चाहता । मैं इतना कहना चाहता हूं कि ६२–६३ में हमारे प्रदेश में १,१२,७३७ केस न्याय पंचायतों में दाखिल हुए जिनमें से १,०५,४३३ केस डिस्पोज आफ हो गये, पंचायतों ने अपने लेविल पर उन पर निर्णय दे दिया । ३८,००० केस पुराने सब लेते हुए बाकी रहे । न्याय पंचायतें जब कायम हुई तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक स्टडी टीम बैठायी और उस स्टडी टीम ने पंचायत राज के अन्तर्गत गांव सभायें व न्याय पंचायतें जो कार्य कर रही हैं उनके संबंध में अपनी रिपोर्ट दी । उस स्टडी टीम की भावनाओं व उनकी रिपोर्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक निश्चय किया है और सम्भवतः इस सदन के इसी सत्र में या कोई भी आने वाले सत्र में सरकार अलग से एक न्याय पंचायत बिल पेश करेगी जिसमें सारे अनुभव और सारी कमियां व अच्छाइयां जो माननीय सदस्यों की ओर से और जनता की तरफ से तथा कार्य प्रणाली के संबंध में हमारे अधिकारी वर्ग व अन्य सभी लोगों के जो अनुभव हैं, उनका एक परिमार्जन व संशोधन करके ही उसे लाया जायेगा । इन सारे कार्यों के लिये अलग से सरकार एक न्याय पंचायत बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत करने वाली है ।

एक बात मैं और आपको बतलाऊं और उससे आप प्रसन्न होंगे । सही भी बात है कि अभी तक न्याय पंचायत के पंचों को एक तरह से मनोनीत करने की प्रथा चली जा रही है ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

जाहिर है कि ४९ के बाद गांव पंचायत के सदस्य चुन कर आये, उनको गांव सभा के सदस्य ही चुनते थे। उनका अलग फार्म हो गया। फिर नामिनेशन करने की प्रथा हुई और बाद में सोचा गया कि वोट से जो व्यक्ति चुन कर आता है उनकी प्रवृत्ति न्याय के मामले में वोट देने वालों की वजह से हिलती रहेगी। सदन में इसकी बड़ी चर्चा हुई कि नामिनेशन की पद्धति को हटायी जाय क्योंकि न्याय पंचायतों में सही आदमी चुन कर नहीं आते। यह कहा गया कि सरकार किसी एम० एल० ए० को या जिला परिषद् के अध्यक्ष को नामिनेट कर देती है इसलिये सरकार इस पर विचार करे और सोचे। अब यह प्रथा कर दी जायगी कि न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव संबंधित गांव सभा के लोग ही अपने वोट के अनुसार कर दिया करें। यही नहीं, न्याय पंचायतों के अन्दर हरिजनों व महिलाओं का कोटा करने के लिये कोआप्शन की बात भी न्याय पंचायत ऐक्ट में रखी जा रही है जिससे न्याय पंचायतों में महिलाओं व हरिजनों को कोआप्ट कर लिया जाय ताकि अच्छी न्याय पंचायतें बन सकें।

योग्य महामंत्री की जरूरत है और वह दुर्गादास को अपने साथ ले गया। तो योग्य मंत्रियों की भी बड़ी आवश्यकता है और उसकी बड़ी इम्पार्टेंस है। जो सेक्रेटरी हैं, बी० डी० ओ० हैं, आई० सी० एस० हैं और पी० सी० एस० हैं यह सब हमारे आपके घरों के भाई, भतीजे, भांजे, चाचा, लड़के हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो जेल जाते थे और लाठियां और तमाम यातनायें सहते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि आजादी के बाद हम सर्विसेज में जायगे। नौकरशाही क्या है, आजादी के आने के बाद इस शब्द का प्रयोग जिस तरह से किया जाता है वह कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं लगती। जहां फारेन रूल हो वहां इस प्रकार की परिभाषा का कोई औचित्य हो सकता है, लेकिन जब इस नाम से सर्विसेज को आज भी पुकारा जाता है तो मेरे दिल में कुछ चोट लगती है और उनको भी फील होता होगा। यह जितने डाक्टर, इंजीनियर, मशीन चलाने वाले, फाइलें देखने वाले जितने लोग हैं वह हमारे भाई और लड़के हैं, क्या हम घरों पर जाते हैं तो इनसे मिलते नहीं? क्या हम यह कहते हैं कि आप हटकर बैठिये और हमसे अदब से मिलिये? यह नहीं होने वाला है। यह तो फ्री मिक्सिंग सोसायटी है। हम सब मिल कर इस काम को आगे बढ़ायेंगे। बी० डी० ओ० और प्रमुख बैलगाड़ी के दो पहिये हैं अगर एक का भी दूसरे से कोआपरेशन नहीं हुआ तो परेशानी होती है। आप सब लोग क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं, उसकी सारी वर्किंग को गाइड करें, मेरा अनुभव है कि आपका काफी असर है और अगर उनकी कमियों को बतायेंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी बातों को वह रिजेक्ट कर दें। आफिशियल्स और नान-आफिशियल्स, दोनों की ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके लिये ९ हजार पंचायत सेक्रेटरीज में से करीब ४,६०० को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और २,४०० की ट्रेनिंग की व्यवस्था इस साल में हो जायगी।

अब मैं आपको इकोनामी की बात बताऊं कि पंचायत राज विभाग ने एक आदर्श स्थापित किया है। अभी तक जितने पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र चलते थे १२ या १३ तथा दूसरी तरफ बी० एल० डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर्स चलते थे उन दोनों को मर्ज कर दिया जिससे लगभग १ लाख रु० की बचत पंचायत राज की इस कार्यक्रम से हुई।

माननीय शिवन लाल सक्सेना ने कहा था कि पंचायतों को रेवेन्यू सारा का सारा देना चाहिये जिससे उनकी आमदनी बढ़े और वह अपने कार्यक्रम पूरे कर सकें। सही बात है। लेकिन चूंकि प्रदेश की सरकार के सारे रिसोर्सेज तीसरी योजना में प्लेज्ड हैं, महाराष्ट्र, आन्ध्र और राजस्थान सरकारों ने २५-३० फीसदी लैंड रेवेन्यू का दे रखा है, यहां भी पारसाल से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि कितना गांव पंचायतों को दें। एक बात बता दूं कि गांव पंचायतों को कम्युनिकेशन, हेल्थ की ग्रान्ट आबादी के अनुसार सारा का सारा रुपया उनको बांट दिया जाता है। चूंकि पंचायतें हमारी छोटी-छोटी हैं, ७२,००० की तादाद है, अगर ३६,००० होतीं तो स्वाभाविक है उनकी आमदनी बजाय १५०-२०० रु० के ४००-५०० रु० होती। केरल में साढ़े ११ हजार आबादी की पंचायतें हैं। हर गांव मह-

सूस करता है कि एक रिपब्लिक है। तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन में गांव पंचायतों की संख्या अधिक होना लाभप्रद है। पंचायतों की साम्पत्तिक स्थिति को बढ़ाने के लिये प्रोडक्टिव असेट्स के लिये ६ लाख रु० की योजना सरकार ने रखी है जिसमें से उनको हाट, फिशरीज, तथा अन्य पब्लिक यूटीलिटी के कामों के लिये लोन दिया जायगा। मैंने बुलन्दशहर में एक सेमीनार में देखा था जहां ऐग्रीकल्चर पर ज्यादा जोर देते हैं वहां पर इस बात की भी चर्चा है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ें।

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये खादी कमीशन के लोग काफी रुपया देने को तैयार हैं और उसके लिये ग्राम इकाई की योजना बनाई है। ५ हजार की इकाई पर साबुन,तेल,रोड मेकिंग इत्यादि कुछ आइटम्स हैं उनका कार्यक्रम हो। इसके लिये यह निश्चय किया कि ग्राम में इन इकाइयों को इफेक्ट देने के लिये ब्लाक स्तर पर मार्केट प्रोड्यूस करने वाली संस्था बनाई जाय। बहुत से स्थानों पर देखा कि माल प्रोड्यूस हुआ लेकिन क्योंकि मार्केट नहीं था लिहाजा वह प्रोडक्शन ठप्प हो गया। लिहाजा ऐसी इन्डस्ट्रियल सोसाइटी हो जो ब्लाक के लेबिल पर हो और जो सारा इम्पलिमेंटेशन देने के लिये साधन दे और जो प्रोडक्शन हो उसका ब्लाक लेबिल पर मार्केट पैदा करे। वहां से रुपया फिर इकाइयों के पास आये और उससे सारे प्रदेश को लाभ पहुंचे। लिहाजा इन्डस्ट्रियलाइजेशन के सम्बन्ध में गांव पंचायतों को भी बड़ा भारी कार्यक्रम करना है।

चायना के आक्रमण के बाद सरकार ने पीपुल्स पार्टिसिपेशन की बात सोची। गांव-गांव से श्रमदान और योजनाओं के कार्यक्रम चालू किये गये। वार एन्ड प्लानिंग इस देश के लिये समस्या हो गयी। इस देश में ९० परसेंट वार का कार्यक्रम नियोजन से बनता है। सारी बैकग्राउन्ड और सारी प्लानिंग का बैकग्राउन्ड वही है। सरकार ने तब यह सोचा कि इस देश में विलेज वालेंटियर फोर्स की स्थापना की जाय। ग्राम पंचायत ऐक्ट में यह विधान था कि २१ से ४५ वर्ष के आदमी को अनिवार्य रूप से श्रम देना होगा, लेकिन इस योजना को लागू करने के बाद २६ जनवरी, १९६३ को हमारे प्रान्त की बहुत बड़ी संख्या में पंचायतों ने यह तय किया कि वे अनिवार्य श्रम योजना को चालू करेंगी और इसकी देखभाल विलेज पंचायत फोर्स करेगी। यह बहुत अधिक रिसोर्सेज आमदनी की हो सकती है। अनिवार्य रूप से एक किसान जो एबिल बाडीड है १३ घंटे का श्रमदान दे और उसके लिये श्रम बैंक की स्थापना की जाय। उसमें सारा श्रम रजिस्टर हो। गांव में जो काम हों उनमें उस श्रमदान को लगाया जाय जैसे बन्धी बनाना, गूलें बनाना। हमारे लिये लेबर मुफ्त होगा और जो काम करायेगा उससे हमने जो रुपया लिया वह गांव पंचायतों में जमा कर दिया। २५० की आबादी है और १२० आदमी काम करने वाले हैं और सवा रुपया हमने फी आदमी मजदूरी ली तो १५०० रुपये की आमदनी हुई, और अगर उसमें ५००, ६०० रुपया भी नेट रुपये के रूप में गांव पंचायत में जमा किया तो हमारे प्रदेश में इस तरह से ७२ हजार पंचायतें हैं और हर एक से ५०० रुपये से आमदनी हुई, उससे जो रुपया आयेगा वह काफी बड़ी धनराशि होगी। सरकार इस पर विचार कर रही है कि पंचायत मन्त्रियों और विले (लेबिल वर्कर्स काडर्स को कैसे समीप लाया जाय और कैसे उनके सम्बन्ध अच्छे और सामंजस्यपूर्ण हो सकें और सम्भवतः इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा फैसला होगा। सरकार ने अभी तक १६ लाख रुपया अतिरिक्त पंचायत मन्त्रियों की नियुक्ति पर खर्च किया है। १२ लाख रुपया इस करेंट बजट में है और १४ लाख रुपया इसी योजना काल में अगले वर्ष रखा जायगा। तो पंचायत मन्त्री, बी० एल० डब्ल्यूज० और विलेज वालंटियर फोर्स के कार्यकर्ता और सभी जन सम्पर्क का काम करें तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं, यह आप स्वयं समझ सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मैन पावर मोबिलाइजेशन की स्कीम है। भारत सरकार ने इस योजना को चालू किया था लेकिन इमरजेन्सी के कारण केवल पिछड़े १५–१६ जिलों में लागू किया। गांव के लोगों के भले की यह स्कीम है। अब देवरिया जिले में ८० या ९० लाख रुपया इस स्कीम के अन्तर्गत रखा गया है। जो सोशलिस्टिक इकानामी की बात कही जाती है वह इसी तरह से हल होगी कि बीच में इन्टरमीडियरीज न रहें। जो आज ठेकेदारों के द्वारा रुपया खर्च कराकर काम होते हैं उनमें बहुत सा रुपया बीच वाले ले जाते हैं। इसीलिये सरकार ने सोचा कि मैनपावर

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

मोबिलाइजेशन स्कीम को चालू किया जाय जिससे उस क्षेत्र में जो प्रचलित मजदूरी है उस पर मजदूर वहां पर काम करें और जो भुखमरी, बेकारी इस प्रदेश में है दूर हो। यह काम दो कारणों से कुछ रुका सा है एक तो प्राविधिक परसानेल यानी इंजीनियरों आदि की कमी और दूसरे गांव सभाओं के सहयोग की कमी। उसको फिर से चालू करने की योजना है।

अब मैं अधिक न कह कर माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार प्रकट करेंगे और इस अनुदान को पास करें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं जिसका उद्देश्य विभाग की नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उन्हीं शब्दों में रखिये जिसमें छपा हुआ है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--गांव सभायें तथा पंचायतें के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मैं माननीय पांडेय जी की बातों का जवाब तो बाद में दूंगा क्योंकि उन्होंने तो पंचायत राज का असली चित्र सामने रखा है, किन्तु सबसे पहले तो नियोजन मन्त्री जी, राममूर्ति जी का बोझ हलका कर दूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। कल राममूर्ति जी ने एक बात रखी थी जिस पर मैं रात भर गम्भीरता से विचार करता रहा कि क्या सचमुच विरोधी दलों के लोगों को सरकार की किसी बात को तो ठीक कहना चाहिये। उन्होंने सरकार को एक सुन्दरी की उपमा दी थी और कहा था कि अगर कोई भी बात उसकी प्रशंसा में नहीं कही जायगी तो वह नाशाद हो जायेगी। मैं राममूर्ति जी से कहना चाहता हूं कि मैं आज सुझाव दूंगा और वह नाशाद नहीं होने पावेगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि सरकारी पार्टी और विरोधी पार्टी दोनों के अलग-अलग अधिकार और कर्तव्य होते हैं। सरकारी पार्टी का कर्तव्य होता है कि प्रदेश और देश के अन्दर कानून बनावें और उनका सही इस्तेमाल करावें और विरोधी पार्टी का काम सही सुझाव देना और उनके कार्यान्वयन के लिये सभी प्रकार के उपाय करना यही सच्ची प्रजातांत्रिक परिभाषा है। अब सरकारी पार्टी अगर यह चाहे कि विरोधी पार्टी भी उनका गुणगान करें तो फिर वह यह भूल जाते हैं कि विरोधी पार्टी के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? आचार्य नरेन्द्रदेव ने प्रजातन्त्र की सही सही परिभाषा की थी और कहा था कि विरोधी पार्टी का कर्तव्य स्वस्थ आलोचना करना और सही सुझाव देने हैं। आपकी सरकार अजीब सरकार है। आपका गुरूद्वारा ही खराब है दिल्ली में। जब दिल्ली में विरोधी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया तो आपका भी प्रदर्शन हो गया और सारी दुनिया में उसका प्रचार किया गया। आचार्य कृपालानी और राम मनोहर लोहिया ने बड़े-बड़े लेख लिखे कि सरकारी पार्टी का काम प्रदर्शन से नहीं प्रकट होता, बोलने से नहीं प्रकट होता, उसका सही चित्र तो सरकार के कामों से प्रकट होता है। (व्यवधान) आपके भी बराबर प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शन तो विरोधी पक्ष करते हैं, सरकारें प्रदर्शन नहीं करती हैं, उनका तो काम बोला करता है।

इसके बाद पांडेय जी ने पहले जिला परिषद्, फिर क्षेत्र समिति और उसके बाद ग्राम पंचायत, तीन तरह से सदन को समझाया। मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत को लेता हूं। उन्होंने अपने भाषण में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को बता कर सिद्धान्त को अच्छी तरह से समझाया। सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की एक बात मैं कहता हूं। ग्राम पंचायतों का चुनाव और प्रधान का चुनाव आपने सीधा कराया और उसी के आधार पर क्षेत्र समितियां बनीं लेकिन क्षेत्र समितियां आपने

नामिनेट और कोआप्ट करके बनायीं। आज ग्राम पंचायत और प्रधान को सारी जनता जानती है क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है लेकिन क्षेत्र समितियां और ब्लाक समितियों को सिर्फ आप ही जानते हैं क्योंकि आपने उन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से चुना है। क्षेत्र समिति को आपने नामिनेट और कोआप्ट कराया और उन्होंने प्रमुख बनाया और उसके बाद जिला परिषद् भी इसी तरह से बना। मेरे जिले में ७ लाख की जनसंख्या में ५५ सदस्य हैं। विधान सभा में १ लाख पर एक प्रतिनिधि होता है और जिला परिषद् का चेयरमैन जिसके हाथ में विधान सभा के सदस्य से कई गुना अधिक अधिकार होता है उसको कितने लोग जानते हैं केवल ५५। हमारे जिले में अगर आप ५१ परसेंट जनता पर भी चेयरमैन का नाम जनवा दें तो मैं समझूं। तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली खत्म कीजिये। यह सामन्तवादी मनोवृत्ति की बिलकुल परिचायक है। आपको चाहिये कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के सीधे चुनाव कराइये। माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि इसमें खर्चा कम हुआ है। तो मैं इसका भी जवाब दे दूं। क्षेत्रीय प्रमुख के चुनाव में सीधे चुनाव से तीन, चार गुना, ज्यादा खर्चा हुआ। जिला परिषद् के चुनाव में कोई भी वोटर बिना खरीदें नहीं रह गया। कांग्रेस पार्टी के लोग भी खरीदे गये, विरोधी पार्टियों की बात छोड़िये। अगर आप सीधा चुनाव कराते तो जनता में इतना रुपया कौन उम्मीदवार बांट सकता था। आपने अप्रत्यक्ष चुनाव कर के शासन के कन्धे तो मजबूत किये परन्तु डेमोक्रेसी के बिलकुल खिलाफ काम किया है, इसके लिये इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रजातान्त्रिक पद्धति से राज्य चलाना है तो डायरेक्ट चुनाव कराइये। सारे देश और प्रदेश में यदि कोई चुनाव १५ अगस्त, १९४७ के बाद अप्रत्यक्ष होता है तो उससे वही पुरानी सामन्तवादी परम्परायें फलीभूत होंगी, प्रजातन्त्र फलीभूत नहीं हो सकता। इसके बाद, और आपने इन पंचायतों को अधिकार क्या दिये हैं? कांस्टीट्यूशन में कोई अधिकार नहीं है, पावर्स डेलीगेट किये हुये हैं। तभी आपको चौकीदार रखना पड़ता है और चौकीदार कौन है? ए० डी० ओ०। मेरे क्षेत्र में एक ए० डी ओ० ने बहुत से प्रधानों को मुअत्तिल कर दिया और चूंकि प्रधान पढ़े लिखे नहीं होते इसलिये वे हिसाब नहीं रख सकते और सेक्रेटरी उनके मालिक हो जाते हैं। ए० डी० ओ० ने उन सबको मुअत्तिल कर दिया और गबन के केस हाकिम परगना के यहां चल रहे हैं। ऐसी हालत में आप कैसे कहते है कि आपने सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया।

इसके बाद, दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बिजली और सिंचाई का मालिक बनाया, पर उद्योग का मालिक नहीं बनाया। आप २०० करोड़ रुपया भाखरा पर खर्च कर देंगे, ५५ करोड़ रुपया रिहन्द पर खर्च कर देंगे, लेकिन २ करोड़ की मिल नहीं लगा सकते। इसी तरह से ग्राम पंचायतों को आपने कोई ताकत नहीं दी है फिर वे कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं? इसलिये आपने सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया है। आपने सारी शक्ति अपने हाथ में ही रखी है। इसी तरह से आपका काम चल रहा है।

आपके यहां जो जिला परिषद् हैं उनकी जगह पर इंगलैंड में काउन्टी कौंसिल हैं। वहां के सदस्यों के हाथ में शिक्षा और पुलिस का काम रहता है। लेकिन आपके जिला परिषदों को कोई अधिकार नहीं है। यह हमारा देश बड़ा अभागा मुल्क है। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जिलाधीश का ओहदा बता दें तो जो आप कहें वह मैं करने के लिये तैयार हूं। यह ओहदा बिलकुल बेकार है और यह अंग्रेजी साम्राज्यशाही का प्रतीक है। अगर सत्ता का विकेन्द्रीकरण असली माने में करना चाहते हैं तो आप मेरी बात मानिये मैं क्षेत्र समिति के गठन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप उनका प्रत्यक्ष चुनाव कराइये और उनको अधिकार दीजिये। उनको शिक्षा के अधिकार दिये जायं और पुलिस का महकमा इनके नीचे होना चाहिये। ग्राम पंचायतों के पास अगर बंदूकधारी पुलिस न रहे तो डंडे वाली पुलिस का रहना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई गांव में बंदूक का लाइसेंस लेना चाहे तो हाकिम परगना वगैरह की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत को लाइसेंस देने का पूरा अधिकार दिया जाय। जिला परिषदों के नीचे पुलिस कप्तान रहना चाहिये।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

जिले के सारे के सारे महकमे जिला परिषद् के नीचे रहने चाहिये। मैं जिलाधीश शब्द से ही नफरत करता हूं। ८ करोड़ जनता का मालिक एक सरकारी नौकर हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर आपको जिलाधीश से ज्यादा प्रेम है तो इसको जिला परिषद् के चेयरमैन का सेक्रेटरी बना दिया जाय तब कहीं जाकर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। इस तरह से नहीं हो सकता है। आपका उद्देश्य जरूर प्यूपिल्स गवर्नमेंट का है और आप चाहते भी हैं, लेकिन जब आप सोचने लगते हैं कि सत्ता हमारे हाथ से न निकल जाय तो आपको बड़ी भारी हिचक होती है।

मैंने दुनिया के जनतंत्र की पद्धति को पढ़ा है। राजनीतिज्ञों ने कहा है कि जनतंत्र एक गेंद के खेल के समान है। अगर आपके मन में यह बात पैदा हो गई है कि आपकी हुकूमत नहीं चलेगी तो खिलाड़ियों की तरह से आप खेलिये और आप हारे चाहें जीतें, लेकिन सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और जनता के नुमायन्दों को सरकार ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदान करेगी तभी सही काम हो सकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में आपको क्या-क्या करना चाहिये। एक तो आपको अपनी नीति को बदलना चाहिये। इसके बाद जैसे-जैसे साधन बढ़ते जायं वहां कार्य करते जायं और एक प्रचार सेना हो जो समाचार पत्रों को पढ़ कर लोगों को सुनाये और इसका प्रचार का कार्य बढ़ाया जाय। रेडियो होने चाहिये और सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों के प्रोग्राम जनता के सामने आने चाहिये जिससे जनता समझ सके कि कौन उसके लिये क्या कहता है? इस तरह से सही बात जनता तक पहुंच सकती है, लेकिन इसको आप नहीं कर रहे हैं। रेडियो के बारे में यह है कि अगर मिनिस्टर साहब का भाषण होगा तो वह पूरा सुनाया जायगा और जो बात हम लोग कहेंगे वह एक आध लाइन में रख दी जायगी। जैसे एक गाड़ी के दो पहिले होते हैं उसी तरह से सरकार में विरोधी दल भी गाड़ी का एक पहिया होता है। अगर एक पहिया कमजोर हो जायगा तो गाड़ी नहीं चल सकती है। आप काम भी करते हैं और लक्ष्य भी आपका अच्छा होता है, लेकिन आप इस बात से डरते हैं कि अगर सत्ता छिन जायगी तो सारे लक्ष्य रखे रह जायंगे। इसलिये आप सही काम नहीं कर पाते हैं।

दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायतों में एक फार्म होना चाहिये जिसमें उन्नत बीज पैदा करें। इसमें हर प्रकार की तरकारी, फल और फलों के बीज पैदा कीजिये। तीसरी बात यह है कि सामूहिक खाद जिसमें गोबर और हरी पत्ती की खादों को प्रमुखता दी जाय इसका प्रबन्ध ग्राम सेवक और ए० डी० ओ० से ग्राम पंचायतों की सहायता से करवाइये। ग्राम पंचायतों में सिंचाई का प्रबन्ध हो। आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत को रुपया दिया लघुकार्यों के लिए। हो क्या रहा है? ग्राम पंचायत यह समझती है कि हमको कांस्टीट्यूशनल पावर नहीं है। इस लिए रुचि नहीं लेती। ए० डी० ओ० लोग गड़बड़ करते हैं। आप समझते हैं कि नये कुओं में रुपया लग रहा है और रुपया जा रहा है लड़कियों की शादी में। आपका काम ढीला है। राममूर्ति जी आप कल कहते थे कि हमारी तो महादेव जी की बारात है। महादेव जी की बारात से क्या किसी प्रजातांत्रिक देश ने शासन चलाया है? कुशल प्रशासक की एक आंख में गुस्सा और दूसरी आंख में दया रहनी चाहिये। आप गुस्सा करते हैं तो दोनों आंखों में गुस्सा होता है, इतना बढ़ाते हैं कि तमाम गलत काम कर डालते हैं और दया करते हैं तो इतनी दया करते हैं कि चाहे जितनी भ्रष्टाचार और पक्षपात की बात कही जाय सुनते ही नहीं। महादेव जी की बारात तो जाकर मंदिर में पूजनी चाहिये शासन में नहीं।

ग्राम पंचायतों में एक सांड घर होना चाहिये जिसमें अच्छे नस्ल के सांड हों, मुर्गे, बकरे, भेड़ें भी हों। उसके बाद मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम के कीड़े का उद्योग फैलाया जाय। ग्राम पंचायतों का एक गोदाम होना चाहिए, सहकारी समिति होनी चाहिये, लगान वसूली का अधिकार ग्राम पंचायतों को देना चाहिए। हम लोग तो चौखम्भा राज्य की बात करते हैं पांडेय जी ने पंचखंम्भा राज्य की बात कही। बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली के खम्भे के अन्दर सारा काम हो रहा है, लखनऊ के खम्भे के अन्दर काम हो रहा है, जिले और गांव के खम्भे

में क्यों नहीं कर पाये ? मालगुजारी का एक चौथाई आपको ग्राम पंचायतों को देना चाहिये तब ग्राम पंचायतों का काम चलेगा । गांव पंचायतों में हर पांच घरों पर एक लालटेन चाहिये । पीने का नल होना चाहिये । महिलाओं के लिए स्नानघर होने चाहिये । लघु उद्योगशाला होनी चाहिये । गांव सभाओं के लिए रुपया कहां से आयेगा ? लघु उद्योग-शाला बनाइये जिसमें किसान मजदूर काम करें बेकारी के समय में । डलियां बनायें, चटाई बनायें । मेज कुर्सी और खेती के औजार बनाना सीखें, साबुन और कपड़ा बनाना भी सीखें । दुनिया के जिन मुल्कों ने प्लानिंग किया है, चीन जिसको कहते हैं कि इतना डिक्टेटोरियल मुल्क है, यह सारी बातें हो सकती हैं । लेकिन उनकी प्लानिंग आपने देखी है ? आप हल्ला करते रह गये, चीन के अन्दर अकाल पड़ गया है, सारे अखबार आपके पार साल यह निकालते रहे । वह तो उसको झेल भी गये और आपको तो श्रीमन्, एक मामूली झटका सा लगा, वह भी नहीं झेल पाये । चीन ने तो आपसे मांगा नहीं, लेकिन शायद आपको दुनियां से मांगने की जरूरत पड़ रही है । तो प्लानिंग देखिये । प्लानिंग आपकी गलत है । उसको सुधारिये । तब जाकर कोई कार्यवाही ठीक हो सकती है ।

पांडेय जी कहते है प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्वयंसेवक दल हो, ठीक है होना चाहिये । लेकिन मैं उसे अन्य सेना का रूप देता हूं । एक अन्य सेना अनिवार्य रूप से भर्ती कीजिये । वही ग्राम की रक्षा का कार्य करे, ग्राम स्वयंसेवक दल का कार्य करे और अन्न उपजाओ का भी आन्दोलन चलाये । प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राइमरी स्कूल अनिवार्य रूप से हो और उसके साथ-साथ एक कन्या पाठशाला भी होनी चाहिये । ब्लाक स्तर पर एक जूनियर हाई स्कूल होना चाहिये और जिला स्तर के अन्तर्गत एक डिग्री कालेज हो और वैज्ञानिक कालेज होना चाहिये । तब जाकर आपकी शिक्षा का काम ठीक हो सकता है । यह सब बातें अगर आप करें, तो कुछ काम हो सकता है ।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)——

करेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा——

अगर आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तब फिर आप चाहे जितना रुपया सदन से लें, मुझे या सदन को उसमें बुरा नहीं लगेगा ।

न्याय पंचायतों की बात माननीय पांडेय जी कह रहे थे । मैं भी यही कहने वाला था कि न्याय पंचायतों का चुनाव ग्राम पंचायतों द्वारा होना चाहिये । अब अगर आप चुनवायें तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पांच साल के लिए तो आपने अपना खम्भा गाड़ ही दिया । आपको मालूम है, आम चुनाव से पहले आपको न्याय पंचायत का चुनाव कराना चाहिए था । लेकिन आम चुनाव के बाद में इसलिये कराया कि लोग कुछ उलझे रहें और उलझने के बाद जब आम चुनाव हो जाय और सरकार बन जाय तो फिर सरकार के साथ वह काम करते रहें और चुनाव में सरकार को जितायें, यह आपका लक्ष्य था । वरना उससे पहले आपको चुनाव कराना चाहिये, लेकिन नहीं कराया और नहीं कराया तो क्या किया ? कोई भी उत्तर प्रदेश विधान सभा का विरोधी पक्ष का सदस्य बताये कि जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी, वह उसके पक्ष में रहा हो । ऐडवाइजरी कमेटी गलत थी । मैं तो उसके बहुत खिलाफ था । मैं तो चाहता था कि पंचों के चुनाव सीधे हो जायं, लेकिन वह बात आपने नहीं मानी और नहीं मानी तो क्या कर दिया कि हम जीते हुए लोग भी उसमें आ गये । तो मैं अपने क्षेत्र की ऐडवाइजरी कमेटी में जब बैठा, लखी सिंह जी का चुनाव एक दिन पहले हो गया था, तो मैंने देखा कि मेरे खिलाफ जो मिनिस्टर साहब हारे थे और जो अब वकालत करते हैं, वह भी अपनी डायरी लेकर वहां पहुंच गये । पांच छः महीने पहले हारे हुये थे । मैंने पूछा कि आचार्य जी, आप कैसे आ गए, तो कहा कि रात तार आया है सरकार का कि मैं भी पंच कमेटी का मेम्बर बना दिया गया हूं । क्या यही

[श्री राधेश्याम शर्मा]

आपकी डेमोक्रेसी है और यही आपका सत्ता का विकेन्द्रीकरण है, यही राजनीतिक विकेन्द्रीकरण है ? सन् ५७ में जब हम हार गये थे तो हमको क्यों नहीं बनाया था ? लेकिन उनको नामिनेट कर दिया और उसके बाद क्या हुआ ? सब क्षेत्रों में नामिनेट किया। इस लिए किया कि सरकारी पक्ष कहीं कमजोर न हो जाय। और श्रीमन्, हम जिस क्षेत्र में जीते वहां पर तो हारे हुये आदमियों को नामिनेट कर दिया, देखिये इनकी पकड़ यहां होती है, डेमोक्रेटिक समाजवाद की बात ये करते हैं, दो सीटें हम जीते जिले में वहां तो अपना आदमी नामिनेट कर दिया और जिन चार सीटों पर हम हारे वहां हमारे आदमी को क्यों नहीं लिया राममूर्ति जी ने उनको भी ले लेते। कहां आपका सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ ? आपने बिलकुल अपनी मनमानी न्याय पंचायतों के चुनाव में किया और माननीय पांडेय जी कह रहे थे कि हम अदालती पंचायतों से चुनाव सीधे करायेंगे, तो बात की बात तो छोड़ो लेकिन इन पांच सालों के लिए तो आपने खूंटा गाड़ दिया। मुझे बड़ा दुख है, किसी भी विरोधी दल के माननीय सदस्य से पूछ लीजिये, इस तरह यह डेमोक्रेसी कैसे चलेगी ? हर आदमी कहता है कि प्रधान और पंच और सरपंच चुनाव से पहले क्या थे—स्वतंत्र और चुनाव के बाद में किसके हैं-कांग्रेस के। मैं जिस गांव में जाता हूं तो अब तो एम० एल० ए० होने के नाते वह हमको सलाम कर लेते हैं, सोचते हैं कि कहीं शिकायत न कर दें, वरना तमाम प्रधान और पंच सरपंच सन् ५७ तक जब हम विधान सभा के सदस्य नहीं थे, जब वह चुने नहीं गये थे तो क्या समझते थे कि हम स्वतंत्र हैं और अब सरकार के हो गये हैं। चुनाव के पहले स्वतंत्र हैं और सरकार की मोहर लग जाती है चुनाव के बाद। तो यह कोई सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है। आपका लक्ष्य यह हो सकता है, लेकिन हर समय आपको डर यही लगा रहता है कि कहीं कुर्सी न खिसक जाय, इसलिए यह सारी कार्यवाही आप कर रहे हैं।

अब मैं आपको बतलाऊं कि मैंने अदालती पंचायतों को देखा है जिसकी सक्रियता की बात मंत्री जी ने बतलाई। अदालती पंचायतों के बारे में आंकड़े इकट्ठा करके यहां पर बतलायें कि इतने मुकदमें आये और इतने मुकदमें उन्होंने निपटा दिये। पर क्या उनकी कोई कीमत है? वह घोड़े की चौपाल में बैठता है। आप आनरेरी मजिस्ट्रेट के लिये बैठने का इन्तजाम नहीं कर पाते। उसके लिये चपरासी का इन्तजाम करते हैं, लेकिन सरपंच के लिये कोई दफ्तर है ? कौन चपरासी उसका काम करे ? किस प्रकार से मुकदमें का वहां फैसला हो ? मजिस्ट्रेट को जिस तरह से अधिकार है क्या उस तरह के उसको कोई अधिकार हैं ? सब फर्जी कार्यवाही होती है। सब फर्जी केस चलते हैं और कागज पर सबकी कार्यवाही हो जाती है। इसलिये आपकी न्याय पंचायतों की कोई सक्रियता नहीं है।

इसके बाद मंत्री जी ने ग्राम पंचायतों की टैक्स वसूली की बात कही। आपको मालूम है कि या तो वह ग्राम के डाकखानों के पासबुक में पड़ा हुआ है या ज्यादा लोग उसको हज्म कर गये हैं। क्या वहां पर कल्याण का काम हुआ है इसको ग्राम पंचायतों में जाकर देखिये। जो बातें आपने बतलाई हैं शायद कहीं पर खरन्जा नाम को लग गया हो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की बातें हैं, करने की बातें नहीं हैं। जिस दिन करने की बात करेंगे तो हमको कोई शौक नहीं है कि हम सरकार की आलोचना करें। हम केवल इसलिये आलोचना सरकार की करते हैं कि यहां पर स्वस्थ परम्परा पड़े। जब सरकार काम करके दिखायेगी तो उसका काम बोलेगा। हम उसकी प्रशंसा करेंगे। हमारी आलोचना सरकार को फेल नहीं कर सकती है। सरकार जब फेल होगी तो वह अपने काम से ही फेल होगी। यह बात याद रखिये कि हम कितनी ही बात करें, लेकिन अगर आपका काम ठीक होगा तो हम भी सही कहने लग जायंगे। उससे पहले नहीं कह सकते।

कल राममूर्ति जी ने एक बात कही कि अगर कुछ रुपया खा लेंगे तो उससे क्या हो जायगा। अपने वह बात ईमानदारी से कही परन्तु वह बात असेम्बली के सामने कही गई जो अखबारों में छपेगी और प्रोसीडिंग्स में छपेगी। इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। और लोगों को जितनी शिकायतें हैं इससे और अधिक बढ़ेंगी। सदन के अन्दर इस तरह की बात कही जानी चाहिये जिसका असर बाहर बुरा न पड़े। कल आपने पिट्ठी न पिट्ठी का शोरबा वाली बात कही थी।

यह बात सही हैं हम कुछ भी नहीं है, लेकिन जब यहां पर अंग्रेज थे तो आप और हम दोनों क्या थे ? आप भी पिट्ठी न पिट्ठी का शोरबा थे। लेकिन आज पहाड़ बन गये हैं। अब अगर आपके काम गलत होंगे और इसी तरह से गलत काम आप करते रहे तो आप भी खाक हो जायंगे। मंत्री जी, आपको मालूम होना चाहिये कि अंग्रेजी राज्य का आज यहां से सफाया हो चुका है और दुनिया के और देशों से भी वह हट चुके हैं जबकि हम यह सुना करते थे कि उनके राज्य में सूरज नहीं छिपता है। आज उनकी क्या हालत है ? इसलिये आप इस प्रकार की बाते यहां पर न कीजिये। इस प्रकार की घमंड की बात यहां पर कहना आपको शोभा नहीं देता है। मैं चाहता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर हमला न किया जाय।

भ्रष्टाचार की बात कही गई। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जायं और देखें कि किस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार है। किसी की शिकायत की जाती है तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। तो फिर किससे जाकर शिकायत करें ? एक आपको उदाहरण सुनाऊं। मैंने एक ग्राम पंचायत मकरपुर बसेला की शिकायत की और वह २ महीने पहले शिकायत की कि तथा ब्लाक से ग्राम प्रधान व पुलिस दलाल ने ५ हजार का गबन किया। बी० डी० ओ० ने उसकी इन्क्वायरी की। डी० पी० ओ० ने उस केस को दबाने की कोशिश की। पुलिस कप्तान उसकी जांच करने के लिये गये। वहां पर कुछ और जो जिले के लोग हैं वह सब चाहते थे कि इस केस को दबा दिया जाय तो मैंने राममूर्ति जी से कहा और उनके कमरे में जाकर उनसे मिला और एक दरख्वास्त भी दी। उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से मेरे सामने उस दरख्वास्त पर कार्यवाही की और उस पर कुछ लिखा। मैंने समझा कि कुछ न कुछ इस मामले में जरूर होगा, परन्तु फिर जब राममूर्ति जी से मिला और उनसे पूछने के लिये गया तो उन्होंने मुझसे बतलाया कि अभी तक उसमें कोई जांच नहीं हुई है। श्रीमन्, २ माह तक वहां नहीं पहुंचा। कुछ नहीं हुआ और पुलिस कप्तान से जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि यहां के नेतागण भी केस वापस कराना चाहते है इस-लिये हम वापस कर रहे हैं। मैं कप्तान पर बिगड़ा और कागजात राममूर्ति जी को फिर दिये और उन्होंने फिर लिखा। लेकिन या तो उनकी कोई बात मानता नहीं और अगर मानता भी है तो पीछे उसे बदल देते होंगे कहीं न कहीं कोई खराबी जरूर है। तो जब मैंने पुलिस कप्तान को चिट्ठी लिखी तो उसके बाद राममूर्ति जी ने तो वायदा किया है कि १६ मार्च को मिलो। मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन पुलिस कप्तान का पत्र मुझे ९० दिन बाद मिला है जिसमें लिखा है कि it has since been decided to prosecute the case of Gram Panchayat, Bhakhar-pur Basila जब इतना हल्ला मचाया तो यह हुआ। तो मेरे दिल में भी उनके लिये दर्द है। सदन में जो कुछ हम कहते हैं, बाहर जाने पर भूल जाते हैं कि किस मंत्री के बारे में हमने क्या कहा था और किस मंत्री ने हमारे बारे में क्या कहा था। हम तो चाहते हैं कि स्वस्थ जनतांत्रिक पद्धति इस देश में पनपे और यह प्रदेश फूले फले। मैंने जितने सुझाव दिये हैं मंत्री जी ने वायदा किया है कि वे उन्हें मानेंगे। और मैं चाहूंगा कि उनके लिये कोई वह ठोस और सक्रिय कदम भी उठायें। लेकिन इसके साथ-साथ वे अपनी धारा सभा की तरफ से ही इन जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों को काम करने दें। अपना बजट और कार्यक्रम बनाने दें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

इसके साथ ही एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि जो भी आपका काम हो वह होना जरूर चाहिये और ठोस तरीके से होना चाहिये। मैन पावर स्कीम में अगर कर्मचारी कम है या कोई और दिक्कत है तो तमाम जिलों में काम शुरू करके उसका मखौल न उड़वाइये। आप योजना लेते हैं। लेकिन उसे पूरा नहीं करते। बड़ी मुश्किल से राममूर्ति जी से बार बार मेरे कहने पर हमारे यहां बांध का काम हुआ है। आप ग्राम पंचायतों में यह विश्वास पैदा करें कि हम जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास लेकर सही नियंत्रण में प्रदेश को प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। तभी आपके प्रति उनमें विश्वास पैदा होना। जिस दिन हमको विश्वास हो जायगा कि प्रदेश की सरकार इस ओर अग्रसर हो रही है तो हमको

[श्री राधेश्याम शर्मा]

आपकी आलोचना करने की आश्यकता न रहेगी। लेकिन अगर आपका रवैया यही रहा तो प्रजातन्त्र में एक स्वस्थ विरोधी दल का काम है सरकार की स्वस्थ आलोचना करना, और सही सुझाव देना, वह हम करेंगे ही। इतना कहकर मैं समाप्त करूंगा और आशा करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य जो मेरी बातें सुन रहे हैं उन पर अमल करेंगे। जो कुछ वे निवेदन करेंगे उसके संबंध में मैं अपने जबाब में उत्तर दूंगा। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्यों की बातें सुनकर मैं आपको और कंक्रीट सुझाव दूंगा। लेकिन मुझे आशा है कि खिलाड़ी की स्पिरिट की तरह से राम मूर्ति जी मेरे सुझाव मानेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि यह बात कही गयी है वह भूल जाने काबिल है। उसे अमल में लाने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहता था।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विकास मंत्री जी द्वारा जो पंचायतों के लिये अनुदान पेश किया किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कई साल से मैं देखता हूं १२,१३ साल हो गये, बजट का जो प्रत्येक वर्ष का तरीका है, उस पर विवाद के समय लोग अपने विचार पेश करते हैं। सरकार की ओर से जो विचार पेश किये जाते हैं वह सरकार की मंशा, सरकार के उसूल और सरकार की भावनाओं का दिग्दर्शन कराते हैं और दूसरे लोग जो उनकी आलोचना करते हैं वह चाहे मैं होऊं अथवा अन्य माननीय सदस्य वे लोग अपने विचारों, उसूलों और भावनाओं के अनुसार उन पर विवाद करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। अगर सरकार के विचारों पर आलोचना करें तो मुझे यकीन है कि उनके विचारों का भी गांव में बहुत ज्यादा मजबूती के साथ प्रचार हो सकता है। मैंने कई दिन सुना रोज समाजवाद का एक नारा। समाजवाद क्या वस्तु है? सन् २५ से सुनता आ रहा हूं। मैंने कांग्रेस की विचारधारा सुनी, कम्युनिस्ट की सुनी, जबसे देश आजाद हुआ देश और सरकार की विचार-धारा सुनता हूं, जानता हूं और देखता हूं। लेकिन केवल बहस करने से हम किसी चीज का प्रचार कर लें, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया, चाहे उसे समाजवाद कहें, चाहे गांधी जी के शब्दों में ग्राम राज या रामराज कहें। किसी तरफ चलें, लेकिन सबको मैं याद दिलाऊं हमारा उद्देश्य है कि गांव में रहने वाली जनता, शहरों में, नगरों में टाउन एरियाओं में रहने वाली जनता को कपड़ा मिले, शिक्षा मिले, खाना मिले, उनकी उन्नति हो, उद्योग मिले। इन सब पर विचार कर रही है सरकार। अगर मैं यह कहूं कि सरकार ने वह काम पूरा कर लिया है तो यह ठीक नहीं होगा। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, गरीबी है, जिस तरह से इसको खंडहर बनाकर अंग्रेज गया, तो १२-१४ साल में इतना बड़ा काम पूरा कर लेना शायद नामुम-किन था, देश का उद्धार गरीबी और रोगों से हो नहीं सकता था।

कई दिन से पंचायतों पर विवाद चला। उनमें क्या बल नहीं मिला है, क्या गांव की जनता में राजनीतिक चेतना पैदा नहीं हुई है, सामाजिक चेतना जागृत नहीं हुई है, शिक्षा का असर क्या नहीं हुआ? अंग्रेजी राज्य में सन् २५-२६ में मैं देखता था कि जब एक किसान नहीं जानता था कि उसकी लगान की रसीद पर कितना रुपया लिखा गया है। अगर एक चिट्ठी या तार अंग्रेजी में आ जाता था तो वह समझ नहीं पाता था कि क्या करे। इस १०-१२ साल के अन्दर प्रदेश में क्या इतनी जागृति नहीं हुई कि चाहे हरिजन हो या ऊंची जाति वाला हो, हिन्दू, मुसलिम, ईसाई सभी में शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ? आज क्या कुयें नहीं बन रहे हैं, जबकि पुराने जमाने में जून के महीने में २-२ फरलांग तक पानी पीने को नहीं मिलता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था आज अगर कुआं नहीं है तो हैन्डपाइप घर के सामने मौजूद है । सरकार का उद्देश्य है कि गरीबी दूर हो, उसके लिये वह हर तरह का सहयोग देने के लिये तैयार है । हो सकता है कि कुछ हमारे विचारों में या जो कागज बनाये जाते हैं अधिकारियों द्वारा उसमें गलतियां हो सकती हैं, हुई हैं, होती हैं । इस तरह से तो ब्रह्मा के कागज में भी गलती निकाली जा सकती है कि कि इतने रोग कैसे हो गये । तो मनुष्य मात्र से गलती संभव है । गलती हो सकती है, खर्च ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने स्थिति को देखा है और अगर कोई कहे कि गांव का किसान सरकार की स्कीम में तैयार नहीं है सहयोग देने के लिये तो यह बात सही नहीं है ।

हमारे जिले में दो क्षेत्र हैं जिनमें एक क्षेत्र से जनसंघ का उम्मीदवार चुनकर आया है तथा दूसरे क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं । वहां मेरे क्षेत्र में न लाठी है, न पुलिस है, न किसी का दबाव है, साढ़े ३ लाख की आबादी है, वहां पर मेरे आह्वान पर ५० हजार किसानों ने श्रमदान किया और उन्होंने अपने श्रमदान से सड़क को बनाया । मैंने उनको बताया कि यह उनकी भलाई का काम है, इसलिये उन्होंने उसको किया, किसी दबाव के कारण नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, १५,१६ १७ तारीख को जब कि भयंकर शीतलहरी का प्रकोप था, गांव वालों ने उन दिनों अपने श्रमदान से साढे २७ मील की एक सड़क, १० मील की एक सड़क, १२ मील की एक सड़क और ८ मील की एक सड़क को बनाया । यह कार्य उन्होंने १६ से २७ तारीख तक किया पूरी तहसील के लोगों ने आकर श्रमदान किया । यह नहीं कि उन्होंने उसको पक्का कर दिया हो, मगर मट्टी डाल कर उसको पूरा किया ।

यही नहीं, मैंने इस भावना को दूसरी जगह भी फैलाया । एक दिन में राधोराम पट्टी, ब्लाक रामपुर, गया और वहां पर मैंने देवनारायण पांडेय की अध्यक्षता में वहां के लोगों को श्रमदान का महत्व समझाया और उसके द्वारा होने वाली भलाई को उनको बताया । अभी तक हमने अपने प्रदेश में देखा था कि २४ घंटे भगवान राम का कीर्तन हुआ करता था, वहां हमने देखा कि किसानों ने २४ घंटे बराबर श्रमदान करके एक सड़क को पूरा किया । यह काम उन लोगों ने उस दिन किया जब शीतलहरी का इतना जोर था कि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मैन पावर का जिक्र किया । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां इन लोगों ने अपने श्रमदान से जो इन सड़कों को बनाया है, इनको पक्का कराने की ओर वे ध्यान दें । ऐसी सड़कों को पक्का करने के लिये उनको बल देना चाहिये । अगर इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो उनका सारा परिश्रम बेकार चला जायेगा । अगर वहां कोई पुल नहीं बनाया गया, इनको पक्का नहीं कराया गया तो आपका सारा प्रोग्राम ही फेल हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तहसील में कोई सड़क नहीं है । एक सड़क जौनपुर से मिर्जापुर तक है । उसके १५ मील पूर्व में तथा १५ मील पश्चिम में कोई सड़क नहीं है । बरसात के दिनों में ६–६ महीने तक आदमियों को किसी ब्लाक तथा कचेहरी आदि आने में बड़ी दिक्कत होती है । मेरा सुझाव है कि केशोपुर से बेवना तक, रामपुर से सलारपुर तक, तरतो मढ़ियाहू तथा किरारा, बिलवा आदि जो सड़कें श्रमदान द्वारा बनायी गयी हैं इनको सरकार पूरा कराये ।

एक सुझाव मेरा और है । हमारे यहां आलू की मुख्य खेती होती है । वहां पर आलू के स्टोरेज का कोई प्रबन्ध नहीं है जिसके कारण काफी आलू सूख जाता है । इसलिये वहां पर सरकार को कम से कम दो ब्लाकों में या एक तहसील में एक कोल्ड स्टोरेज बनवाना चाहिये जिससे वहां के आलू को बचाया जा सके ।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

आप ट्यूबवैल लगा रहे हैं, नहर का पानी और अस्पताल दे रहे हैं, वहां किसानों के आलू के लिये पूर्वी जिलों में कोल्ड स्टोरेज जरूर बनाइये।

इन शब्दों के साथ में आपके इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राधेश्याम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कल माननीय राममूर्ति जी ने बहुत ही संतुलित भाषा में सदन को आश्वासन दिया था कि नियोजन के कार्य में जहां भ्रष्टाचार का समाचार मिलेगा और माननीय सदस्य बतावेंगे, वहां वे तुरन्त कार्यवाही करेंगे। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज सवेरे ही एक घटना ऐसी हुई है।

श्री राममूर्ति—

उसे देख रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव—

वह आश्वासन दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बी० डी० ओ० के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि वह भ्रष्टाचारी बी० डी० ओ० को मुअत्तल करके गरीब हरिजन के साथ न्याय करेंगे। इसलिये मैं इसे छोड़ता हूं।

जैसा अभी पांडेय जी ने बताया, मंत्री जी की कल्पना राम-राज्य और ग्राम-राज्य की है, परन्तु इनकी योजना में यथार्थ का अंश कम है और कल्पना का अधिक है। कल्पना के भावों में यह नहीं देखते हैं कि गांवों का कैसे सर्वनाश हो रहा है। आज गांव का जीवन इतना भयंकर हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि कहीं शहर में जगह मिले तो वहां चले जावें। इसका कारण यह है कि पंचायतों के चुनाव से एक गांव में २,२ और ३,३ दल हो गये हैं और सत्य बात यह है कि यह दलबन्दी विकास की योजनाओं को बढ़ने नहीं देती है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव की मौजूदा पद्धति को बदलने का प्रयत्न करें। कोई तरीका ऐसा निकालें कि या तो सभापतियों के चुनाव निर्विरोध या गुप्त मतदान से हों।

श्री राममूर्ति—

गुप्त मतदान कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव—

इससे गांवों में नारकीय दृश्य खड़ा करने का प्रयास खत्म हो जायगा।

आपने सहयोग और सहकार की बात कही। तो मैं विकास क्षेत्र समिति की बात का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। विकास क्षेत्र समितियां आपकी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये गांव सभाओं का प्रतिनिधित्व या जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। जब २६ जनवरी को प्रदेश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो मुझे भी इस तरह की सूचना मिली कि मड़ियाहूं विकास क्षेत्र के सब लोग यहां आवेंगे और दिन भर कार्यक्रम होगा और गांव के लोगों को ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० अनुभव बतावेंगे। परन्तु जब २६ तारीख को मैं वहां पहुंचा तो वहां एक पर्चा बटा कि कांग्रेस की एक सभा होगी विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ।

वहां पर केवल एक सभा हो गई और कांग्रेस कमेटी के एक सज्जन ने भाषण दिया, दो चार लोगों के भाषण हुए और कांग्रेस कमेटी का पर्चा बाटा गया यह मैं आपको दिखा सकता हूं। इस प्रकार की सभायें की जाती हैं।

आप चाहते हैं कि विकास योजनाओं में हमारा सहयोग प्राप्त हो और उस सहयोग से देश आगे बढ़े तो आपको यह देखना होगा कि यह कमी किस की तरफ से हो रही है। सहयोग की भावना आप में भी है, और विरोधी दलों में भी है, लेकिन जो आपकी पद्धति है वह इस प्रकार की है। १७ फरवरी को हमें बताया गया कि राम नगर ब्लाक में क्षेत्र समिति की बैठक होगी। मैं भी उसमें उपस्थित हुआ। उसका अच्छा ऐजेंडा था। पाले के कारण जो बरबादी हुई है, उस पर विचार, खाद के वितरण की व्यवस्था, खाद में मिलावट के कारण फसलों का नष्ट होना, सिंचाई योजनाओं में गड़बड़ी, आदि विषयों पर उसमें विचार होना था, लेकिन दो तीन बातों पर ही अभी विचार हुआ था कि क्षेत्र समिति प्रमुख नेकहा कि बड़े-बड़े नेता लोग आये हुये हैं, उनके भाषण होंगे। बड़े बड़े नेता आये और उन्होंने लच्छेदार शब्दों में बातें कह दीं और विकास योजनाओं के बारे में कह दिया गया कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेता लोग आये हुये हैं। इस प्रकार से हम लोगों की बात सुनी नहीं जाती है। सारे प्रदेश की बातों को तो मैं जानता नहीं हूं, जौनपुर की बात ही मैं कहता हूं। मैंने इसको लिखकर भी दे दिया था। आप बातें तो सहयोग की करते हैं, लेकिन पहले ही आप असहयोग का हाथ बढ़ा देते हैं।

आपने कहा कि ग्राम सभा, न्याय पंचायतें, जिला परिषद्, विधान सभा और लोक सभा के द्वारा हम ५ खंभों पर राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीयकरण कर रहे हैं। जिला परिषदों को आपने रीढ़ की हड्डी बताया। लेकिन जिला परिषदों के जिम्मे जो आपने काम दिया है वह अत्यन्त ही घृणित है, निन्दनीय है। मानों अध्यापकों को काला पानी देने के लिये उनको अधिकार दे दिया है। जो आपके चुनाव में मदद नहीं करता है उसको आप घर से १०० मील की दूरी पर फेंक देते हैं। महीने में एक बार भी वह घर आना चाहे तो न आ सके। रामदरस दीक्षित का पांडेपुर में तबादला कर दिया गया। क्या यही आप सत्ता का विकेंद्रीयकरण कर रहे हैं। इसके नाम पर आप लोगों को काला पानी देने का अधिकार दे रहे हैं।

जिला परिषदों और विकास क्षेत्रों में एक एक बोरी सीमेंट के लिये झगड़ा होता है और विकास कार्यों के लिये सीमेंट नहीं मिलती है, लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्ष ने अपने मकान के लिये साढ़े ६ सौ बोरी सीमेंट ले लिया। हमारे यहां ट्यूबवेल की नालियां बनाने के लिये ठेकेदार जो सीमेंट लाया उसे लोगों ने ब्लैक मारकेट में १२ और १५ रु० बोरी के हिसाब से खरीदा। वहां पर एक सज्जन हैं जिन्होंने ९००–१००० बोरी सीमेंट ली और अपना तिमंजिला मकान बना रहे हैं। फिर लोगों को वहां पर सीमेंट कहां से मिले? आप कहते हैं कि हम गांवों में सत्ता का विकेंद्रीयकरण कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीयकरण न होकर सत्ता का सर्वनाश ही होगा।

इसी तरह से अन्ट्रेंड अध्यापकों का मामला भी है। विकास प्रमुखों को आपने अधिकार दे रखा है कि वे अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को ले आवें और जिन लोगों को भी अध्यापक के पद पर रखना चाहें रख लें, चाहे उनमें योग्यता कुछ भी न हो। और आपको यह मालूम हो जाय कि फलां आदमी का पिता या उसका कोई संबंधी सोशलिस्ट पार्टी या जनसंघ से संबंध रखता है तो उस लड़के को अध्यापक न रखा जाय, क्या इसी के लिये आपने जिला परिषदें बनायी हैं? आपसे भिन्न विचारधारा रखने वाले जितने लोग है उनके लोगों को कहीं नौकरी न देने के लिये ही क्या आपने ये जिला परिषदें बनायी हैं? अगर ऐसी ही बात है तो ये जिला

[श्री जगन्नाथ राव]

परिषदें नरक की खान हो जायेंगी, और माननीय मंत्री जी आपने जो लोकतंत्र की परम्परा के अनुसार सत्ता के विकेंद्रीयकरण का निश्चय किया है वह सत्ता का विकेंद्रीयकरण न होकर उसका सर्वनाश हो जायगा। इस तरह से आप उसके सर्वनाश का बीज बो रहे हैं।

न्याय पंचायतों में आपने जो एक बात रखी है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतों के बारे में जब आप एक विधेयक लाने वाले हैं तो उसी समय न्याय पंचायतों के बारे में आप के साथ हम सब बैठ कर विचार कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा विकास कार्य के लिये जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हूं। मुझे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना है। विकास के कामों में जो दिक्कत पड़ती है और विकास कार्य के लिये जो धनराशि दी जाती है उस धनराशि से जितना लाभ होना चाहिये उतना लाभ नहीं हो रहा है। दो चार छोटी मोटी बातों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार ने प्रदेश की बाढ़ एरिया के लिये एक योजना बनायी है कि जहां बरसात में वाटर लागिंग हो जाती है वहां के पानी की निकासी के लिये कोई रास्ता दिया जाय। उसके लिये बहुत धनराशि दी गयी है, लेकिन कानून पर चलने के लिये जो नियम बने हुए हैं उनमें इतनी कमजोरी है कि मुश्किल से किसी जिले में दो चार जल निकासी के रास्ते बन सक सकते हैं। पहले तो नियम था कि ५–५ मील के बाद जो दो चार रास्ते होंगे उनको सरकार बनायेगी, लेकिन अब गांव सभाओं को ही इस काम को सुपुर्द कर दिया गया है। हमारे यहां १०० एकड़ जमीन में बहुत ज्यादा पानी जमा है और बीच में पांच गांव हैं उसके बाद ६ ठे गांव में नदी पड़ती है। तो ५ गांव के लोग तो कहते हैं कि हमारे गांव से रास्ता निकाल दिया जाय और नदी में पानी बहा दिया जाय, लेकिन नदी में इतने गांव का पानी गिराना नामुमकिन है। नतीजा यह है कि देवरिया जिले में जहां बहुत ज्यादा वाटर लागिंग है, वहां १२ लाख एकड़ जमीन है और वहां २५ लाख लोग रहते हैं। ढाई लाख एकड़ जमीन में हर वक्त पानी भरा रहता है। अगर ४०–४५ छोटी छोटी योजनायें चला दी जायं और दो दो तीन तीन मील पर पानी निकालने के लिये रास्ते बना दिये जायं तो पानी की निकासी पूरी तरह से हो सकेगी। इसके लिये आप विकास खंडों को रुपया देते हैं और उस काम को सिंचाई विभाग से कराते हैं। इसका नतीजा होता है कि विकास विभाग और सिंचाई विभाग के झगड़े में जल्दी पानी निकासी का काम नहीं हो रहा है। तो सरकार इसके लिये ऐसी व्यवस्था करे या तो बिलकुल सिंचाई विभाग को दे दे या यह जल निकासी का काम प्लानिंग विभाग को ही दे दिया जाय। जिस तरह से सिंचाई विभाग अपना काम करता है उन्हीं नियमों के अनुसार वह यह काम भी करे।

दूसरे, गांवों में खेती की उपज को बढ़ाने के लिये विकास विभाग के द्वारा खाद दी जाती है, वहां आज खाद देने की ३ एजेन्सी है, सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग और कृषि विभाग। इन तीनों विभागों के खाद के देने में अन्तर है, किसी का खाद मंहगा है किसी का सस्ता है। सरकार अपनी तरफ से इन खादों का स्टाक बनाती है और फिर उस को बेचने का प्रबंध इन विभागों के द्वारा करती है। मैं चाहता हूं कि यह सारा खाद एक ही एजेंसी के द्वारा दिलाया जाय करे।

तीसरे, सरकार ने सिंचाई के लिये विकास विभाग के जिम्मे काम सौंप दिया है कि उसकी देख रेख में काम हो और सिंचाई विभाग के लोग उसमें मदद दें लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि सरकार ने नलकूपों के लिये बहुत सा रुपया गन्ना विभाग को दिया है। गन्ना विभाग कुंए लगाता है, लेकिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंए के बनने पर बिजली विभाग कहता है कि हम बिजली तभी देंगे जब सिंचाई विभाग हमें नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगा, वह कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पड़ गया है हम नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। नतीजा यह होता है कि सारे जिले में २०–२५ नलकूप बन गये और किसी को भी बिजली नहीं मिली। अगर कोई छोटा इंजिन लगाकर चलाता है तो उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजली विभाग बिजली नहीं देता। इसलिये सरकार व्यवस्था कर दे कि जहां पर गन्ना विभाग द्वारा या सरकार के अनुदान से कुंए लगते हैं तो वहां बिजली इसी तरह से दी जाय जैसे सरकारी नलकूपों को बिजली दी जाती है।

चौथी बात यह है कि नलकूप तो बन गये, लेकिन गूलें नहीं बनी हैं। लाखों रुपया जिसने नलकूपों को बनाने में लगाया है वहां पर गूलों में भी रुपया लगा दिया जाय तो अच्छा है और उससे पानी का उपयोग ठीक से हो सकेगा।

बाढ़ क्षेत्र में गांवों की भराई का काम गांव सभायें और विकास खंड की मदद से होने में होता यह है कि विकास खंड अधिकारियों के द्वारा जो काम बनवाया जाता है उसको सिंचाई विभाग के लोग पसन्द नहीं करते। नतीजा यह होता है कि काम हो गया और सिंचाई विभाग से तसदीक न होने पर लोगों को पैसा नहीं मिलता। मेरा सुझाव है कि गांवों की भराई का काम गांव सभाओं को या विकास खंड के लोगों को दिया जाय या सिंचाई विभाग के लोगों के पास ही छोड़ दिया जाय। जिला परिषद् के इंजीनियर या दूसरे विकास विभाग के इंजीनियर की देख-रेख में काम हो सकता है या सिंचाई विभाग वाले ही इस को देखें वर्ना गांव की भराई का काम रह जाता है और लोगों को पेमेंट में दिक्कत होती है। मैं सुझाव दूंगा कि यह जो डुप्लीकेसी है इसको दूर किया जाय और एक काम एक ही विभाग के सुपुर्द किया जाय या विकास खंड से ही कराया जाय या फिर पी० डब्लू० डी० को ही दे दिया जाय। मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे कहना चाहिये या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार यह चाहती है कि हम अपने ढंग से काम करें जैसे सरकार की नीति है कि देश में सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाय। अब अगर ब्लाक प्रमुख कोई स्वतंत्र पार्टी का आदमी हो जाता है तो उसका उस नीति में विश्वास ही नहीं है, वह उस पर अमल क्यों करेगा? अब चूंकि बी० डी० ओ० उसके अधीन है इसलिये वह बेचारा भी मजबूर रहता है। अतः मेरा ख्याल है कि गांव तक लोकतंत्र को जो ले जा रहे हैं यह हमारे काम में सबसे ज्यादा बाधक है। गांव सभापति गांव की सेवा नहीं करता बल्कि पार्टी बाजी के झगड़े में ही पड़ा रहता है। अगर सरकार को योजना चलानी है तो मेरा तो सुझाव है कि राज कर्मचारी उस काम को करें, नहीं तो जो लोग उस नीति में विश्वास करते हैं वह उस काम को करें। पहले ब्लाक का काम बी० डी० ओ० देखता था, अब ब्लाक प्रमुख हो गया। होता यह है कि बी० डी० ओ० को लिये वह अपने साथ घूमता है। ब्लाक की गाड़ी शादी, विवाह में फंसी रहती है। बी० डी० ओ० तो राजकर्मचारी होने के नाते डरते थे लेकिन ब्लाक प्रमुख नहीं डरते। इसलिये कोई काम जल्दी में नहीं करना चाहिये। हमको देखना चाहिये कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जो रुपया सरकार जिस काम के लिये ले रही है ऐसी व्यवस्था हो कि वह ठीक ढंग से खर्च हो और उसका सदुपयोग हो।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं माननीय राधेश्याम शर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे सख्त अफसोस हुआ जब पांडेय जी ने कहा कि पंचायती राज वह राज्य है जिसका स्वप्न लोग अंग्रेजों के जमाने में देखते थे। और दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इस व्यवस्था के बारे में जो विचार प्रकट किये। वह आपके सामने श्रीमन्, आये। दोनों में कोई मेल नहीं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि असेम्बली, पार्लियामेंट और जिला बोर्ड के चुनाव में जमानत का रुपया वापस कर दिया जाता है, लेकिन गांव पंचायत के मेम्बरों और सभापतियों का रुपया वापस नहीं किया जाता। हो ता यह है कि गांव का धनी आदमी अगर दबंग होता है तो वही

[श्री बंशीलाल]

खड़ा होता है और हरिजनों को एक तरह से खरीद लिया करता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जैसे असेम्बली, पार्लियामेंट और जिला बोर्ड की जमानत का रुपया वापस होता है उसी तरह गांव पंचायतों के लोगों का भी रुपया वापस हो। गांव पंचायतों द्वारा कर वसूली के लिये नियम बनाये गये हैं जिसके लिये १ आना रुपया रखा गया है। वह कर वसूल नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं, जहां बाजार लगते हैं वहां तो आमदनी हो जाती है, और जगह नहीं, जिससे कोई विकास का काम वह नहीं कर सकती। अतः सरकार अपनी आमदनी का एक चौथाई उनको दे ताकि गांव पंचायतें अपने यहां स्कूल, सड़कें तथा अस्पतालों की व्यवस्था कर सकें। लेकिन दरअसल होता यह है कि कागजी कोटा भर दिया जाता है। इसलिये उनको सरकार अपनी आमदनी से १/४ भाग दे ताकि विकास का कार्य हो सके।

दूसरे सेक्रेटरीज, ए० डी० ओ० तथा बी० डी० ओ० के बारे में मुझे निवेदन करना है। सारा कार्य बी० डी० ओ० के अन्तर्गत होता है। माहवारी, हफ्तेवार मीटिंग बुलाने का उनका काम है और कागज पर पैदावार बढ़ा दी जाती है और उन्नति दिखा दी जाती है। सरकार के सामने वे कागजी आंकड़े पेश कर दिये जाते हैं और उनको सरकार सदन के सामने पेश कर देती है। फिर लाखों रुपया तो उनके भत्ते में खर्च हो जाता है। गांव सभापति सीधा सादा आदमी होता है और बी० डी० ओ० उसको अपने रास्ते पर ले आता है और जिस सभापति को वह चाहता है जिता देता है। इस तरह से इलेक्शनबाजी वहां होती है और किसी तरह का उत्थान वहां नहीं हो पा रहा है।

हरिजनों की बड़ी उपेक्षा की जाती है। अदालती पंचायतों में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बी० डी० ओ० उनको नामिनेट कर देता है जब कि होना तो यह चाहिये कि प्रजातांत्रिक ढंग से गांव पंचायतों के पंच तथा सरपंचों का चुनाव होना चाहिये। सम्मन तक लोगों को नहीं दिये जाते और फैसले हो जाते हैं कागजी पेट भर कर जिससे गरीब लोगों को बड़ी परेशानी होती है।

गांव समाज की जो जमीन हरिजनों को बाटंने के लिये दी जाती है वह उनको न मिल कर जो सभापति होता है वह अपने रिश्तेदारों को दे देता है और उनके नाम तहसीलों में दाखिल खारिज करा लेता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस पद्धति को बदले जिससे रामराज्य का जो स्वप्न है वह साकार हो और जो आदेश आपके हों। उनका कड़ाई से पालन हो।

साथ ही साथ, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायती राज का बजट हमारे मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राधेश्याम जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय पांडेय जी, अब आप कल भाषण कीजियेगा । अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
६ मार्च, १९६४ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३८ पर।]

सूची (क)

एजूकेशन कोड की धारा २८० बी (१) के अन्तर्गत रिवार्ड के लिये प्रार्थियों की सूची जिनमें से प्रथम २५ को रिवार्ड मिला है—

१—(कु०) सरलादेवी सेठ
२—(कु०) सन्तोष तोमर
३—(कु०) अरुनाकुमारी
४—श्रीमती सरलादेवी
५—(कु०) बिमलाकुमारी
६—गिरजावती देवी
७—(कु०) जकिया बानो
८—(कु०) निर्मलादेवी मिश्रा
९—(कु०) रूपादेवी
१०—श्रीमती माया टोपा
११—राजेन्द्रकुमारी
१२—स्नेहलता गौड़
१३—(कु०) फूलमती देवी
१४—श्रीमती कीर्तिदेवी मिश्रा
१५—(कु०) ज्योतिकुमारी
१६—(कु०) चपलाकुमारी
१७—(कु०) मालतीदेवी गुप्ता
१८—(कु०) रूपलेखा
१९—(कु०) रामरती देवी
२०—श्रीमती सरोज बाला
२१—(कु०) शशीबाला अस्थाना
२२—(कु०) गंगाकुमारी
२३—माधुरीकुमारी
२४—(कु०) विमलाकुमारी
२५—सरस्वती कुमारी
२६—अनुसुइया देवी
२७—रमादेवी
२८—श्रीमती प्रमोदकुमारी
२९—श्रीमती शान्तीदेवी श्रीवास्तव
३०—(कु०) मीरादेवी
३१—(कु०) वीरमती देवी
३२—(कु०) राजेश्वरी देवी
३३—(कु०) राम संजीवनी देवी
३४—(कु०) ज्ञानवती देवी
३५—(कु०) बिट्टी देवी पान्डेय
३६—(कु०) प्रभावती देवी
३७—उर्मिला देवी
३८—अनई जिता फार्म कौर
३९—(कु०) लक्ष्मीदेवी चन्द
४०—(कु०) माया भंडारी
४१—कमला जे० बी० सिंह
४२—श्रीमती मालती देवी
४३—(कु०) जैनती तिवारी
४४—मुन्नी देवी वर्मा
४५—प्रेमो देवी
४६—कुमारी कमलेशकुमारी

सूची (ख)

एजूकेशन कोड की धारा २८० बी (२) के अन्तर्गत रिवार्ड के लिये प्रार्थियों की सूची जिनमें से प्रथम २ को रिवार्ड मिला है—

१—श्रीमती इन्द्रा अवस्थी
२—श्रीमती शीलवती
३—(कु०) कमला गुप्ता
४—सन्नो देवी रोचन
५—प्रभादेवी द्विवेदी
६—(कु०) कृष्ण कुमारी
७—(कु०) मेजोरी बी मेसे
८— श्रीमती दयावती
९—मालती तिवारी
१०—उषा पान्डेय
११—(कु०) छाया मिश्रा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४९ पर।)

निम्नलिखित गांव सभाओं की भूमि पर अनधिकृति रूप से कब्जा करने के सम्बन्ध में दायर किये गए वादों के विषय में कार्यवाहियां जारी हैं

बाडेन्य मंडल
मैनपुरी
देवामई
ओझैया फकीरपुर
रीछपुरा
सिडपुरा
कुचेला
कनेगी
बादशाहपुर
नगला इन्द
जिदौली
कल्हौरपछां
कुचैला
गोबना
नगला पुनू
उसनीखा
कुडाहार
बिबूना
नगला सावज
नाहिल कठेंगरा
हीरा गोपालपुर
हटऊ मुबारिकपुर
पहाड़पुर
झीगन चदाई
बिछिया बिक्रमपुर
सुजानपुर
सिरसा चदरपुर
महदेवा जगतपुर
डिबैयाहार
लछमी नानाऊसर

खिरना गनेशपुर
नरायनपुर
करीमगंज
तरौली
मौनाव
रतिभानपुर
देवामई
सोनई
मैनपुरी
ओझैया फकीरपुर
औडन्य मंडल
नौनेर
घोरवा
भरौली बदनपुर
बरौली
खिचौली
कीरतपुर भागपुर
जरामई
अशोकपुर खटकपुर
मधन खीजा
कुम्हरोआ
संसारपुर
लहरामऊन
मयाऊ
बहादुरपुर
सरूपपुर
कमलपुर बैजुबा
राहतपुर
रूपुसपुर
हरिहा

अकबरपुर सराय
साह आलमपुर
सिवाई भदौरा
टिकसुरी
मेरापुर सूजापुर
उद्दमपुर नरेनी
अलीपुर पट्टी
गुलरियापुर
जासमई
जरौली
हिम्मतपुर
नगला जथुआ
मखियारऊ सोयम
सोमनपुर
जगन्नाथपुर
कैलाशपुर
सनुपुर
कलन्दरपुर
नसीरपुर
पैरारशाहपुर
आलमगीरपुर
तखरऊ
मानकपुर सहस
नगला राजा
उरधान
सरसई
साहबरामपुर
प्रहलादपुर
मदहा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५५ पर)

कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय

(१) लेखपाल को खसरा के अभ्युक्ति स्तम्भ में किसी भी प्रकार का इन्दराज करने से प्रतिषिद्ध किया जायगा। इसके बजाय, उसे जो तथ्य मालूम हुए हों उनके बारे में सुपरवाइजर-कानूनगो के माध्यम से तहसीलदार को केवल एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। लेखपाल को इस प्रकार के प्रतिवेदनों की एक सूची भी रखनी होगी और इसके बारे में उसे अपनी डायरी में इन्दराज करना होगा। सूची के उन इन्दराजों तथा डायरी के इन्दराजों का परस्पर अन्तर्निर्देश (cross-referencing) होगा। उच्चतर निरीक्षण अधिकारी अपनी पड़ताल के दौरान में यह देखेंगे कि लेखपाल नियमों के अधीन उनसे अपेक्षित सभी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं। लेखपाल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुपरवाइजर-कानूनगो गांव में जायेगा, सम्बद्ध पक्षों को बुलायेगा और उनकी सुनवाई करने के बाद यह तय करेगा कि कौन पक्ष काबिज है और इसके बाद उस पक्ष का नाम खसरा के अभ्युक्ति स्तम्भ में दर्ज करेगा, और इसकी सूचना सम्बन्धित पक्षों को दे देगा।

(२) गांव-सभा की भूमि पर कब्जा किये जाने की दशा में, सुपरवाइजर-कानूनगो द्वारा की गई जांच के बारे में सूचना गांव-सभा के प्रधान को भेजी जायेगी। यह जांच सरसरी तौर पर की जायगी और किये जाने वाले इन्दराज के बारे में अभिलिखित खातेदार या गांव-सभा की सम्मति लेनी आवश्यक न होनी चाहिये। किन्तु जांच का कार्य आरम्भ करने से पूर्व दूसरे पक्ष के साथ-साथ यथास्थिति खातेदार अथवा गांव-सभा को भी इसकी सूचना दे देनी आवश्यक होगी।

(३) अभिलिखित खातेदार की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार के मामले। ऐसे मामलों में लेखपाल को खसरा के अभ्युक्ति स्तम्भ में उत्तराधिकारियों को "काबिज" के रूप में दर्ज न करके " मुतवफ्फी अमुक-अमुक" दर्ज करेगा।

(४) खातेदारों द्वारा अपने सेवकों, निकट संबंधियों या साझियों के माध्यम से किये जाने वाले काश्त के मामले। ऐसे मामलों में खसरा के अभ्युक्ति स्तम्भ में कब्जे का कोई इन्दराज न किया जायगा।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५८ पर)

भाग १

सूची नागर क्षेत्रों की जो कमिश्नर द्वारा धारा ५ (२) में विज्ञापित हो चुके हैं।

नागर क्षेत्र का नाम			जिला
१—मेरठ	..	म्यूनिसिपैलिटी	मेरठ
२—देहरादून	..	म्यूनिसिपैलिटी	देहरादून
३—मसूरी	..	म्यूनिसिपैलिटी	,,
४—सिकन्दरा राऊ	..	म्यूनिसिपैलिटी	अलीगढ़
५—पुरदिलनगर	..	टाउन एरिया	,,
६—कौड़ियागंज	..	टाउन एरिया	,,
७—मेंडू	..	टाउन एरिया	,,
८—पिलखुआ	..	टाउन एरिया	,,
९—छर्रा	..	टाउन एरिया	,,
१०—हाथरस	..	म्यूनिसिपैलिटी	,,
११—मुरसान	..	टाउन एरिया	,,
१२—विजयगढ़	..	टाउन एरिया	,,
१३—हसायन	..	टाउन एरिया	,,
१४—राधा कुण्ड	..	टाउन एरिया	मथुरा
१५—राया	..	टाउन एरिया	,,
१६—सोंख	..	टाउन एरिया	,,
१७—मथुरा	..	म्यूनिसिपैलिटी	,,
१८—बरेली	..	म्यूनिसिपैलिटी	बरेली
१९—कानपुर	..	कारपोरेशन	कानपुर
२०—मौरानीपुर	..	म्यूनिसिपैलिटी	झांसी
२१—बांसडीह	..	टाउन एरिया	बलिया
२२—सहतवार	..	टाउन एरिया	,,
२३—रेवोती	..	टाउन एरिया	,,
२४—मनियार	..	टाउन एरिया	,,
२५—सिकन्दरपुर	..	टाउन एरिया	,,
२६—गोरखपुर	..	म्यूनिसिपैलिटी	गोरखपुर
२७—खैराबाद	..	म्यूनिसिपैलिटी	सीतापुर
२८—जायस	..	टाउन एरिया	रायबरेली
२९—रूदौली	..	नोटीफाइड ऐरिया	बाराबंकी
३०—सतरिख	..	टाउन एरिया	,,
३१—बाराबंकी	..	टाउन एरिया	,,
३२—जैदपुर	..	टाउन एरिया	,,
३३—देवा	..	टाउन एरिया	,,
३४—नवाबगंज	..	म्यूनिसिपैलिटी	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भाग २

सूची नागर क्षेत्रों की जिनको धारा ४(२) के अधीन कमिश्नर द्वारा विज्ञापित किया जा चुका है किन्तु धारा ५ (२) की विज्ञप्ति अभी शेष है।

नागर क्षेत्र का नाम			जिला
१—देहरादून	..	कैन्टोमेन्ट	देहरादून
२—क्लीमेन्ट टाउन	..	कैन्टोमेन्ट	,,
३—सहानरपुर	..	म्यूनिसिपैलिटी	सहारनपुर
४—कोयल	..	म्यूनिसिपैलिटी	अलीगढ़
५—हरदुआगंज	..	म्यूनिसिपैलिटी	,,
६—जलाली	..	टाउन एरिया	,,
७—गोवर्धन	..	टाउन एरिया	मथुरा
८—बिजनौर	..	म्यूनिसिपैलिटी	बिजनौर
९—वाराणसी	..	कारपोरेशन	वाराणसी
१०—राबर्ट्सगंज	..	टाउन एरिया	मिर्जापुर
११—जौनपुर	..	म्यूनिसिपैलिटी	जौनपुर
१२—गोला	..	टाउन एरिया	गोरखपुर
१३—गोला गोकर्णनाथ	..	म्युनिसिपैलिटी	खीरी
१४—मलिहाबाद	..	टाउन एरिया	लखनऊ
१५—सीतापुर	..	म्यूनिसिपैलिटी	सीतापुर
१६—नीमसार मिसरिख	..	म्यूनिसिपैलिटी	,,
१७—दरियाबाद		टाउन एरिया	बाराबंकी

भाग ३

सूची नागर क्षेत्रों की जिनमें कृषि क्षेत्रों की परिच्छद कार्यवाही अभी जिला स्तर पर हो रही है या होने वाली है।

नागर क्षेत्र का नाम			जिला
१—वृन्दावन	..	म्यूनिसिपैलिटी	मथुरा
२—बलिया	..	म्यूनिसिपैलिटी	बलिया
३—काशीपुर	..	म्यूनिसिपैलिटी	नैनीताल
४—जसपुर	..	टाउन एरिया	,,
५—अमेठी	..	टाउन एरिया	लखनऊ
६—चारबाग आलमबाग	..	नोटीफाइड एरिया	,,
७—लखनऊ	..	कारपोरेशन	,,
८—लखनऊ	..	कैन्ट	,,

भाग ४

उन क्षेत्रों की सूची जिनके नागर क्षेत्रों में उ० प्र० नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६, उसकी धारा १ की उपधारा (३) के अनुसार अभी प्रचलित नहीं किया गया है :—

(१) भूतपूर्व बनारस, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल राज्य
(२) बांदा, हमीरपुर, झांसी और जालौन जिलों में अन्तर्भूत एन्क्लेव्ज (छोटी-छोटी रियासतें)।
(३) कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजन
(४) बनारस जिले का परगना कसवार राजा
(५) देहरादून जिले का परगना जौनसार बावर
(६) कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मिर्जापुर जिले का भाग।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६१ पर ।)

(१) प्रधानाचार्य ने अपने पुत्र के एक निजी घरेलू नौकर को बिना रोजगार के कार्यालय से नाम मांगे कालेज में चपरासी के पद पर नियुक्त किया तथा उसका वेतन उन्होंने तथा कालेज के हेड क्लर्क ने मिलकर स्वयं ले लिया,

(२) प्रधानाचार्य द्वारा अपने पुत्री के विवाह में कालेज के व्यय पर बिजली का दुरुपयोग किया जाना,

(३) कालेज की मरम्मत आदि के लिये स्वीकृत वार्षिक धनराशि का प्रधानाचार्य द्वारा अपने आराम के लिये दुरुपयोग तथा ३००० रु० से अधिक की धनराशि के उपयोग में आर्थिक अनियमितायें बरती जाना,

(४) प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी कोष में से २०० रु० से अधिक धन का दुरुपयोग किया जाना तथा उस धन से अपनी कोठी के अहाते में हाथ का नल लगवाना,

(५) कालेज के अहाते की घास के नीलाम में ठेकेदार से रिश्वत लेना और घास को सस्ते दामों में नीलाम कर देना,

(६) कालेज की केमिस्ट्री लेबोरेटरी के लिये स्वीकृत २००० रु० की धनराशि में से धन का दुरुपयोग किया जाना,

(७) प्रधानाचार्य द्वारा कालेज के बिजली के पंखे, दरियां तथा फरनीचर आदि का अपने घर पर प्रयोग किया जाना,

(८) कालेज के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से निजी काम लेना और इतवार तथा गजटेड छुट्टियों को भी उन्हें छुट्टी न देना।

(९) अपने अधिकार व प्रभाव का दुरुपयोग करके जूनियर हाई स्कूल परीक्षा १९६३ के कोलेशन वर्क (collation work) में वास्तविक कलेटर्स (collators) से उनके पारिश्रमिक में हिस्सा बटाना,

(१०) कालेज में छात्रों के प्रवेश म अनियमिततायें बरतना तथा पक्षपात करना।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २४७ एल० ए०—१९६४—८६० ।